



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-20122025-268673
CG-DL-W-20122025-268673

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 20] नई दिल्ली, दिसम्बर 14—दिसम्बर 20, 2025, शनिवार/अग्रहायण 23—अग्रहायण 29, 1947
No. 20] NEW DELHI, DECEMBER 14—DECEMBER 20, 2025, SATURDAY/AGRAHAYANA 23—AGRAHAYANA 29, 1947

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4 PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 2025

का.नि.आ. 44.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सेना आयुध कोर (समूह 'ग', और समूह 'घ' औद्योगिक) भर्ती नियम 1980 और सेना आर्डनेंस कोर भर्ती नियम 1980, जहां तक उनका संबंध उपकरण मैकेनिक (विधुत), उपकरण मैकेनिक (चाक्षुष), उपकरण मैकेनिक (टेली टाइप), रेडियो मैकेनिक और सिनेमा मैकेनिक, दूर संचार मैकेनिक, दूर संचार मैकेनिक (लाइन), दूर संचार मैकेनिक (रेडियो) (पूर्व में वायरलेस टेस्ट मैकेनिक के नाम से ज्ञात), यान मैकेनिक (ए एफ वी), बिजली मिस्त्री (ए एफ वी), उपकरण मैकेनिक, खरादी (टर्नर), पैटर्न मेकर, वुड टर्नर और मशीन मिस्त्री, फिटर, यान मैकेनिक, फिटर सिलाई मशीन, फिटर बेंच, मशीन मिस्त्री, घड़ी साज, वेल्डर विधुत/वेल्डर एसेटलीन, अस्त्रकार, फिटर पिस्तोल/रायफल, फिटर आयुध, गन फिटर, बिजली मिस्त्री, बिजली मिस्त्री (एम वी), यान मैकेनिक (एम वी), टाइप राइटर मैकेनिक/मैकेनिक टाइप राइटर और अनुलिपित्र, सिग्नल फिटर, फिटर (एम वी), लुहार, बायलर परिचर, काष्ठकार और संयोजक, कम्पोजीटर, इंजन ड्राइवर, मोल्डर, लकड़हारा, टीन और ताम्रकार, जिल्दसाज, क्रेन ड्राइवर, ड्राइवर मैकेनिक, आरा मशीन प्रचालक, अपहोलस्टर, सैडलर, पेन्टर और सज्जक, मुद्रक, मुद्रक मशीन प्रचालक, वेब मरम्मत करने वाला, चमड़ा सीने वाला और मोची के पदों से हैं, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, सेना आयुध

कोर में ट्रेड्समैन (अति कुशल) और ट्रेड्समैन (कुशल) के अनेक पदों पर भर्ती का पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सेना आयुद्ध कोर, ट्रेड्समैन (अति कुशल ग्रेड-1), ट्रेड्समैन (अति कुशल ग्रेड-11) और ट्रेड्समैन (कुशल), समूह 'ग' पद, भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

3. **लागू होना .-** ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर .-** पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उनके स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि .-** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **आरंभिक गठन .-** उक्त अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों के पदधारी, जो इन नियमों के प्रारंभ की तारीख से पूर्व उक्त पदों पर नियमित आधार पर नियुक्त हुए थे, इन नियमों के उपबंधों के अनुसरण में नियुक्त हुए समझे जाएंगे तथा इन नियमों के आरंभ से तुरंत पूर्व उक्त पदों में उनकी नियमित और निरंतर सेवा को ज्येष्ठता, प्रोन्नति तथा अन्य लागू सेवा संबंधित फायदों के प्रयोजन के लिए ध्यान में रखा जाएगा।

6. **निरर्हता : वह व्यक्ति -**

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

7. **शिथिल करने की शक्ति -** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

8. **व्यावृत्ति -** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।
(1)	(2)	(3)
1. उपकरण मैकेनिक (विद्युत) (अति कुशल ग्रेड-1)।	20* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, औद्योगिक।
2. उपकरण मैकेनिक (चाक्षुष) (अति कुशल ग्रेड-1)।		
3. उपकरण मैकेनिक (टेली टाइप) (अति कुशल ग्रेड-1)।		
4. रेडियो मैकेनिक और सिनेमा मैकेनिक (अति कुशल ग्रेड-1)।		
5. दूर संचार मैकेनिक (अति कुशल ग्रेड-1)।		
6. दूर संचार मैकेनिक (लाइन) (अति कुशल ग्रेड-1)।		
7. दूर संचार मैकेनिक (रेडियो) (अति कुशल ग्रेड-1)।		

वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	क्या चयन या अचयन पद।
(4)	(5)
वेतन मैट्रिक्स स्तर-5 (रु 29200-92300)।	अचयन पद।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।
(6)
18-27 वर्ष के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख या लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।
(7)
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य, किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से किसी ट्रेड में प्रमाणपत्र या समतुल्य डिप्लोमा।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।
(8)
लागू नहीं होता।

परीवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: सीधे भर्ती होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलेन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(9)	(10)
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न और हो सकने पर अंतरण द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और इन सभी के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलेन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलेन किया जाएगा।
(11)
प्रोन्नति : उपकरण मैकेनिक (विद्युत) (अति कुशल ग्रेड-II), उपकरण मैकेनिक (चाक्षुष) (अति कुशल ग्रेड-II), उपकरण मैकेनिक (टेली टाइप) (अति कुशल ग्रेड-II), रेडियो मैकेनिक और सिनेमा मैकेनिक (अति कुशल ग्रेड-II), दूर संचार मैकेनिक (अति कुशल ग्रेड-II), दूर संचार मैकेनिक (लाइन) (अति कुशल ग्रेड-II), दूर संचार मैकेनिक (रेडियो) (अति कुशल ग्रेड-II) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (रु. 25500-81100) में श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो। टिप्पण:- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या

पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

अंतरण : समरूप या समतुल्य या रक्षा सेवा की निम्नतर संरचनाओं में सिविल पद में उच्चतर ग्रेड पर कार्य करने वाला व्यक्ति।

प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन अधिकारी :-

(क) (i) जिन्होंने मूल कॉडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ हो; या

(ii) जिन्होंने मूल कॉडर या विभाग में वेतन मेट्रिक्स के स्तर-4 (रु 25500-81100) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् दी गई श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो; और

(ख) जिनके पास स्तंभ (7) की अधीन विहित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव हो।

टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।

(12)

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

- | | | |
|----|---|------------|
| 1. | ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी | - अध्यक्ष; |
| 2. | कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी | - सदस्य; |
| 3. | सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी | - सदस्य। |

समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

- | | | |
|----|---|------------|
| 1. | ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी | - अध्यक्ष; |
| 2. | कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी | - सदस्य; |
| 3. | सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी | - सदस्य। |

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।

(13)

लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)
8. उपकरण मैकेनिक (विद्युत) (अति कुशल ग्रेड-II)।	20* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, औद्योगिक।
9. उपकरण मैकेनिक (चाक्षुष) (अति कुशल ग्रेड-II)।		
10. उपकरण मैकेनिक (टेली टाइप) (अति कुशल ग्रेड-II)।		
11. रेडियो मैकेनिक और सिनेमा मैकेनिक (अति कुशल ग्रेड-II)।		
12. दूर संचार मैकेनिक (अति कुशल ग्रेड-II)।		
13. दूर संचार मैकेनिक (लाइन) (अति कुशल ग्रेड-II)।		
14. दूर संचार मैकेनिक (रेडियो) (अति कुशल ग्रेड-II)।		

(4)	(5)
वेतन मैट्रिक्स स्तर-4 (रु 25500-81100)।	लागू नहीं होता।

(6)
18-27 वर्ष के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख या लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

(7)
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य, किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से किसी ट्रेड में प्रमाणपत्र या समतुल्य डिप्लोमा।

(8)	(9)
लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

(10)
अंतरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(11)
अंतरण : समरूप या समतुल्य या रक्षा सेवा की निम्नतर संरचनाओं में सिविल पद में उच्चतर ग्रेड पर कार्य करने वाला व्यक्ति।

(12)
समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-
1. ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी - अध्यक्ष;
2. कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी - सदस्य;
3. सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी - सदस्य।

(13)
लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)
15. यान मैकेनिक (ए एफ वी) (अति कुशल ग्रेड-1)।	60* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, औद्योगिक।

(4)	(5)
वेतन मैट्रिक्स स्तर-5 (रू 29200-92300)।	अचयन पद।

(6)
18-27 वर्ष के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख या लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

(7)
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य, किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से किसी ट्रेड में प्रमाणपत्र या समतुल्य डिप्लोमा।

(8)	(9)
लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

(10)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर अंतरण द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और इन सभी के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(11)
प्रोन्नति : यान मैकेनिक (ए एफ वी) (अति कुशल ग्रेड-11) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (रू 25500-81100) में श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो। टिप्पण:- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

अंतरण : समरूप या समतुल्य या रक्षा सेवा की निम्नतर संरचनाओं में सिविल पद में उच्चतर ग्रेड पर कार्य करने वाला व्यक्ति।

प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन अधिकारी :-

(क) (i) जिन्होंने मूल कॉडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ हो; या

(ii) जिन्होंने मूल कॉडर या विभाग में वेतन मेट्रिक्स के स्तर-4 (रु 25500-81100) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात दी गई श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो; और

(ख) जिनके पास स्तंभ (7) की अधीन विहित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव हो।

टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

1. ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी - अध्यक्ष;
2. कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी - सदस्य;
3. सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी - सदस्य।

समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

1. ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी - अध्यक्ष;
2. कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी - सदस्य;
3. सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी - सदस्य।

(13)

लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)
16. यान मैकेनिक (ए एफ वी) (अति कुशल ग्रेड-II)।	60* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, औद्योगिक।

(4)	(5)
वेतन मैट्रिक्स स्तर-4 (रु 25500-81100)।	लागू नहीं होता।

(6)
18-27 वर्ष के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख या लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

(7)
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य, किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से किसी ट्रेड में प्रमाणपत्र या समतुल्य डिप्लोमा।

(8)	(9)
लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

(10)
अंतरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(11)
अंतरण : समरूप या समतुल्य या रक्षा सेवा की निम्नतर संरचनाओं में सिविल पद में उच्चतर ग्रेड पर कार्य करने वाला व्यक्ति।

(12)
समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी - अध्यक्ष; 2. कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी - सदस्य; 3. सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी- सदस्य।

(13)
लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)
17. बिजली मिस्त्री (ए एफ वी) (अति कुशल ग्रेड-1)।	11* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, औद्योगिक।

(4)	(5)
वेतन मैट्रिक्स स्तर-5 (रू 29200-92300)।	अचयन पद।

(6)
18-27 वर्ष के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख या लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

(7)
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य, किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से किसी ट्रेड में प्रमाणपत्र या समतुल्य डिप्लोमा।

(8)
लागू नहीं होता।

(9)	(10)
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर अंतरण द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और इन सभी के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(11)
प्रोन्नति : बिजली मिस्त्री (अति कुशल ग्रेड-II) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (रू 25500-81100) में श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो। टिप्पण:- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। अंतरण : समरूप या समतुल्य या रक्षा सेवा की निम्नतर संरचनाओं में सिविल पद में उच्चतर ग्रेड पर कार्य करने वाला व्यक्ति। प्रतिनियुक्ति : केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन अधिकारी :- (क) (i) जिन्होंने मूल कॉडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ हो; या (ii) जिन्होंने मूल कॉडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (रू 25500-81100) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् दी गई श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो; और

(ख) जिनके पास स्तंभ (7) की अधीन विहित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव हो।

टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

1. ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी - अध्यक्ष;
2. कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी - सदस्य;
3. सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी - सदस्य।

समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

1. ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी - अध्यक्ष;
2. कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी - सदस्य;
3. सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी - सदस्य।

(13)

लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)
18. बिजली मिस्त्री (ए एफ वी) (अति कुशल ग्रेड-II)।	11* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, औद्योगिक।

(4)	(5)
वेतन मैट्रिक्स स्तर-4 (रु 25500-81100)।	लागू नहीं होता।

(6)
18-27 वर्ष के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख या लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

(7)
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य, किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से किसी ट्रेड में प्रमाणपत्र या समतुल्य डिप्लोमा।

(8)	(9)
लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

(10)
अंतरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(11)
अंतरण : समरूप या समतुल्य या रक्षा सेवा की निम्नतर संरचनाओं में सिविल पद में उच्चतर ग्रेड पर कार्य करने वाला व्यक्ति।

(12)
समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी - अध्यक्ष; 2. कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी - सदस्य; 3. सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी - सदस्य।

(13)
लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)
19. उपकरण मैकेनिक (अति कुशल ग्रेड-1)।	10* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, औद्योगिक।

(4)	(5)
वेतन मैट्रिक्स स्तर-5 (रू 29200-92300)।	अचयन पद।

(6)
18-27 वर्ष के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख या लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

(7)
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य, किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से किसी ट्रेड में प्रमाणपत्र या समतुल्य डिप्लोमा।

(8)	(9)
लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

(10)
प्रोन्नति : द्वारा जिसके न हो सकने पर अंतरण द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और इन सभी के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(11)
प्रोन्नति : उपकरण मैकेनिक (अति कुशल ग्रेड-II) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (रू 25500-81100) में श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो। टिप्पण:- जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। अंतरण : समरूप या समतुल्य या रक्षा सेवा की निम्नतर संरचनाओं में सिविल पद में उच्चतर ग्रेड पर कार्य करने वाला व्यक्ति। प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन अधिकारी :- (क) (i) जिन्होंने मूल कॉडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ हो; या (ii) जिन्होंने मूल कॉडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (रू 25500-81100) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात दी गई श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो; और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) की अधीन विहित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव हो।

टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

1. ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी - अध्यक्ष;
2. कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी - सदस्य;
3. सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी - सदस्य।

समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

1. ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी - अध्यक्ष;
2. कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी - सदस्य;
3. सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी - सदस्य।

(13)

लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)
20. उपकरण मैकेनिक (अति कुशल ग्रेड-II)।	10* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, औद्योगिक।

(4)	(5)
वेतन मैट्रिक्स स्तर-4 (रु 25500-81100)।	लागू नहीं होता।

(6)

18-27 वर्ष के बीच।

(केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)।

टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्पा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख या लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

(7)

किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य, किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से किसी ट्रेड में प्रमाणपत्र या समतुल्य डिप्लोमा।

(8)

लागू नहीं होता।

(9)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

(10)

अंतरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(11)

अंतरण : समरूप या समतुल्य या रक्षा सेवा की निम्नतर संरचनाओं में सिविल पद में उच्चतर ग्रेड पर कार्य करने वाला व्यक्ति।

(12)

समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

- | | | |
|----|---|------------|
| 1. | ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी | - अध्यक्ष; |
| 2. | कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी | - सदस्य; |
| 3. | सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी | - सदस्य। |

(13)

लागू नहीं होता।

(1)

(2)

(3)

21. खरादी (टर्नर)
(अति कुशल ग्रेड-1)।

04* (2025)

* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग',
अराजपत्रित, अननुसचिवीय, औद्योगिक।

(4)

वेतन मैट्रिक्स स्तर-5 (रु 29200-92300)।

(5)

अचयन पद।

(6)
18-27 वर्ष के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख या लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

(7)
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य, किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से किसी ट्रेड में प्रमाणपत्र या समतुल्य डिप्लोमा।

(8)	(9)
लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

(10)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न और हो सकने पर अंतरण द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और इन सभी के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(11)
प्रोन्नति : खरादी (टर्नर) (अति कुशल ग्रेड-II) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (रु 25500-81100) में श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो। टिप्पण:- जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। अंतरण : समरूप या समतुल्य या रक्षा सेवा की निम्नतर संरचनाओं में सिविल पद में उच्चतर ग्रेड पर कार्य करने वाला व्यक्ति। प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन अधिकारी :- (क) (i) जिन्होंने मूल कॉडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ हो; या (ii) जिन्होंने मूल कॉडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (रु 25500-81100) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात दी गई श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो; और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) की अधीन विहित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव हो। टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)		
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-		
1.	ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी	- अध्यक्ष;
2.	कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी	- सदस्य;
3.	सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी	- सदस्य।
समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-		
1.	ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी	- अध्यक्ष;
2.	कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी	- सदस्य;
3.	सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी	- सदस्य।

(13)
लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)
22. खरादी (टर्नर) (अति कुशल ग्रेड-II)।	04* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, औद्योगिक।

(4)	(5)	(6)
वेतन मैट्रिक्स स्तर-4 (रू 25500-81100)।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न और हो सकने पर अंतरण द्वारा।

(11)
प्रोन्नति : खरादी (टर्नर) (कुशल) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (रू 19900-63200) में नियमित आधार पर श्रेणी में आठ वर्ष की सेवा की हो तथा ट्रेड टेस्ट पास किया हुआ हो।
अंतरण : समरूप या समतुल्य या रक्षा सेवा की निम्नतर संरचनाओं में सिविल पद में उच्चतर ग्रेड पर कार्य करने वाला व्यक्ति।

(12)	
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-	
1.	ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी - अध्यक्ष;
2.	कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी - सदस्य;
3.	सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी - सदस्य।

(13)
लागू नहीं होता।

(1)	(2)
23. खरादी (टर्नर) (कुशल)	09* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

(3)	(4)	(5)	(6)
साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, औद्योगिक।	वेतन मैट्रिक्स स्तर-2 (रु 19900-63200)।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(10)
प्रन्नोति द्वारा जिसके न हो सकने पर अंतरण द्वारा।

(11)
प्रोन्नति : ट्रेड्समैन (अर्द्धकुशल) या ट्रेड्समैन मेट जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (रु 18000-56900) में श्रेणी में तीन वर्ष की सेवा की अर्हक सेवा की हो तथा ट्रेड टेस्ट पास किया हुआ हो। टिप्पण:- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। अंतरण : समरूप या समतुल्य या रक्षा सेवा की निम्नतर संरचनाओं में सिविल पद में उच्चतर ग्रेड पर कार्य करने वाला व्यक्ति।

(12)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी -अध्यक्ष; 2. कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी -सदस्य; 3. सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी -सदस्य।

(13)
लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)
24. पैटर्न मेकर (अति कुशल ग्रेड-I)।	01* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, औद्योगिक।

(4)	(5)
वेतन मैट्रिक्स स्तर-5 (रु 29200-92300)।	अचयन पद।

(6)
18-27 वर्ष के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख या लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

(7)
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य, किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से किसी ट्रेड में प्रमाणपत्र या समतुल्य डिप्लोमा।

(8)	(9)
लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

(10)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न और हो सकने पर अंतरण द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और इन सभी के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(11)
प्रोन्नति : पैटर्न मेकर (अति कुशल ग्रेड-II) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (रु 25500-81100) में श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो। टिप्पण:- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। अंतरण : समरूप या समतुल्य या रक्षा सेवा की निम्नतर संरचनाओं में सिविल पद में उच्चतर ग्रेड पर कार्य करने वाला व्यक्ति।

प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन अधिकारी :-

- (क) (i) जिन्होंने मूल कॉडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ हो; या
(ii) जिन्होंने मूल कॉडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (रु 25500-81100) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् दी गई श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो; और

(ख) जिनके पास स्तंभ (7) की अधीन विहित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव हो।

टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

1. ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी - अध्यक्ष;
2. कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी - सदस्य;
3. सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी - सदस्य।

समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

1. ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी - अध्यक्ष;
2. कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी - सदस्य;
3. सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी - सदस्य।

(13)

लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)
25. पैटर्न मेकर (अति कुशल ग्रेड-II)।	01* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, औद्योगिक।

(4)	(5)	(6)
वेतन मैट्रिक्स स्तर-4 (रु 25500-81100)।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न और हो सकने पर अंतरण द्वारा।

(11)
प्रोन्नति : पैटर्न मेकर (कुशल) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (रु 19900-63200) में नियमित आधार पर श्रेणी में आठ वर्ष की सेवा की हो तथा ट्रेड टेस्ट पास किया हुआ हो।
अंतरण : समरूप या समतुल्य या रक्षा सेवा की निम्नतर संरचनाओं में सिविल पद में उच्चतर ग्रेड पर कार्य करने वाला व्यक्ति।

(12)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-
1. ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी - अध्यक्ष;
2. कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी - सदस्य;
3. सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी - सदस्य।

(13)
लागू नहीं होता।

(1)	(2)
26. पैटर्न मेकर (कुशल)	02* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

(3)	(4)	(5)	(6)
साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, औद्योगिक।	वेतन मैट्रिक्स स्तर-2 (रु 19900-63200)।	अचयन पद।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(10)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर अंतरण द्वारा।

(11)
प्रोन्नति : ट्रेड्समैन (अर्द्धकुशल) या ट्रेड्समैन मेट जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (रु 18000-56900) में श्रेणी में तीन वर्ष की अर्हक सेवा की हो तथा ट्रेड टेस्ट पास किया हुआ हो।

टिप्पण:- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो

अंतरण : समरूप या समतुल्य या रक्षा सेवा की निम्नतर संरचनाओं में सिविल पद में उच्चतर ग्रेड पर कार्य करने वाला व्यक्ति।

(12)

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

1. ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी - अध्यक्ष;
2. कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी - सदस्य;
3. सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी - सदस्य।

(13)

लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)
27. लकड़ी टर्नर और मशीन मिल्त्री (अति कुशल ग्रेड-1)।	03* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, औद्योगिक।

(4)	(5)
वेतन मैट्रिक्स स्तर-5 (रु 29200-92300)।	अचयन पद।

(6)

18-27 वर्ष के बीच।

(केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)।

टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख या लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

(7)

किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य, किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से किसी ट्रेड में प्रमाणपत्र या समतुल्य डिप्लोमा।

(8)	(9)
लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

(10)
प्रोन्नति: द्वारा जिसके न और हो सकने पर अंतरण द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और इन सभी के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(11)
प्रोन्नति : लकड़ी टर्नर और मशीन मिस्त्री (अति कुशल ग्रेड-II) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (रु 25500-81100) में श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो। टिप्पण:- जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। अंतरण : समरूप या समतुल्य या रक्षा सेवा की निम्नतर संरचनाओं में सिविल पद में उच्चतर ग्रेड पर कार्य करने वाला व्यक्ति। प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन अधिकारी :- (क) (i) जिन्होंने मूल कॉडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ हो; या (ii) जिन्होंने मूल कॉडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (रु 25500-81100) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् दी गई श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो; और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) की अधीन विहित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव हो। टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- - ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी - अध्यक्ष; - कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी - सदस्य; - सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी - सदस्य। समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- - ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी - अध्यक्ष;

2.	कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी	- सदस्य;
3.	सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी	- सदस्य।

(13)
लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)
28. लकड़ी टर्नर और मशीन मिस्त्री (अति कुशल ग्रेड-II)।	03* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, औद्योगिक।

(4)	(5)	(6)
वेतन मैट्रिक्स स्तर-4 (रु 25500-81100)।	अचयन पद।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न और हो सकने पर अंतरण द्वारा

(11)
प्रोन्नति : लकड़ी टर्नर और मशीन मिस्त्री (कुशल) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (रु 19900-63200) में नियमित आधार पर श्रेणी में आठ वर्ष की सेवा की हो तथा ट्रेड टेस्ट पास किया हुआ हो।
अंतरण : समरूप या समतुल्य या रक्षा सेवा की निम्नतर संरचनाओं में सिविल पद में उच्चतर ग्रेड पर कार्य करने वाला व्यक्ति।

(12)	
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-	
1.	ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी - अध्यक्ष;
2.	कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी - सदस्य;
3.	सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी - सदस्य।

(13)
लागू नहीं होता।

(1)	(2)
29. लकड़ी टर्नर और मशीन मिस्त्री (कुशल)	06* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

(3)	(4)	(5)	(6)
साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, औद्योगिक।	वेतन मैट्रिक्स स्तर-2 (रु 19900-63200)।	अचयन पद।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(10)
प्रन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर अंतरण द्वारा।

(11)
प्रोन्नति : ट्रेड्समैन (अर्द्धकुशल) या ट्रेड्समैन मेट जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (रु 18000-56900) में उस श्रेणी में तीन वर्ष की अर्हक सेवा की हो तथा ट्रेड टेस्ट पास किया हुआ हो। टिप्पण:- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो अंतरण : समरूप या समतुल्य या रक्षा सेवा की निम्नतर संरचनाओं में सिविल पद में उच्चतर ग्रेड पर कार्य करने वाला व्यक्ति।

(12)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी - अध्यक्ष; 2. कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी - सदस्य; 3. सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी -सदस्य।

(13)
लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)
30. फिटर (अति कुशल ग्रेड-1)।	50* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, औद्योगिक।

(4)	(5)
वेतन मैट्रिक्स स्तर-5 (रु 29200-92300)।	अचयन पद।

(6)
18-27 वर्ष के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख या लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

(7)
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य, किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से किसी ट्रेड में प्रमाणपत्र या समतुल्य डिप्लोमा।

(8)	(9)
लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

(10)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर अंतरण द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और इन सभी के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(11)-
प्रोन्नति : फिटर (अति कुशल ग्रेड-II) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (रु 25500-81100) में श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो। टिप्पण:- जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। अंतरण : समरूप या समतुल्य या रक्षा सेवा की निम्नतर संरचनाओं में सिविल पद में उच्चतर ग्रेड पर कार्य करने वाला व्यक्ति। प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन अधिकारी :- (क) (i) जिन्होंने मूल कॉडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ हो; या (ii) जिन्होंने मूल कॉडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (रु 25500-81100) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् दी गई श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो; और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) की अधीन विहित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव हो।

टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

1. ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी - अध्यक्ष;
2. कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी - सदस्य;
3. सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी - सदस्य।

समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

1. ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी - अध्यक्ष;
2. कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी - सदस्य;
3. सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी - सदस्य।

(13)

लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)
31. फिटर (अति कुशल ग्रेड-II)।	50* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, औद्योगिक।

(4)	(5)	(6)
वेतन मैट्रिक्स स्तर-4 (रु 25500-81100)।	अचयन पद।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न और हो सकने पर अंतरण द्वारा

(11)

प्रोन्नति : फिटर (कुशल) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (रु 19900-63200) में नियमित आधार पर श्रेणी में आठ वर्ष की सेवा की हो तथा ट्रेड टेस्ट पास किया हुआ हो।

अंतरण : समरूप या समतुल्य या रक्षा सेवा की निम्नतर संरचनाओं में सिविल पद में उच्चतर ग्रेड पर कार्य करने वाला व्यक्ति।

(12)	
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-	
1. ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी	- अध्यक्ष;
2. कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी	- सदस्य;
3. सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी	- सदस्य।

(13)
लागू नहीं होता।

(1)	(2)
32. फिटर (कुशल)	111* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

(3)	(4)	(5)	(6)
साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, औद्योगिक।	वेतन मैट्रिक्स स्तर-2 (रु 19900-63200)।	अचयन पदा।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(10)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर अंतरण द्वारा।

(11)
प्रोन्नति : ट्रेड्समैन (अर्द्धकुशल) या ट्रेड्समैन मेट जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (रु 18000-56900) में उस श्रेणी में तीन वर्ष की अर्हक सेवा की हो तथा ट्रेड टेस्ट पास किया हुआ हो। टिप्पण:- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो अंतरण : समरूप या समतुल्य या रक्षा सेवा की निम्नतर संरचनाओं में सिविल पद में उच्चतर ग्रेड पर कार्य करने वाला व्यक्ति।

(12)		
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-		
1.	ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी	- अध्यक्ष;
2.	कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी	- सदस्य;
3.	सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी	- सदस्य।

(13)
लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)
33. यान मैकेनिक (अति कुशल ग्रेड-1)।	82* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, औद्योगिक।

(4)	(5)
वेतन मैट्रिक्स स्तर-5 (रु 29200-92300)।	अचयन पद।

(6)
18-27 वर्ष के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख या लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

(7)
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य, किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से किसी ट्रेड में प्रमाणपत्र या समतुल्य डिप्लोमा।

(8)	(9)
लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

(10)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न और हो सकने पर अंतरण द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और इन सभी के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(11)

प्रोन्नति : यान मैकेनिक (अति कुशल ग्रेड-II) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (रु 25500-81100) में श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो।

टिप्पण:- जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

अंतरण : समरूप या समतुल्य या रक्षा सेवा की निम्नतर संरचनाओं में सिविल पद में उच्चतर ग्रेड पर कार्य करने वाला व्यक्ति।

प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन अधिकारी :-

- (क) (i) जिन्होंने मूल कॉडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ हो; या
- (ii) जिन्होंने मूल कॉडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (रु 25500-81100) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात दी गई श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो; और

(ख) जिनके पास स्तंभ (7) की अधीन विहित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव हो।

टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

1. ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी - अध्यक्ष;
2. कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी - सदस्य;
3. सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी - सदस्य।

समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

1. ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी - अध्यक्ष;
2. कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी - सदस्य;
3. सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी - सदस्य।

(13)

लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)
34. यान मैकेनिक (अति कुशल ग्रेड-II)।	82* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, औद्योगिक।

(4)	(5)	(6)
वेतन मैट्रिक्स स्तर-4 (रु 25500-81100)।	अचयन पद।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न और हो सकने पर अंतरण द्वारा

(11)
प्रोन्नति : यान मैकेनिक (कुशल) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (रु 19900-63200) में नियमित आधार पर श्रेणी में आठ वर्ष की सेवा की हो तथा ट्रेड टेस्ट पास किया हुआ हो। अंतरण : समरूप या समतुल्य या रक्षा सेवा की निम्नतर संरचनाओं में सिविल पद में उच्चतर ग्रेड पर कार्य करने वाला व्यक्ति।

(12)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- - ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी - अध्यक्ष; - कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी - सदस्य; - सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी - सदस्य।

(13)
लागू नहीं होता।

(1)	(2)
35. यान मैकेनिक (कुशल)	181* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

(3)	(4)	(5)	(6)
साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, औद्योगिक।	वेतन मैट्रिक्स स्तर-2 (रु 19900-63200)।	अचयन पद।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(10)
प्रन्नोति द्वारा जिसके न हो सकने पर अंतरण द्वारा।

(11)
प्रोन्नति : ट्रेड्समैन (अर्द्धकुशल) या ट्रेड्समैन मेट जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (रु 18000-56900) में उस श्रेणी में तीन वर्ष की अर्हक सेवा की हो तथा ट्रेड टेस्ट पास किया हुआ हो। टिप्पण:- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो अंतरण : समरूप या समतुल्य या रक्षा सेवा की निम्नतर संरचनाओं में सिविल पद में उच्चतर ग्रेड पर कार्य करने वाला व्यक्ति।

(12)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी - अध्यक्ष; 2. कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी - सदस्य; 3. सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी -सदस्य।

(13)
लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)
36. फिटर सिलाई मशीन (अति कुशल ग्रेड-1)।	02* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, औद्योगिक।

(4)	(5)
वेतन मैट्रिक्स स्तर-5 (रु 29200-92300)।	अचयन पद।

(6)
18-27 वर्ष के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)।

टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख या लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

(7)

किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य, किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से किसी ट्रेड में प्रमाणपत्र या समतुल्य डिप्लोमा।

(8)

लागू नहीं होता।

(9)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

(10)

प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर अंतरण द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और इन सभी के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(11)

प्रोन्नति : फिटर सिलाई मशीन (अति कुशल ग्रेड-II) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (रु 25500-81100) में श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो।

टिप्पण:- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

अंतरण : समरूप या समतुल्य या रक्षा सेवा की निम्नतर संरचनाओं में सिविल पद में उच्चतर ग्रेड पर कार्य करने वाला व्यक्ति।

प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन अधिकारी :-

(क) (i) जिन्होंने मूल कॉडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ हो; या

(ii) जिन्होंने मूल कॉडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (रु 25500-81100) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् दी गई श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो; और

(ख) जिनके पास स्तंभ (7) की अधीन विहित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव हो।

टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-	
1. ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी	- अध्यक्ष;
2. कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी	- सदस्य;
3. सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी	- सदस्य।
समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-	
1. ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी	- अध्यक्ष;
2. कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी	- सदस्य;
3. सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी	- सदस्य।

(13)
लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)
37. फिटर सिलाई मशीन (अति कुशल ग्रेड-II)।	02* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, औद्योगिक।

(4)	(5)	(6)
वेतन मैट्रिक्स स्तर-4 (रू 25500-81100)।	अचयन पद।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न और हो सकने पर अंतरण द्वारा

(11)
प्रोन्नति : फिटर सिलाई मशीन (कुशल) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (रू 19900-63200) में नियमित आधार पर श्रेणी में आठ वर्ष की सेवा की हो तथा ट्रेड टेस्ट पास किया हुआ हो।
अंतरण : समरूप या समतुल्य या रक्षा सेवा की निम्नतर संरचनाओं में सिविल पद में उच्चतर ग्रेड पर कार्य करने वाला व्यक्ति।

(12)	
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-	
1. ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी	- अध्यक्ष;

2.	कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी	- सदस्य;
3.	सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी	- सदस्य।

(13)
लागू नहीं होता।

(1)	(2)
38. फिटर सिलाई मशीन (कुशल)	05* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

(3)	(4)	(5)	(6)
साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, औद्योगिक।	वेतन मैट्रिक्स स्तर-2 (रु 19900-63200)।	अचयन पद।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(10)
प्रज्ञोति द्वारा जिसके न हो सकने पर अंतरण द्वारा।

(11)
प्रोन्नति : ट्रेड्समैन (अर्द्धकुशल) या ट्रेड्समैन मेट जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (रु 18000-56900) में उस श्रेणी में तीन वर्ष की अर्हक सेवा की हो तथा ट्रेड टेस्ट पास किया हुआ हो। टिप्पण:- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो अंतरण : समरूप या समतुल्य या रक्षा सेवा की निम्नतर संरचनाओं में सिविल पद में उच्चतर ग्रेड पर कार्य करने वाला व्यक्ति।

(12)		
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-		
1.	ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी	- अध्यक्ष;
2.	कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी	- सदस्य;
3.	सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी	-सदस्य।

(13)
लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)
39. फिटर बेंच (अति कुशल ग्रेड-I)।	24* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, औद्योगिक।

(4)	(5)
वेतन मैट्रिक्स स्तर-5 (रु 29200-92300)।	अचयन पद।

(6)
18-27 वर्ष के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख या लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

(7)
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य, किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से किसी ट्रेड में प्रमाणपत्र या समतुल्य डिप्लोमा।

(8)	(9)
लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

(10)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर अंतरण द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और इन सभी के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(11)
प्रोन्नति : फिटर बेंच (अति कुशल ग्रेड-II) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (रु 25500-81100) में श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो। टिप्पण:- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता

सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

अंतरण : समरूप या समतुल्य या रक्षा सेवा की निम्नतर संरचनाओं में सिविल पद में उच्चतर ग्रेड पर कार्य करने वाला व्यक्ति।

प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन अधिकारी :-

- (क) (i) जिन्होंने मूल कॉडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ हो; या
- (ii) जिन्होंने मूल कॉडर या विभाग में वेतन मेट्रिक्स के स्तर-4 (रु 25500-81100) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् दी गई श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो; और
- (ख) जिनके पास स्तंभ (7) की अधीन विहित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव हो।

टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

1. ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी - अध्यक्ष;
2. कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी - सदस्य;
3. सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी - सदस्य।

समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

1. ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी - अध्यक्ष;
2. कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी - सदस्य;
3. सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी - सदस्य।

(13)

लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)
40. फ़िटर बेंच (अति कुशल ग्रेड-II)।	24* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसूचित, औद्योगिक।

(4)	(5)	(6)
वेतन मैट्रिक्स स्तर-4 (रु 25500-81100)।	अचयन पद।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न और हो सकने पर अंतरण द्वारा

(11)
प्रोन्नति : फिटर बेंच (कुशल) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (रु 19900-63200) में नियमित आधार पर श्रेणी में आठ वर्ष की सेवा की हो तथा ट्रेड टेस्ट पास किया हुआ हो। अंतरण : समरूप या समतुल्य या रक्षा सेवा की निम्नतर संरचनाओं में सिविल पद में उच्चतर ग्रेड पर कार्य करने वाला व्यक्ति।

(12)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी - अध्यक्ष; 2. कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी - सदस्य; 3. सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी - सदस्य।

(13)
लागू नहीं होता।

(1)	(2)
41. फिटर बेंच (कुशल)	51* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

(3)	(4)	(5)	(6)
साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, औद्योगिक।	वेतन मैट्रिक्स स्तर-2 (रु 19900-63200)।	अचयन पद।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(10)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर अंतरण द्वारा।

(11)

प्रोन्नति : ट्रेड्समैन (अर्द्धकुशल) या ट्रेड्समैन मेट जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (रु 18000-56900) में उस श्रेणी में तीन वर्ष की अर्हक सेवा की हो तथा ट्रेड टेस्ट पास किया हुआ हो।

टिप्पण:- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो

अंतरण : समरूप या समतुल्य या रक्षा सेवा की निम्नतर संरचनाओं में सिविल पद में उच्चतर ग्रेड पर कार्य करने वाला व्यक्ति।

(12)

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

- | | | |
|----|---|------------|
| 1. | ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी | - अध्यक्ष; |
| 2. | कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी | - सदस्य; |
| 3. | सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी | -सदस्य। |

(13)

लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)
42. मशीन मिन्त्री (अति कुशल ग्रेड-I)।	04* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, औद्योगिक।

(4)	(5)
वेतन मैट्रिक्स स्तर-5 (रु 29200-92300)।	अचयन पद।

(6)

18-27 वर्ष के बीच।)

(केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)।

टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख या लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

(7)
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य, किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से किसी ट्रेड में प्रमाणपत्र या समतुल्य डिप्लोमा।

(8)	(9)
लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

(10)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर अंतरण द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और इन सभी के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(11)
प्रोन्नति : मशीन मिस्त्री (अति कुशल ग्रेड-II) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (रू 25500-81100) में श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो। टिप्पण:- जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। अंतरण : समरूप या समतुल्य या रक्षा सेवा की निम्नतर संरचनाओं में सिविल पद में उच्चतर ग्रेड पर कार्य करने वाला व्यक्ति। प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन अधिकारी :- (क) (i) जिन्होंने मूल कॉडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ हो; या (ii) जिन्होंने मूल कॉडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (रू 25500-81100) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् दी गई श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो; और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) की अधीन विहित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव हो। टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-
1. ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी
- अध्यक्ष;

2.	कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी	- सदस्य;
3.	सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी	- सदस्य।
समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-		
1.	ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी	- अध्यक्ष;
2.	कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी	- सदस्य;
3.	सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी	- सदस्य।

(13)
लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)
43. मशीन मिस्त्री (अति कुशल ग्रेड-II)।	04* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, औद्योगिक।

(4)	(5)
वेतन मैट्रिक्स स्तर-4 (रु 25500-81100)।	लागू नहीं होता।

(6)
18-27 वर्ष के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख या लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

(7)
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य, किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से किसी ट्रेड में प्रमाणपत्र या समतुल्य डिप्लोमा।

(8)	(9)
लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

(10)
अंतरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(11)
अंतरण : समरूप या समतुल्य या रक्षा सेवा की निम्नतर संरचनाओं में सिविल पद में उच्चतर ग्रेड पर कार्य करने वाला व्यक्ति।

(12)
समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-
1. ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी - अध्यक्ष;
2. कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी - सदस्य;
3. सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी - सदस्य।

(13)
लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)
44. घड़ी साज (अति कुशल ग्रेड-I)।	01* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, औद्योगिक।

(4)	(5)
वेतन मैट्रिक्स स्तर-5 (रु 29200-92300)।	अचयन पद।

(6)
18-27 वर्ष के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख या लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

(7)
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य, किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से किसी ट्रेड में प्रमाणपत्र या समतुल्य डिप्लोमा।

(8)	(9)
लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

(10)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर अंतरण द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और इन सभी के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(11)
प्रोन्नति : घड़ी साज (अति कुशल ग्रेड-II) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (रु 25500-81100) में श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो। टिप्पण:- जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। अंतरण : समरूप या समतुल्य या रक्षा सेवा की निम्नतर संरचनाओं में सिविल पद में उच्चतर ग्रेड पर कार्य करने वाला व्यक्ति। प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन अधिकारी :- (क) (i) जिन्होंने मूल कॉडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ हो; या (ii) जिन्होंने मूल कॉडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (रु 25500-81100) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् दी गई श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो; और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) की अधीन विहित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव हो। टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- - ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी - अध्यक्ष; - कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी - सदस्य; - सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी - सदस्य। समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- - ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी - अध्यक्ष;

2.	कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी	- सदस्य;
3.	सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी	- सदस्य।

(13)
लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)
45. घड़ी साज (अति कुशल ग्रेड-II)।	01* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, औद्योगिक।

(4)	(5)	(6)
वेतन मैट्रिक्स स्तर-4 (रु 25500-81100)।	अचयन पद।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न और हो सकने पर अंतरण द्वारा

(11)
प्रोन्नति : घड़ी साज (कुशल) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (रु 19900-63200) में नियमित आधार पर श्रेणी में आठ वर्ष की सेवा की हो तथा ट्रेड टेस्ट पास किया हुआ हो।
अंतरण : समरूप या समतुल्य या रक्षा सेवा की निम्नतर संरचनाओं में सिविल पद में उच्चतर ग्रेड पर कार्य करने वाला व्यक्ति।

(12)		
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-		
1.	ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी	- अध्यक्ष;
2.	कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी	- सदस्य;
3.	सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी	- सदस्य।

(13)
लागू नहीं होता।

(1)	(2)
46. घड़ी साज (कुशल)।	01* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

(3)	(4)	(5)	(6)
साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, औद्योगिक।	वेतन मैट्रिक्स स्तर-2 (रु 19900-63200)।	अचयन पद।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(10)
प्रन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर अंतरण द्वारा।

(11)
प्रोन्नति : ट्रेड्समैन (अर्द्धकुशल) या ट्रेड्समैन मेट जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (रु 18000-56900) में उस श्रेणी में तीन वर्ष की अर्हक सेवा की हो तथा ट्रेड टेस्ट पास किया हुआ हो। टिप्पण:- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो अंतरण : समरूप या समतुल्य या रक्षा सेवा की निम्नतर संरचनाओं में सिविल पद में उच्चतर ग्रेड पर कार्य करने वाला व्यक्ति।

(12)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी - अध्यक्ष; 2. कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी - सदस्य; 3. सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी -सदस्य।

(13)
लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)
47. वेल्डर विधुत / वेल्डर एसेटलीन (अति कुशल ग्रेड-1)।	01* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, औद्योगिक।

(4)	(5)
वेतन मैट्रिक्स स्तर-5 (रु 29200-92300)।	अचयन पद।

(6)
18-27 वर्ष के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख या लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

(7)
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य, किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से किसी ट्रेड में प्रमाणपत्र या समतुल्य डिप्लोमा।

(8)	(9)
लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

(10)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर अंतरण द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और इन सभी के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(11)
प्रोन्नति : वेल्डर विद्युत/वेल्डर एसेटलीन (अति कुशल ग्रेड-II) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (रु 25500-81100) में श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो। टिप्पण:- जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। अंतरण : समरूप या समतुल्य या रक्षा सेवा की निम्नतर संरचनाओं में सिविल पद में उच्चतर ग्रेड पर कार्य करने वाला व्यक्ति। प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन अधिकारी :- (क) (i) जिन्होंने मूल कॉडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ हो; या (ii) जिन्होंने मूल कॉडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (रु 25500-81100) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् दी गई श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो; और

(ख) जिनके पास स्तंभ (7) की अधीन विहित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव हो।

टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

1. ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी - अध्यक्ष;
2. कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी - सदस्य;
3. सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी - सदस्य।

समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

1. ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी - अध्यक्ष;
2. कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी - सदस्य;
3. सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी - सदस्य।

(13)

लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)
48. वेल्डर विद्युत / वेल्डर एसेटलीन (अति कुशल ग्रेड-II)।	01* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, औद्योगिक।

(4)	(5)	(6)
वेतन मैट्रिक्स स्तर-4 (रु 25500-81100)।	अचयन पद।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न और हो सकने पर अंतरण द्वारा

(11)
प्रोन्नति : वेल्डर विधुत/वेल्डर एसेटलीन (कुशल) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (रु 19900-63200) में नियमित श्रेणी में आठ वर्ष की सेवा की हो तथा ट्रेड टेस्ट पास किया हुआ हो। अंतरण : समरूप या समतुल्य या रक्षा सेवा की निम्नतर संरचनाओं में सिविल पद में उच्चतर ग्रेड पर कार्य करने वाला व्यक्ति।

(12)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी - अध्यक्ष; 2. कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी - सदस्य; 3. सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी - सदस्य।

(13)
लागू नहीं होता।

(1)	(2)
49. वेल्डर विधुत / वेल्डर एसेटलीन (कुशल)	02* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

(3)	(4)	(5)	(6)
साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, औद्योगिक।	वेतन मैट्रिक्स स्तर-2 (रु 19900-63200)।	अचयन पदा।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(10)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर अंतरण द्वारा।

(11)
प्रोन्नति : ट्रेड्समैन (अर्द्धकुशल) या ट्रेड्समैन मेट जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (रु 18000-56900) में उस श्रेणी में तीन वर्ष की अर्हक सेवा की हो तथा ट्रेड टेस्ट पास किया हुआ हो। टिप्पण:- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो अंतरण : समरूप या समतुल्य या रक्षा सेवा की निम्नतर संरचनाओं में सिविल पद में उच्चतर ग्रेड पर कार्य करने वाला व्यक्ति।

(12)		
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-		
1.	ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी	- अध्यक्ष;
2.	कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी	- सदस्य;
3.	सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी	-सदस्य।

(13)
लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)
50. अस्त्रकार (अति कुशल ग्रेड-1)।	07* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, औद्योगिक।

(4)	(5)
वेतन मैट्रिक्स स्तर-5 (रु 29200-92300)।	अचयन पद।

(6)
18-27 वर्ष के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख या लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

(7)
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य, किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से किसी ट्रेड में प्रमाणपत्र या समतुल्य डिप्लोमा।

(8)	(9)
लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

(10)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर अंतरण द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और इन सभी के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(11)

प्रोन्नति : अस्रकार (अति कुशल ग्रेड-II) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (रु 25500-81100) में श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो।

टिप्पण:- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

अंतरण : समरूप या समतुल्य या रक्षा सेवा की निम्नतर संरचनाओं में सिविल पद में उच्चतर ग्रेड पर कार्य करने वाला व्यक्ति।

प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन अधिकारी :-

- (क) (i) जिन्होंने मूल कॉडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ हो; या
- (ii) जिन्होंने मूल कॉडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (रु 25500-81100) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात दी गई श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो; और
- (ख) जिनके पास स्तंभ (7) की अधीन विहित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव हो।

टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

1. ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी - अध्यक्ष;
2. कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी - सदस्य;
3. सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी - सदस्य।

समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

1. ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी - अध्यक्ष;
2. कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी - सदस्य;
3. सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी - सदस्य।

(13)

लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)
51. अस्त्रकार (अति कुशल ग्रेड-II)।	07* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, औद्योगिक।

(4)	(5)	(6)
वेतन मैट्रिक्स स्तर-4 (रु 25500-81100)।	अचयन पद।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न और हो सकने पर अंतरण द्वारा

(11)
प्रोन्नति : अस्त्रकार (कुशल) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (रु 19900-63200) में नियमित श्रेणी में आठ वर्ष की सेवा की हो तथा ट्रेड टेस्ट पास किया हुआ हो। अंतरण : समरूप या समतुल्य या रक्षा सेवा की निम्नतर संरचनाओं में सिविल पद में उच्चतर ग्रेड पर कार्य करने वाला व्यक्ति।

(12)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-
1. ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी - अध्यक्ष;
2. कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी - सदस्य;
3. सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी - सदस्य।

(13)
लागू नहीं होता।

(1)	(2)
52. अस्त्रकार (कुशल)	14* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

(3)	(4)	(5)	(6)
साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, औद्योगिक।	वेतन मैट्रिक्स स्तर-2 (रु 19900-63200)।	अचयन पद।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(10)
प्रन्नोति द्वारा जिसके न हो सकने पर अंतरण द्वारा।

(11)
प्रोन्नति : ट्रेड्समैन (अर्द्धकुशल) या ट्रेड्समैन मेट जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (रु 18000-56900) में श्रेणी में तीन वर्ष की अर्हक सेवा की हो तथा ट्रेड टेस्ट पास किया हुआ हो। टिप्पण:- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो अंतरण : समरूप या समतुल्य या रक्षा सेवा की निम्नतर संरचनाओं में सिविल पद में उच्चतर ग्रेड पर कार्य करने वाला व्यक्ति।

(12)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी - अध्यक्ष; 2. कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी - सदस्य; 3. सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी -सदस्य।

(13)
लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)
53. फिटर पिस्तोल/रायफल (अति कुशल ग्रेड-1)।	01* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, औद्योगिक।

(4)	(5)
वेतन मैट्रिक्स स्तर-5 (रु 29200-92300)।	अचयन पद।

(6)
18-27 वर्ष के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल

प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख या लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

(7)

किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य, किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से किसी ट्रेड में प्रमाणपत्र या समतुल्य डिप्लोमा।

(8)

लागू नहीं होता।

(9)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

(10)

प्रोन्नति द्वारा जिसके न और हो सकने पर अंतरण द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और इन सभी के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(11)

प्रोन्नति : फिटर पिस्तोल/रायफल (अति कुशल ग्रेड-II) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (रु 25500-81100) में श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो।

टिप्पण:- जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

अंतरण : समरूप या समतुल्य या रक्षा सेवा की निम्नतर संरचनाओं में सिविल पद में उच्चतर ग्रेड पर कार्य करने वाला व्यक्ति।

प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन अधिकारी :-

(क) (i) जिन्होंने मूल कॉडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ हो; या

(ii) जिन्होंने मूल कॉडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (रु 25500-81100) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् दी गई श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो; और

(ख) जिनके पास स्तंभ (7) की अधीन विहित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव हो।

टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)		
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-		
1.	ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी	- अध्यक्ष;
2.	कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी	- सदस्य;
3.	सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी	- सदस्य।
समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-		
1.	ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी	- अध्यक्ष;
2.	कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी	- सदस्य;
3.	सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी	- सदस्य।

(13)
लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)
54. फिटर पिस्तोल/रायफल (अति कुशल ग्रेड-II)।	01* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, औद्योगिक।

(4)	(5)	(6)
वेतन मैट्रिक्स स्तर-4 (रु 25500-81100)।	अचयन पद।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न और हो सकने पर अंतरण द्वारा

(11)
प्रोन्नति : फिटर पिस्तोल/रायफल (कुशल) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (रु 19900-63200) में नियमित श्रेणी में आठ वर्ष की सेवा की हो तथा ट्रेड टेस्ट पास किया हुआ हो।
अंतरण : समरूप या समतुल्य या रक्षा सेवा की निम्नतर संरचनाओं में सिविल पद में उच्चतर ग्रेड पर कार्य करने वाला व्यक्ति।

(12)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-
1. ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी - अध्यक्ष;
2. कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी - सदस्य;
3. सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी - सदस्य।

(13)
लागू नहीं होता।

(1)	(2)
55. फिटर पिस्तोल/रायफल (कुशल)	01* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

(3)	(4)	(5)	(6)
साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, औद्योगिक।	वेतन मैट्रिक्स स्तर-2 (रू 19900-63200)।	अचयन पद।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(10)
प्रन्नोति द्वारा जिसके न हो सकने पर अंतरण द्वारा।

(11)
प्रोन्नति : ट्रेड्समैन (अर्द्धकुशल) या ट्रेड्समैन मेट जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (रू 18000-56900) में उस श्रेणी में तीन वर्ष की अर्हक सेवा की हो तथा ट्रेड टेस्ट पास किया हुआ हो। टिप्पण:- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो अंतरण : समरूप या समतुल्य या रक्षा सेवा की निम्नतर संरचनाओं में सिविल पद में उच्चतर ग्रेड पर कार्य करने वाला व्यक्ति।

(12)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-
1. ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी - अध्यक्ष;
2. कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी - सदस्य;
3. सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी -सदस्य।

(13)
लागू नहीं होता।

(1)	(2)
56. फिटर शस्त्र (कुशल)	01* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

(3)	(4)	(5)	(6)
साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, औद्योगिक।	वेतन मैट्रिक्स स्तर-2 (रू 19900-63200)।	अचयन पद।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(10)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर अंतरण द्वारा।

(11)
प्रोन्नति : ट्रेड्समैन (अर्द्धकुशल) या ट्रेड्समैन मेट जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (रू 18000-56900) में उस श्रेणी में तीन वर्ष की अर्हक सेवा की हो तथा ट्रेड टेस्ट पास किया हुआ हो। टिप्पण:- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो अंतरण : समरूप या समतुल्य या रक्षा सेवा की निम्नतर संरचनाओं में सिविल पद में उच्चतर ग्रेड पर कार्य करने वाला व्यक्ति।

(12)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी - अध्यक्ष; 2. कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी - सदस्य; 3. सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी -सदस्य।

(13)
लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)
57. गन फिटर (अति कुशल ग्रेड-I)।	10* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, औद्योगिक।

(4)	(5)
वेतन मैट्रिक्स स्तर-5 (रू 29200-92300)।	अचयन पद।

(6)
18-27 वर्ष के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख या लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

(7)
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य, किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से किसी ट्रेड में प्रमाणपत्र या समतुल्य डिप्लोमा।

(8)	(9)
लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

(10)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर अंतरण द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और इन सभी के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(11)
प्रोन्नति : गन फिटर (अति कुशल ग्रेड-II) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (रू 25500-81100) में श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो। टिप्पण:- जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। अंतरण : समरूप या समतुल्य या रक्षा सेवा की निम्नतर संरचनाओं में सिविल पद में उच्चतर ग्रेड पर कार्य करने वाला व्यक्ति। प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन अधिकारी :- (क) (i) जिन्होंने मूल कॉडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ हो; या (ii) जिन्होंने मूल कॉडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (रू 25500-81100) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् दी गई श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो; और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) की अधीन विहित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव हो।

टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

1. ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी - अध्यक्ष;
2. कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी - सदस्य;
3. सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी - सदस्य।

समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

1. ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी - अध्यक्ष;
2. कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी - सदस्य;
3. सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी - सदस्य।

(13)

लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)
58. गन फिटर (अति कुशल ग्रेड-II)।	10* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, औद्योगिक।

(4)	(5)
वेतन मैट्रिक्स स्तर-4 (रु 25500-81100)।	लागू नहीं होता।

(6)

18-27 वर्ष के बीच।

(केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)।

टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख या लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

(7)	(8)
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य , किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से किसी ट्रेड में प्रमाणपत्र या समतुल्य डिप्लोमा।	लागू नहीं होता।

(9)	(10)
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	अंतरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(11)
अंतरण : समरूप या समतुल्य या रक्षा सेवा की निम्नतर संरचनाओं में सिविल पद में उच्चतर ग्रेड पर कार्य करने वाला व्यक्ति।

(12)
समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-
1. ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी - अध्यक्ष;
2. कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी - सदस्य;
3. सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी - सदस्य।

(13)
लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)
59. बिजली मिस्त्री (अति कुशल ग्रेड-1)।	20* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, औद्योगिक।

(4)	(5)
वेतन मैट्रिक्स स्तर-5 (रू 29200-92300)।	अचयन पद।

(6)
18-27 वर्ष के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख या लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

(7)
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य, किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से किसी ट्रेड में प्रमाणपत्र या समतुल्य डिप्लोमा।

(8)	(9)
लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

(10)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर अंतरण द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और इन सभी के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(11)
प्रोन्नति : बिजली मिस्री (अति कुशल ग्रेड-II) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (रु 25500-81100) में श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो। टिप्पण:- जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। अंतरण : समरूप या समतुल्य या रक्षा सेवा की निम्नतर संरचनाओं में सिविल पद में उच्चतर ग्रेड पर कार्य करने वाला व्यक्ति। प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन अधिकारी :- (क) (i) जिन्होंने मूल कॉडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ हो; या (ii) जिन्होंने मूल कॉडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (रु 25500-81100) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् दी गई श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो; और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) की अधीन विहित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव हो। टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-
1. ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी
- अध्यक्ष;

2.	कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी	- सदस्य;
3.	सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी	- सदस्य।
समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-		
1.	ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी	- अध्यक्ष;
2.	कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी	- सदस्य;
3.	सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी	- सदस्य।

(13)
लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)
60. बिजली मिस्त्री (अति कुशल ग्रेड-II)।	20* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, औद्योगिक।

(4)	(5)	(6)
वेतन मैट्रिक्स स्तर-4 (रु 25500-81100)।	अचयन पद।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न और हो सकने पर अंतरण द्वारा

(11)
प्रोन्नति : बिजली मिस्त्री (कुशल) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (रु 19900-63200) में नियमित श्रेणी में आठ वर्ष की सेवा की हो तथा ट्रेड टेस्ट पास किया हुआ हो।
अंतरण : समरूप या समतुल्य या रक्षा सेवा की निम्नतर संरचनाओं में सिविल पद में उच्चतर ग्रेड पर कार्य करने वाला व्यक्ति।

(12)		
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-		
1.	ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी	- अध्यक्ष;
2.	कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी	- सदस्य;
3.	सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी	- सदस्य।

(13)
लागू नहीं होता।

(1)	(2)
61. बिजली मिखी (कुशल)	43* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

(3)	(4)	(5)	(6)
साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, औद्योगिक।	वेतन मैट्रिक्स स्तर-2 (रु 19900-63200)।	अचयन पद।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(10)
प्रन्नोति द्वारा जिसके न हो सकने पर अंतरण द्वारा।

(11)
प्रोन्नति : ट्रेड्समैन (अर्द्धकुशल) या ट्रेड्समैन मेट जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (रु 18000-56900) में श्रेणी में तीन वर्ष की अर्हक सेवा की हो तथा ट्रेड टेस्ट पास किया हुआ हो। टिप्पण:- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो अंतरण : समरूप या समतुल्य या रक्षा सेवा की निम्नतर संरचनाओं में सिविल पद में उच्चतर ग्रेड पर कार्य करने वाला व्यक्ति।

(12)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-
1. ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी - अध्यक्ष; 2. कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी - सदस्य; 3. सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी -सदस्य।

(13)
लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)
62. बिजली मिस्त्री (एम वी) (अति कुशल ग्रेड-1)।	26* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, औद्योगिक।

(4)	(5)
वेतन मैट्रिक्स स्तर-5 (रु 29200-92300)।	अचयन पद।

(6)
18-27 वर्ष के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख या लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

(7)
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य, किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से किसी ट्रेड में प्रमाणपत्र या समतुल्य डिप्लोमा।

(8)	(9)
लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

(10)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर अंतरण द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और इन सभी के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(11)
प्रोन्नति : बिजली मिस्त्री (अति कुशल ग्रेड-1।) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (रु 25500-81100) में श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो। टिप्पण:- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

अंतरण : समरूप या समतुल्य या रक्षा सेवा की निम्नतर संरचनाओं में सिविल पद में उच्चतर ग्रेड पर कार्य करने वाला व्यक्ति।

प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन अधिकारी :-

- (क) (i) जिन्होंने मूल कॉडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ हो; या
- (ii) जिन्होंने मूल कॉडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (रु 25500-81100) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात दी गई श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो; और
- (ख) जिनके पास स्तंभ (7) की अधीन विहित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव हो।

टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)		
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-		
1.	ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी	- अध्यक्ष;
2.	कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी	- सदस्य;
3.	सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी	- सदस्य।
समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-		
1.	ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी	- अध्यक्ष;
2.	कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी	- सदस्य;
3.	सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी	- सदस्य।

(13)
लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)
63. बिजली मिस्त्री (एम वी) (अति कुशल ग्रेड-II)।	26* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, औद्योगिक।

(4)	(5)	(6)
वेतन मैट्रिक्स स्तर-4 (रु 25500-81100)।	अचयन पद।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न और हो सकने पर अंतरण द्वारा

(11)
प्रोन्नति : बिजली मिस्त्री (कुशल) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (रू 19900-63200) में नियमित श्रेणी में आठ वर्ष की सेवा की हो तथा ट्रेड टेस्ट पास किया हुआ हो।
अंतरण : समरूप या समतुल्य या रक्षा सेवा की निम्नतर संरचनाओं में सिविल पद में उच्चतर ग्रेड पर कार्य करने वाला व्यक्ति।

(12)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-
1. ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी - अध्यक्ष;
2. कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी - सदस्य;
3. सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी - सदस्य।

(13)
लागू नहीं होता।

(1)	(2)
64. बिजली मिस्त्री (एम वी) (कुशल)	56* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

(3)	(4)	(5)	(6)
साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, औद्योगिक।	वेतन मैट्रिक्स स्तर-2 (रू 19900-63200)।	अचयन पदा।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(10)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर अंतरण द्वारा।

(11)
प्रोन्नति : ट्रेड्समैन (अर्द्धकुशल) या ट्रेड्समैन मेट जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (रू 18000-56900) में श्रेणी में तीन वर्ष की अर्हक सेवा की हो तथा ट्रेड टेस्ट पास किया हुआ हो।

टिप्पण:- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो

अंतरण : समरूप या समतुल्य या रक्षा सेवा की निम्नतर संरचनाओं में सिविल पद में उच्चतर ग्रेड पर कार्य करने वाला व्यक्ति।

(12)

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

- | | | |
|----|---|------------|
| 1. | ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी | - अध्यक्ष; |
| 2. | कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी | - सदस्य; |
| 3. | सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी | -सदस्य। |

(13)

लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)
65. यान मैकेनिक (एम वी) (अति कुशल ग्रेड-1)।	27* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, औद्योगिक।

(4)	(5)
वेतन मैट्रिक्स स्तर-5 (रू 29200-92300)।	अचयन पद।

(6)

18-27 वर्ष के बीच।

(केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)।

टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख या लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

(7)

किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य, किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से किसी ट्रेड में प्रमाणपत्र या समतुल्य डिप्लोमा।

(8)	(9)
लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

(10)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर अंतरण द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और इन सभी के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(11)
प्रोन्नति : यान मैकेनिक (एम वी) (अति कुशल ग्रेड-II) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (रु 25500-81100) में श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो। टिप्पण:- जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। अंतरण : समरूप या समतुल्य या रक्षा सेवा की निम्नतर संरचनाओं में सिविल पद में उच्चतर ग्रेड पर कार्य करने वाला व्यक्ति। प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन अधिकारी :- (क) (i) जिन्होंने मूल कॉडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ हो; या (ii) जिन्होंने मूल कॉडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (रु 25500-81100) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् दी गई श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो; और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) की अधीन विहित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव हो। टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)		
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-		
1.	ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी	- अध्यक्ष;
2.	कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी	- सदस्य;
3.	सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी	- सदस्य।

समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

- | | | |
|----|---|------------|
| 1. | ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी | - अध्यक्ष; |
| 2. | कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी | - सदस्य; |
| 3. | सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी | - सदस्य। |

(13)

लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)
66. यान मैकेनिक (एम वी) (अति कुशल ग्रेड-II)।	27* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, औद्योगिक।

(4)	(5)	(6)
वेतन मैट्रिक्स स्तर-4 (रु 25500-81100)।	अचयन पद।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न और हो सकने पर अंतरण द्वारा

(11)

प्रोन्नति : यान मैकेनिक (एम वी) (कुशल) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (रु 19900-63200) में नियमित श्रेणी में आठ वर्ष की सेवा की हो तथा ट्रेड टेस्ट पास किया हुआ हो।

अंतरण : समरूप या समतुल्य या रक्षा सेवा की निम्नतर संरचनाओं में सिविल पद में उच्चतर ग्रेड पर कार्य करने वाला व्यक्ति।

(12)

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

- | | | |
|----|---|------------|
| 1. | ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी | - अध्यक्ष; |
| 2. | कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी | - सदस्य; |
| 3. | सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी | - सदस्य। |

(13)

लागू नहीं होता।

(1)	(2)
67. यान मैकेनिक (एम वी) (कुशल)	60* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

(3)	(4)	(5)	(6)
साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, औद्योगिक।	वेतन मैट्रिक्स स्तर-2 (रू 19900-63200)।	अचयन पद।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(10)
प्रवृत्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर अंतरण द्वारा।

(11)
प्रवृत्ति : ट्रेड्समैन (अर्द्धकुशल) या ट्रेड्समैन मेट जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (रू 18000-56900) में उस श्रेणी में तीन वर्ष की अर्हक सेवा की हो तथा ट्रेड टेस्ट पास किया हुआ हो। टिप्पण:- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रवृत्ति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रवृत्ति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो अंतरण : समरूप या समतुल्य या रक्षा सेवा की निम्नतर संरचनाओं में सिविल पद में उच्चतर ग्रेड पर कार्य करने वाला व्यक्ति।

(12)
समूह 'ग' विभागीय प्रवृत्ति समिति (प्रवृत्ति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-
1. ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी - अध्यक्ष; 2. कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी - सदस्य; 3. सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी -सदस्य।

(13)
लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)
68. टाइप राइटर मैकेनिक/मैकेनिक टाइप राइटर और प्रतिलिपित्र (अति कुशल ग्रेड-1)।	03* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, औद्योगिक।

(4)	(5)
वेतन मैट्रिक्स स्तर-5 (रु 29200-92300)।	अचयन पद।

(6)
18-27 वर्ष के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख या लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

(7)
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य, किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से किसी ट्रेड में प्रमाणपत्र या समतुल्य डिप्लोमा।

(8)	(9)
लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

(10)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर अंतरण द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और इन सभी के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(11)
प्रोन्नति : टाइप राइटर मैकेनिक/मैकेनिक टाइप राइटर और प्रतिलिपित्र (अति कुशल ग्रेड-II) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (रु 25500-81100) में श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो टिप्पण:- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। अंतरण : समरूप या समतुल्य या रक्षा सेवा की निम्नतर संरचनाओं में सिविल पद में उच्चतर ग्रेड पर कार्य करने वाला व्यक्ति। प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन अधिकारी :- (क) (i) जिन्होंने मूल कॉडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ हो; या (ii) जिन्होंने मूल कॉडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (रु 25500-81100) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात दी गई श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो; और

(ख) जिनके पास स्तंभ (7) की अधीन विहित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव हो।

टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

1. ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी - अध्यक्ष;
2. कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी - सदस्य;
3. सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी - सदस्य।

समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

1. ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी - अध्यक्ष;
2. कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी - सदस्य;
3. सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी - सदस्य।

(13)

लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)
69. टाइप राइटर मैकेनिक/मैकेनिक टाइप राइटर और प्रतिलिपित्र (अति कुशल ग्रेड-II)।	03* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, औद्योगिक।

(4)	(5)	(6)
वेतन मैट्रिक्स स्तर-4 (रू 25500-81100)।	अचयन पद।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न और हो सकने पर अंतरण द्वारा

(11)
प्रोन्नति : टाइप राइटर मैकेनिक/मैकेनिक टाइप राइटर और प्रतिलिपित्र (कुशल) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (रु 19900-63200) में नियमित श्रेणी में आठ वर्ष की सेवा की हो तथा ट्रेड टेस्ट पास किया हुआ हो। अंतरण : समरूप या समतुल्य या रक्षा सेवा की निम्नतर संरचनाओं में सिविल पद में उच्चतर ग्रेड पर कार्य करने वाला व्यक्ति।

(12)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी - अध्यक्ष; 2. कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी - सदस्य; 3. सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी - सदस्य।

(13)
लागू नहीं होता।

(1)	(2)
70. टाइप राइटर मैकेनिक/मैकेनिक टाइप राइटर और प्रतिलिपित्र (कुशल)	08* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

(3)	(4)	(5)	(6)
साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, औद्योगिक।	वेतन मैट्रिक्स स्तर-2 (रु 19900-63200)।	अचयन पद।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(10)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर अंतरण द्वारा।

(11)
प्रोन्नति : ट्रेड्समैन (अर्द्धकुशल) या ट्रेड्समैन मेट जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (रु 18000-56900) में श्रेणी में तीन वर्ष की अर्हक सेवा की हो तथा ट्रेड टेस्ट पास किया हुआ हो। टिप्पण:- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो अंतरण : समरूप या समतुल्य या रक्षा सेवा की निम्नतर संरचनाओं में सिविल पद में उच्चतर ग्रेड पर कार्य करने वाला व्यक्ति।

(12)		
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-		
1.	ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी	- अध्यक्ष;
2.	कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी	- सदस्य;
3.	सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी	-सदस्य।

(13)
लागू नहीं होता।

(1)	(2)
71. सिग्नल फिटर (कुशल)	01* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

(3)	(4)	(5)	(6)
साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, औद्योगिक।	वेतन मैट्रिक्स स्तर-2 (रु 19900-63200)।	अचयन पद।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(10)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर अंतरण द्वारा।

(11)
प्रोन्नति : ट्रेड्समैन (अर्द्धकुशल) या ट्रेड्समैन मेट जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (रु 18000-56900) में श्रेणी में तीन वर्ष की अर्हक सेवा की हो तथा ट्रेड टेस्ट पास किया हुआ हो। टिप्पण:- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो अंतरण : समरूप या समतुल्य या रक्षा सेवा की निम्नतर संरचनाओं में सिविल पद में उच्चतर ग्रेड पर कार्य करने वाला व्यक्ति।

(12)		
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-		
1.	ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी	- अध्यक्ष;
2.	कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी	- सदस्य;
3.	सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी	-सदस्य।

(13)
लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)
72. फिटर (एम वी) (अति कुशल ग्रेड-I)।	05* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, औद्योगिक।

(4)	(5)
वेतन मैट्रिक्स स्तर-5 (रू 29200-92300)।	अचयन पद।

(6)
18-27 वर्ष के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख या लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

(7)
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य, किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से किसी ट्रेड में प्रमाणपत्र या समतुल्य डिप्लोमा।

(8)	(9)
लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

(10)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न और हो सकने पर अंतरण द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और इन सभी के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(11)

प्रोन्नति : फिटर (एम वी) (अति कुशल ग्रेड-II) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (रु 25500-81100) में श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो।

टिप्पण:- जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

अंतरण : समरूप या समतुल्य या रक्षा सेवा की निम्नतर संरचनाओं में सिविल पद में उच्चतर ग्रेड पर कार्य करने वाला व्यक्ति।

प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन अधिकारी :-

(क) (i) जिन्होंने मूल कॉडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ हो; या

(ii) जिन्होंने मूल कॉडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (रु 25500-81100) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् दी गई श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो; और

(ख) जिनके पास स्तंभ (7) की अधीन विहित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव हो।

टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

1. ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी - अध्यक्ष;
2. कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी - सदस्य;
3. सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी - सदस्य।

समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

1. ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी - अध्यक्ष;
2. कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी - सदस्य;
3. सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी - सदस्य।

(13)

लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)
73. फिटर (एम वी) (अति कुशल ग्रेड-II)।	05* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, औद्योगिक।

(4)	(5)	(6)
वेतन मैट्रिक्स स्तर-4 (रु 25500-81100)।	अचयन पद।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न और हो सकने पर अंतरण द्वारा

(11)
प्रोन्नति : फिटर (एम वी) (कुशल) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (रु 19900-63200) में नियमित श्रेणी में आठ वर्ष की सेवा की हो तथा ट्रेड टेस्ट पास किया हुआ हो। अंतरण : समरूप या समतुल्य या रक्षा सेवा की निम्नतर संरचनाओं में सिविल पद में उच्चतर ग्रेड पर कार्य करने वाला व्यक्ति।

(12)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी - अध्यक्ष; 2. कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी - सदस्य; 3. सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी - सदस्य।

(13)
लागू नहीं होता।

(1)	(2)
74. फिटर (एम वी) (कुशल)	11* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

(3)	(4)	(5)	(6)
साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, औद्योगिक।	वेतन मैट्रिक्स स्तर-2 (रु 19900-63200)।	अचयन पद।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(10)
प्रन्नोति द्वारा जिसके न हो सकने पर अंतरण द्वारा।

(11)
प्रोन्नति : ट्रेड्समैन (अर्द्धकुशल) या ट्रेड्समैन मेट जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (रु 18000-56900) में श्रेणी में तीन वर्ष की अर्हक सेवा की हो तथा ट्रेड टेस्ट पास किया हुआ हो। टिप्पण:- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो अंतरण : समरूप या समतुल्य या रक्षा सेवा की निम्नतर संरचनाओं में सिविल पद में उच्चतर ग्रेड पर कार्य करने वाला व्यक्ति।

(12)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी - अध्यक्ष; 2. कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी - सदस्य; 3. सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी -सदस्य।

(13)
लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)
75. लोहार (अति कुशल ग्रेड-1)।	36* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, औद्योगिक।

(4)	(5)
वेतन मैट्रिक्स स्तर-5 (रु 29200-92300)।	अचयन पद।

(6)
18-27 वर्ष के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख या लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

(7)
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य, किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से किसी ट्रेड में प्रमाणपत्र या समतुल्य डिप्लोमा।

(8)	(9)
लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

(10)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न और हो सकने पर अंतरण द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और इन सभी के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(11)
प्रोन्नति : लोहार (अति कुशल ग्रेड-II) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (रु 25500-81100) में श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो। टिप्पण:- जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। अंतरण : समरूप या समतुल्य या रक्षा सेवा की निम्नतर संरचनाओं में सिविल पद में उच्चतर ग्रेड पर कार्य करने वाला व्यक्ति। प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन अधिकारी :- (क) (i) जिन्होंने मूल कॉडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ हो; या (ii) जिन्होंने मूल कॉडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (रु 25500-81100) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् दी गई श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो; और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) की अधीन विहित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव हो। टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी - अध्यक्ष;

2.	कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी	- सदस्य;
3.	सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी	- सदस्य।
समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-		
1.	ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी	- अध्यक्ष;
2.	कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी	- सदस्य;
3.	सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी	- सदस्य।

(13)
लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)
76. लोहार (अति कुशल ग्रेड-II)।	36* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, औद्योगिक।

(4)	(5)	(6)
वेतन मैट्रिक्स स्तर-4 (रु 25500-81100)।	अचयन पद।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न और हो सकने पर अंतरण द्वारा

(11)
प्रोन्नति : लोहार (कुशल) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (रु 19900-63200) में नियमित श्रेणी में आठ वर्ष की सेवा की हो तथा ट्रेड टेस्ट पास किया हुआ हो।
अंतरण : समरूप या समतुल्य या रक्षा सेवा की निम्नतर संरचनाओं में सिविल पद में उच्चतर ग्रेड पर कार्य करने वाला व्यक्ति।

(12)		
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-		
1.	ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी	- अध्यक्ष;
2.	कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी	- सदस्य;
3.	सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी	- सदस्य।

(13)
लागू नहीं होता।

(1)	(2)
77. लोहार (कुशल)	79* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

(3)	(4)	(5)	(6)
साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, औद्योगिक।	वेतन मैट्रिक्स स्तर-2 (रु 19900-63200)।	अचयन पद।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(10)
प्रन्नोति द्वारा जिसके न हो सकने पर अंतरण द्वारा।

(11)
प्रोन्नति : ट्रेड्समैन (अर्द्धकुशल) या ट्रेड्समैन मेट जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (रु 18000-56900) में श्रेणी में तीन वर्ष की अर्हक सेवा की हो तथा ट्रेड टेस्ट पास किया हुआ हो। टिप्पण:- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो अंतरण : समरूप या समतुल्य या रक्षा सेवा की निम्नतर संरचनाओं में सिविल पद में उच्चतर ग्रेड पर कार्य करने वाला व्यक्ति।

(12)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- - ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी - अध्यक्ष; - कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी - सदस्य; - सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी -सदस्य।

(13)
लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)
78. बायलर परिचर (अति कुशल ग्रेड-1)।	01* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, औद्योगिक।

(4)	(5)
वेतन मैट्रिक्स स्तर-5 (रू 29200-92300)।	अच्यन पद।

(6)
18-27 वर्ष के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख या लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

(7)
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य, किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से किसी ट्रेड में प्रमाणपत्र या समतुल्य डिप्लोमा।

(8)	(9)
लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

(10)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर अंतरण द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और इन सभी के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(11)
प्रोन्नति : बायलर परिचर (अति कुशल ग्रेड-11) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (रू 25500-81100) में श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो। टिप्पण:- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। अंतरण : समरूप या समतुल्य या रक्षा सेवा की निम्नतर संरचनाओं में सिविल पद में उच्चतर ग्रेड पर कार्य करने वाला व्यक्ति।

प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन अधिकारी :-

- (क) (i) जिन्होंने मूल कॉडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ हो; या
(ii) जिन्होंने मूल कॉडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (रु 25500-81100) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात दी गई श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो; और
- (ख) जिनके पास स्तंभ (7) की अधीन विहित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव हो।

टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

1. ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी - अध्यक्ष;
2. कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी - सदस्य;
3. सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी - सदस्य।

समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

1. ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी - अध्यक्ष;
2. कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी - सदस्य;
3. सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी - सदस्य।

(13)

लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)
79. बायलर परिचर (अति कुशल ग्रेड-II)।	01* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, औद्योगिक।

(4)	(5)	(6)
वेतन मैट्रिक्स स्तर-4 (रु 25500-81100)।	अचयन पद।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न और हो सकने पर अंतरण द्वारा

(11)
प्रोन्नति : बायलर परिचर (कुशल) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (रू 19900-63200) में नियमित श्रेणी में आठ वर्ष की सेवा की हो तथा ट्रेड टेस्ट पास किया हुआ हो।
अंतरण : समरूप या समतुल्य या रक्षा सेवा की निम्नतर संरचनाओं में सिविल पद में उच्चतर ग्रेड पर कार्य करने वाला व्यक्ति।

(12)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-
1. ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी - अध्यक्ष;
2. कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी - सदस्य;
3. सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी - सदस्य।

(13)
लागू नहीं होता।

(1)	(2)
80. बायलर परिचर (कुशल)	02* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

(3)	(4)	(5)	(6)
साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, औद्योगिक।	वेतन मैट्रिक्स स्तर-2 (रू 19900-63200)।	अचयन पद।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(10)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर अंतरण द्वारा।

(11)
प्रोन्नति : ट्रेड्समैन (अर्द्धकुशल) या ट्रेड्समैन मेट जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (रू 18000-56900) में श्रेणी में तीन वर्ष की अर्हक सेवा की हो तथा ट्रेड टेस्ट पास किया हुआ हो।

टिप्पण:- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो

अंतरण : समरूप या समतुल्य या रक्षा सेवा की निम्नतर संरचनाओं में सिविल पद में उच्चतर ग्रेड पर कार्य करने वाला व्यक्ति।

(12)

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

1. ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी - अध्यक्ष;
2. कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी - सदस्य;
3. सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी -सदस्य।

(13)

लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)
81. काष्ठकार और संयोजक (अति कुशल ग्रेड-1)।	210* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, औद्योगिक।

(4)	(5)
वेतन मैट्रिक्स स्तर-5 (रु 29200-92300)।	अचयन पद।

(6)

18-27 वर्ष के बीच।

(केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)।

टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख या लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

(7)

किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य, किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से किसी ट्रेड में प्रमाणपत्र या समतुल्य डिप्लोमा।

(8)	(9)
लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

(10)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर अंतरण द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और इन सभी के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(11)
प्रोन्नति : काष्ठकार और संयोजक (अति कुशल ग्रेड-II) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (रु 25500-81100) में श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो। टिप्पण:- जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। अंतरण : समरूप या समतुल्य या रक्षा सेवा की निम्नतर संरचनाओं में सिविल पद में उच्चतर ग्रेड पर कार्य करने वाला व्यक्ति। प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन अधिकारी :- (क) (i) जिन्होंने मूल कॉडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ हो; या (ii) जिन्होंने मूल कॉडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (रु 25500-81100) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् दी गई श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो; और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) की अधीन विहित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव हो। टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- - ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी - अध्यक्ष; - कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी - सदस्य; - सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी - सदस्य। समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- - ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी - अध्यक्ष;

2.	कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी	- सदस्य;
3.	सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी	- सदस्य।

(13)
लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)
82. काष्ठकार और संयोजक (अति कुशल ग्रेड-II)।	210* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, औद्योगिक।

(4)	(5)	(6)
वेतन मैट्रिक्स स्तर-4 (रु 25500-81100)।	अचयन पद।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न और हो सकने पर अंतरण द्वारा

(11)
प्रोन्नति : काष्ठकार और संयोजक (कुशल) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (रु 19900-63200) में नियमित श्रेणी में आठ वर्ष की सेवा की हो।
अंतरण : समरूप या समतुल्य या रक्षा सेवा की निम्नतर संरचनाओं में सिविल पद में उच्चतर ग्रेड पर कार्य करने वाला व्यक्ति।

(12)		
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-		
1.	ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी	- अध्यक्ष;
2.	कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी	- सदस्य;
3.	सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी	- सदस्य।

(13)
लागू नहीं होता।

(1)	(2)
83. काष्ठकार और संयोजक (कुशल)	460* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

(3)	(4)	(5)	(6)
साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, औद्योगिक।	वेतन मैट्रिक्स स्तर-2 (रु 19900-63200)।	अचयन पद।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(10)
प्रन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर अंतरण द्वारा।

(11)
प्रोन्नति : ट्रेड्समैन (अर्द्धकुशल) या ट्रेड्समैन मेट जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (रु 18000-56900) में श्रेणी में तीन वर्ष की अर्हक सेवा की हो तथा ट्रेड टेस्ट पास किया हुआ हो। टिप्पण:- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो अंतरण : समरूप या समतुल्य या रक्षा सेवा की निम्नतर संरचनाओं में सिविल पद में उच्चतर ग्रेड पर कार्य करने वाला व्यक्ति।

(12)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी - अध्यक्ष; 2. कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी - सदस्य; 3. सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी -सदस्य।

(13)
लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)
84. कम्पोजीटर (अति कुशल ग्रेड-1)।	10* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, औद्योगिक।

(4)	(5)
वेतन मैट्रिक्स स्तर-5 (रु 29200-92300)।	अचयन पद।

(6)
18-27 वर्ष के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख या लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

(7)
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य, किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से किसी ट्रेड में प्रमाणपत्र या समतुल्य डिप्लोमा।

(8)	(9)
लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

(10)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर अंतरण द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और इन सभी के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(11)
प्रोन्नति : कम्पोजीटर (अति कुशल ग्रेड-II) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (रु 25500-81100) में श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो। टिप्पण:- जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। अंतरण : समरूप या समतुल्य या रक्षा सेवा की निम्नतर संरचनाओं में सिविल पद में उच्चतर ग्रेड पर कार्य करने वाला व्यक्ति। प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन अधिकारी :- (क) (i) जिन्होंने मूल कॉडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ हो; या (ii) जिन्होंने मूल कॉडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (रु 25500-81100) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात दी गई श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो; और

(ख) जिनके पास स्तंभ (7) की अधीन विहित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव हो।

टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

1. ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी - अध्यक्ष;
2. कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी - सदस्य;
3. सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी - सदस्य।

समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

1. ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी - अध्यक्ष;
2. कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी - सदस्य;
3. सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी - सदस्य।

(13)

लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)
85. कम्पोजीटर (अति कुशल ग्रेड-II)।	10* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, औद्योगिक।

(4)	(5)
वेतन मैट्रिक्स स्तर-4 (रु 25500-81100)।	लागू नहीं होता।

(6)
18-27 वर्ष के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख या लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

(7)
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य, किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से किसी ट्रेड में प्रमाणपत्र या समतुल्य डिप्लोमा।

(8)	(9)
लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

(10)
अंतरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(11)
अंतरण : समरूप या समतुल्य या रक्षा सेवा की निम्नतर संरचनाओं में सिविल पद में उच्चतर ग्रेड पर कार्य करने वाला व्यक्ति।

(12)
समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी - अध्यक्ष; 2. कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी - सदस्य; 3. सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी - सदस्य।

(13)
लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)
86. इंजन ड्राइवर (अति कुशल ग्रेड-II)।	01* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, औद्योगिक।

(4)	(5)	(6)
वेतन मैट्रिक्स स्तर-4 (रू 25500-81100)।	अचयन पद।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न और हो सकने पर अंतरण द्वारा

(11)
प्रोन्नति : इंजन ड्राइवर (कुशल) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (रू 19900-63200) में नियमित श्रेणी में आठ वर्ष की सेवा की हो तथा ट्रेड टेस्ट पास किया हुआ हो। अंतरण : समरूप या समतुल्य या रक्षा सेवा की निम्नतर संरचनाओं में सिविल पद में उच्चतर ग्रेड पर कार्य करने वाला व्यक्ति।

(12)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- - ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी - अध्यक्ष; - कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी - सदस्य; - सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी - सदस्य।

(13)
लागू नहीं होता।

(1)	(2)
87. इंजन ड्राइवर (कुशल)	01* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

(3)	(4)	(5)	(6)
साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, औद्योगिक।	वेतन मैट्रिक्स स्तर-2 (रू 19900-63200)।	अचयन पद।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(10)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर अंतरण द्वारा।

(11)

प्रोन्नति : ट्रेड्समैन (अर्द्धकुशल) या ट्रेड्समैन मेट जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (रु 18000-56900) में श्रेणी में तीन वर्ष की अर्हक सेवा की हो तथा ट्रेड टेस्ट पास किया हुआ हो।

टिप्पण:- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो

अंतरण : समरूप या समतुल्य या रक्षा सेवा की निम्नतर संरचनाओं में सिविल पद में उच्चतर ग्रेड पर कार्य करने वाला व्यक्ति।

(12)

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

1. ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी - अध्यक्ष;
2. कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी - सदस्य;
3. सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी -सदस्य।

(13)

लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)
88. मोल्डर (अति कुशल ग्रेड-1)।	04* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, औद्योगिक।

(4)	(5)
वेतन मैट्रिक्स स्तर-5 (रु 29200-92300)।	अचयन पद।

(6)

18-27 वर्ष के बीच।

(केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)।

टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख या लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

(7)
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य, किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से किसी ट्रेड में प्रमाणपत्र या समतुल्य डिप्लोमा।

(8)	(9)
लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

(10)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न और हो सकने पर अंतरण द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और इन सभी के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(11)
प्रोन्नति : मोल्डर (अति कुशल ग्रेड-II) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (रु 25500-81100) में श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो। टिप्पण:- जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। अंतरण : समरूप या समतुल्य या रक्षा सेवा की निम्नतर संरचनाओं में सिविल पद में उच्चतर ग्रेड पर कार्य करने वाला व्यक्ति। प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन अधिकारी :- (क) (i) जिन्होंने मूल कॉडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ हो; या (ii) जिन्होंने मूल कॉडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (रु 25500-81100) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् दी गई श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो; और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) की अधीन विहित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव हो। टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-	
1.	ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी - अध्यक्ष;
2.	कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी - सदस्य;
3.	सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी - सदस्य।

समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

- | | | |
|----|---|------------|
| 1. | ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी | - अध्यक्ष; |
| 2. | कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी | - सदस्य; |
| 3. | सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी | - सदस्य। |

(13)

लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)
89. मोल्डर (अति कुशल ग्रेड-II)।	04* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, औद्योगिक।

(4)	(5)	(6)
वेतन मैट्रिक्स स्तर-4 (रु 25500-81100)।	अचयन पद।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न और हो सकने पर अंतरण द्वारा

(11)

प्रोन्नति : मोल्डर (कुशल) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (रु 19900-63200) में नियमित श्रेणी में आठ वर्ष की सेवा की हो तथा ट्रेड टेस्ट पास किया हुआ हो।

अंतरण : समरूप या समतुल्य या रक्षा सेवा की निम्नतर संरचनाओं में सिविल पद में उच्चतर ग्रेड पर कार्य करने वाला व्यक्ति।

(12)

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

- | | | |
|----|---|------------|
| 1. | ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी | - अध्यक्ष; |
| 2. | कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी | - सदस्य; |
| 3. | सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी | - सदस्य। |

(13)

लागू नहीं होता।

(1)	(2)
90. मोल्डर (कुशल)।	09* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

(3)	(4)	(5)	(6)
साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, औद्योगिक।	वेतन मैट्रिक्स स्तर-2 (रु 19900-63200)।	अचयन पद।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(10)
प्रन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर अंतरण द्वारा।

(11)
प्रोन्नति : ट्रेड्समैन (अर्द्धकुशल) या ट्रेड्समैन मेट जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (रु 18000-56900) में श्रेणी में तीन वर्ष की अर्हक सेवा की हो तथा ट्रेड टेस्ट पास किया हुआ हो। टिप्पण:- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो अंतरण : समरूप या समतुल्य या रक्षा सेवा की निम्नतर संरचनाओं में सिविल पद में उच्चतर ग्रेड पर कार्य करने वाला व्यक्ति।

(12)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति) प्रोन्नति पर विचार करने के लिए (जिसमें निम्नलिखित होंगे :-
.1 ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी -अध्यक्ष; .2 कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी -सदस्य; .3 सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजप रैंक का एक अधिकारी -सदस्य।

(13)
लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)
91. खरादी (सॉयर) (अति कुशल ग्रेड-I)।	34* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, औद्योगिक।

(4)	(5)
वेतन मैट्रिक्स स्तर-5 (रु 29200-92300)।	अचयन पद।

(6)
18-27 वर्ष के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख या लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

(7)
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य, किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से किसी ट्रेड में प्रमाणपत्र या समतुल्य डिप्लोमा।

(8)	(9)
लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

(10)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न और हो सकने पर अंतरण द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और इन सभी के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(11)
प्रोन्नति : खरादी (सॉयर) (अति कुशल ग्रेड-II) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (रु 25500-81100) में श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो। टिप्पण:- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। अंतरण : समरूप या समतुल्य या रक्षा सेवा की निम्नतर संरचनाओं में सिविल पद में उच्चतर ग्रेड पर कार्य करने वाला व्यक्ति।

प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन अधिकारी :-

- (क) (i) जिन्होंने मूल कॉडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ हो; या
- (ii) जिन्होंने मूल कॉडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (रु 25500-81100) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् दी गई श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो; और
- (ख) जिनके पास स्तंभ (7) की अधीन विहित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव हो।

टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

1. ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी - अध्यक्ष;
2. कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी - सदस्य;
3. सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी - सदस्य।

समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

1. ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी - अध्यक्ष;
2. कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी - सदस्य;
3. सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी - सदस्य।

(13)

लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)
92. खरादी (सॉयर) (अति कुशल ग्रेड-II)।	34* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, औद्योगिक।

(4)	(5)	(6)
वेतन मैट्रिक्स स्तर-4 (रु 25500-81100)।	अचयन पद।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न और हो सकने पर अंतरण द्वारा

(11)
प्रोन्नति : खरादी (सॉयर) (कुशल) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (रू 19900-63200) में नियमित श्रेणी में आठ वर्ष की सेवा की हो तथा ट्रेड टेस्ट पास किया हुआ हो। अंतरण : समरूप या समतुल्य या रक्षा सेवा की निम्नतर संरचनाओं में सिविल पद में उच्चतर ग्रेड पर कार्य करने वाला व्यक्ति।

(12)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी - अध्यक्ष; 2. कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी - सदस्य; 3. सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी - सदस्य।

(13)
लागू नहीं होता।

(1)	(2)
93. खरादी (सॉयर) (कुशल)	75* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

(3)	(4)	(5)	(6)
साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, औद्योगिक।	वेतन मैट्रिक्स स्तर-2 (रू 19900-63200)।	अचयन पद।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(10)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर अंतरण द्वारा।

(11)
प्रोन्नति : ट्रेड्समैन (अर्द्धकुशल) या ट्रेड्समैन मेट जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (रू 18000-56900) में उस श्रेणी में तीन वर्ष की अर्हक सेवा की हो तथा ट्रेड टेस्ट पास किया हुआ हो। टिप्पण:- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता

सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो

अंतरण : समरूप या समतुल्य या रक्षा सेवा की निम्नतर संरचनाओं में सिविल पद में उच्चतर ग्रेड पर कार्य करने वाला व्यक्ति।

(12)

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति) प्रोन्नति पर विचार करने के लिए (जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

- | | | |
|----|---|-----------|
| 1. | ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी | -अध्यक्ष; |
| 2. | कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी | -सदस्य; |
| 3. | सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक या मेजर का एक अधिकारी | -सदस्य। |

(13)

लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)
94. टीन और ताम्रकार (अति कुशल ग्रेड-1)।	24* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, औद्योगिक।

(4)	(5)
वेतन मैट्रिक्स स्तर-5 (रु 29200-92300)।	अचयन पद।

(6)

18-27 वर्ष के बीच।

(केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)।

टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख या लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

(7)

किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य, किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से किसी ट्रेड में प्रमाणपत्र या समतुल्य डिप्लोमा।

(8)	(9)
लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

(10)

प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर अंतरण द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और इन सभी के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(11)

प्रोन्नति : टीन और ताम्रकार (अति कुशल ग्रेड-II) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (रु 25500-81100) में श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो।

टिप्पण:- जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

अंतरण : समरूप या समतुल्य या रक्षा सेवा की निम्नतर संरचनाओं में सिविल पद में उच्चतर ग्रेड पर कार्य करने वाला व्यक्ति।

प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन अधिकारी :-

(क) (i) जिन्होंने मूल कॉडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ हो; या

(ii) जिन्होंने मूल कॉडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (रु 25500-81100) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् दी गई श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो; और

(ख) जिनके पास स्तंभ (7) की अधीन विहित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव हो।

टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

1. ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी - अध्यक्ष;
2. कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी - सदस्य;
3. सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी - सदस्य।

समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

1. ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी - अध्यक्ष;
2. कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी - सदस्य;
3. सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी - सदस्य।

(13)
लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)
95. टीन और ताम्रकार (अति कुशल ग्रेड-II)।	24* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, औद्योगिक।

(4)	(5)	(6)
वेतन मैट्रिक्स स्तर-4 (रु 25500-81100)।	अचयन पद।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न और हो सकने पर अंतरण द्वारा

(11)
प्रोन्नति : टीन और ताम्रकार (कुशल) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (रु 19900-63200) में नियमित श्रेणी में आठ वर्ष की सेवा की हो तथा ट्रेड टेस्ट पास किया हुआ हो। अंतरण : समरूप या समतुल्य या रक्षा सेवा की निम्नतर संरचनाओं में सिविल पद में उच्चतर ग्रेड पर कार्य करने वाला व्यक्ति।

(12)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- - ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी - अध्यक्ष; - कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी - सदस्य; - सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी - सदस्य।

(13)
लागू नहीं होता।

(1)	(2)
96. टीन और ताम्रकार (कुशल)	52* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

(3)	(4)	(5)	(6)
साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, औद्योगिक।	वेतन मैट्रिक्स स्तर-2 (रु 19900-63200)।	अचयन पद।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(10)
प्रन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर अंतरण द्वारा।

(11)
प्रोन्नति : ट्रेड्समैन (अर्द्धकुशल) या ट्रेड्समैन मेट जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (रु 18000-56900) में श्रेणी में तीन वर्ष की अर्हक सेवा की हो तथा ट्रेड टेस्ट पास किया हुआ हो। टिप्पण:- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो अंतरण : समरूप या समतुल्य या रक्षा सेवा की निम्नतर संरचनाओं में सिविल पद में उच्चतर ग्रेड पर कार्य करने वाला व्यक्ति।

(12)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-
- ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी - अध्यक्ष; - कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी - सदस्य; - सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी -सदस्य।

(13)
लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)
97. जिल्दसाज (अति कुशल ग्रेड-1)।	03* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, औद्योगिक।

(4)	(5)
वेतन मैट्रिक्स स्तर-5 (रु 29200-92300)।	अचयन पद।

(6)

18-27 वर्ष के बीच।

(केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)।

टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख या लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

(7)

किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य, किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से किसी ट्रेड में प्रमाणपत्र या समतुल्य डिप्लोमा।

(8)

लागू नहीं होता।

(9)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

(10)

प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर अंतरण द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और इन सभी के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(11)

प्रोन्नति : जिल्दसाज (अति कुशल ग्रेड-II) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (रु 25500-81100) में श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो।

टिप्पण:- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

अंतरण : समरूप या समतुल्य या रक्षा सेवा की निम्नतर संरचनाओं में सिविल पद में उच्चतर ग्रेड पर कार्य करने वाला व्यक्ति।

प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन अधिकारी :-

(क) (i) जिन्होंने मूल कॉडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ हो; या

(ii) जिन्होंने मूल कॉडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (रु 25500-81100) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात दी गई श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो; और

(ख) जिनके पास स्तंभ (7) की अधीन विहित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव हो।

टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)		
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-		
1.	ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी	- अध्यक्ष;
2.	कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी	- सदस्य;
3.	सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी	- सदस्य।
समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-		
1.	ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी	- अध्यक्ष;
2.	कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी	- सदस्य;
3.	सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी	- सदस्य।

(13)
लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)
98. जिल्दसाज (अति कुशल ग्रेड-II)।	03* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, औद्योगिक।

(4)	(5)	(6)
वेतन मैट्रिक्स स्तर-4 (रु 25500-81100)।	अचयन पद।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न और हो सकने पर अंतरण द्वारा

(11)
प्रोन्नति : जिल्दसाज (कुशल) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (रु 19900-63200) में नियमित श्रेणी में आठ वर्ष की सेवा की हो तथा ट्रेड टेस्ट पास किया हुआ हो। अंतरण : समरूप या समतुल्य या रक्षा सेवा की निम्नतर संरचनाओं में सिविल पद में उच्चतर ग्रेड पर कार्य करने वाला व्यक्ति।

(12)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-
1. ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी - अध्यक्ष;
2. कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी - सदस्य;
3. सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी - सदस्य।

(13)
लागू नहीं होता।

(1)	(2)
99. जिल्दसाज (कुशल)	06* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

(3)	(4)	(5)	(6)
साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, औद्योगिक।	वेतन मैट्रिक्स स्तर-2 (रू 19900-63200)।	अचयन पद।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(10)
प्रन्नोति द्वारा जिसके न हो सकने पर अंतरण द्वारा।

(11)
प्रोन्नति : ट्रेड्समैन (अर्द्धकुशल) या ट्रेड्समैन मेट जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (रू 18000-56900) में श्रेणी में तीन वर्ष की अर्हक सेवा की हो तथा ट्रेड टेस्ट पास किया हुआ हो। टिप्पण:- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो अंतरण : समरूप या समतुल्य या रक्षा सेवा की निम्नतर संरचनाओं में सिविल पद में उच्चतर ग्रेड पर कार्य करने वाला व्यक्ति।

(12)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी - अध्यक्ष; 2. कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी - सदस्य; 3. सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी -सदस्य।

(13)
लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)
100. क्रेन ड्राइवर (अति कुशल ग्रेड-I)।	03* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, औद्योगिक।

(4)	(5)
वेतन मैट्रिक्स स्तर-5 (रू 29200-92300)।	अचयन पद।

(6)
18-27 वर्ष के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख या लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

(7)
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य, किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से किसी ट्रेड में प्रमाणपत्र या समतुल्य डिप्लोमा।

(8)	(9)
लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

(10)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर अंतरण द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और इन सभी के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(11)
प्रोन्नति : क्रेन ड्राइवर (अति कुशल ग्रेड-II) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (रू 25500-81100) में श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो। टिप्पण:- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। अंतरण : समरूप या समतुल्य या रक्षा सेवा की निम्नतर संरचनाओं में सिविल पद में उच्चतर ग्रेड पर कार्य करने वाला व्यक्ति।

प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन अधिकारी :-

(क) (i) जिन्होंने मूल कॉडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ हो; या

(ii) जिन्होंने मूल कॉडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (रु 25500-81100) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् दी गई श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो; और

(ख) जिनके पास स्तंभ (7) की अधीन विहित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव हो।

टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

1. ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी - अध्यक्ष;
2. कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी - सदस्य;
3. सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी - सदस्य।

समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

1. ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी - अध्यक्ष;
2. कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी - सदस्य;
3. सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी - सदस्य।

(13)

लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)
101. क्रेन ड्राइवर (अति कुशल ग्रेड-II)।	03* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, औद्योगिक।

(4)	(5)	(6)
वेतन मैट्रिक्स स्तर-4 (रु 25500-81100)।	अचयन पद।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न और हो सकने पर अंतरण द्वारा

(11)
प्रोन्नति : क्रेन ड्राइवर (कुशल) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (रु 19900-63200) में नियमित श्रेणी में आठ वर्ष की सेवा की हो तथा ट्रेड टेस्ट पास किया हुआ हो।
अंतरण : समरूप या समतुल्य या रक्षा सेवा की निम्नतर संरचनाओं में सिविल पद में उच्चतर ग्रेड पर कार्य करने वाला व्यक्ति।

(12)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-
1. ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी - अध्यक्ष;
2. कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी - सदस्य;
3. सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी - सदस्य।

(13)
लागू नहीं होता।

(1)	(2)
102. क्रेन ड्राइवर (कुशल)	07* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

(3)	(4)	(5)	(6)
साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, औद्योगिक।	वेतन मैट्रिक्स स्तर-2 (रु 19900-63200)।	अचयन पद।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(10)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर अंतरण द्वारा।

(11)
प्रोन्नति : ट्रेड्समैन (अर्द्धकुशल) या ट्रेड्समैन मेट जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (रु 18000-56900) में उस श्रेणी में तीन वर्ष की अर्हक सेवा की हो तथा ट्रेड टेस्ट पास किया हुआ हो।

टिप्पण:- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो

अंतरण : समरूप या समतुल्य या रक्षा सेवा की निम्नतर संरचनाओं में सिविल पद में उच्चतर ग्रेड पर कार्य करने वाला व्यक्ति।

(12)

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

1. ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी - अध्यक्ष;
2. कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी - सदस्य;
3. सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी - सदस्य।

(13)

लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)
103. ड्राइवर मैकेनिक (अति कुशल ग्रेड-1)।	01* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, औद्योगिक।

(4)	(5)
वेतन मैट्रिक्स स्तर-5 (रू 29200-92300)।	अचयन पद।

(6)

18-27 वर्ष के बीच।

(केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)।

टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख या लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

(7)

किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य, किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से किसी ट्रेड में प्रमाणपत्र या समतुल्य डिप्लोमा।

(8)	(9)
लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

(10)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर अंतरण द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और इन सभी के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(11)
प्रोन्नति : ड्राइवर मैकेनिक (अति कुशल ग्रेड-II) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (रु 25500-81100) में श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो। टिप्पण:- जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। अंतरण : समरूप या समतुल्य या रक्षा सेवा की निम्नतर संरचनाओं में सिविल पद में उच्चतर ग्रेड पर कार्य करने वाला व्यक्ति। प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन अधिकारी :- (क) (i) जिन्होंने मूल कॉडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ हो; या (ii) जिन्होंने मूल कॉडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (रु 25500-81100) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात दी गई श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो; और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) की अधीन विहित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव हो। टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)		
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-		
1.	ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी	- अध्यक्ष;
2.	कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी	- सदस्य;
3.	सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी	- सदस्य।

समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

- | | | |
|----|---|------------|
| 1. | ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी | - अध्यक्ष; |
| 2. | कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी | - सदस्य; |
| 3. | सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी | - सदस्य। |

(13)

लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)
104. ड्राइवर मैकेनिक (अति कुशल ग्रेड-II)।	01* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, औद्योगिक।

(4)	(5)	(6)
वेतन मैट्रिक्स स्तर-4 (रु 25500-81100)।	अचयन पद।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न और हो सकने पर अंतरण द्वारा

(11)

प्रोन्नति : ड्राइवर मैकेनिक (कुशल) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (रु 19900-63200) में नियमित श्रेणी में आठ वर्ष की सेवा की हो तथा ट्रेड टेस्ट पास किया हुआ हो।

अंतरण : समरूप या समतुल्य या रक्षा सेवा की निम्नतर संरचनाओं में सिविल पद में उच्चतर ग्रेड पर कार्य करने वाला व्यक्ति।

(12)

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

- | | | |
|----|---|------------|
| 1. | ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी | - अध्यक्ष; |
| 2. | कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी | - सदस्य; |
| 3. | सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी | - सदस्य। |

(13)

लागू नहीं होता।

(1)	(2)
105. ड्राइवर मैकेनिक (कुशल)	01* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

(3)	(4)	(5)	(6)
साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, औद्योगिक।	वेतन मैट्रिक्स स्तर-2 (रु 19900-63200)।	अचयन पद।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(10)
प्रन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर अंतरण द्वारा।

(11)
प्रोन्नति : ट्रेड्समैन (अर्द्धकुशल) या ट्रेड्समैन मेट जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (रु 18000-56900) में श्रेणी में तीन वर्ष की अर्हक सेवा की हो तथा ट्रेड टेस्ट पास किया हुआ हो। टिप्पण:- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो अंतरण : समरूप या समतुल्य या रक्षा सेवा की निम्नतर संरचनाओं में सिविल पद में उच्चतर ग्रेड पर कार्य करने वाला व्यक्ति।

(12)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-
1. ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी - अध्यक्ष; 2. कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी - सदस्य; 3. सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी -सदस्य।

(13)
लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)
106. आरा मशीन प्रचालक (अति कुशल ग्रेड-I)।	02* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसन्धिवीय, औद्योगिक।

(4)	(5)
वेतन मैट्रिक्स स्तर-5 (रु 29200-92300)।	अचयन पद।

(6)
18-27 वर्ष के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख या लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

(7)
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य, किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से किसी ट्रेड में प्रमाणपत्र या समतुल्य डिप्लोमा।

(8)	(9)
लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

(10)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर अंतरण द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और इन सभी के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(11)
प्रोन्नति : आरा मशीन प्रचालक (अति कुशल ग्रेड-II) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (रु 25500-81100) में श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो। टिप्पण:- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। अंतरण : समरूप या समतुल्य या रक्षा सेवा की निम्नतर संरचनाओं में सिविल पद में उच्चतर ग्रेड पर कार्य करने वाला व्यक्ति।

प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन अधिकारी :-

- (क) (i) जिन्होंने मूल कॉडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ हो; या
(ii) जिन्होंने मूल कॉडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (रु 25500-81100) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात दी गई श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो; और
(ख) जिनके पास स्तंभ (7) की अधीन विहित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव हो।

टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

1. ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी - अध्यक्ष;
2. कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी - सदस्य;
3. सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी - सदस्य।

समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

1. ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी - अध्यक्ष;
2. कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी - सदस्य;
3. सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी - सदस्य।

(13)

लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)
107. आरा मशीन प्रचालक (अति कुशल ग्रेड-II)।	02* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, औद्योगिक।

(4)	(5)	(6)
वेतन मैट्रिक्स स्तर-4 (रु 25500-81100)।	अचयन पद।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न और हो सकने पर अंतरण द्वारा

(11)
प्रोन्नति : आरा मशीन प्रचालक (कुशल) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (रू 19900-63200) में नियमित श्रेणी में आठ वर्ष की सेवा की हो तथा ट्रेड टेस्ट पास किया हुआ हो।
अंतरण : समरूप या समतुल्य या रक्षा सेवा की निम्नतर संरचनाओं में सिविल पद में उच्चतर ग्रेड पर कार्य करने वाला व्यक्ति।

(12)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-
1. ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी - अध्यक्ष;
2. कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी - सदस्य;
3. सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी - सदस्य।

(13)
लागू नहीं होता।

(1)	(2)
108. आरा मशीन प्रचालक (कुशल)	03* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

(3)	(4)	(5)	(6)
साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, औद्योगिक।	वेतन मैट्रिक्स स्तर-2 (रू 19900-63200)।	अचयन पद।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(10)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर अंतरण द्वारा।

(11)
प्रोन्नति : ट्रेड्समैन (अर्द्धकुशल) या ट्रेड्समैन मेट जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (रू 18000-56900) में श्रेणी में तीन वर्ष की अर्हक सेवा की हो तथा ट्रेड टेस्ट पास किया हुआ हो।

टिप्पण:- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो

अंतरण : समरूप या समतुल्य या रक्षा सेवा की निम्नतर संरचनाओं में सिविल पद में उच्चतर ग्रेड पर कार्य करने वाला व्यक्ति।

(12)

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

1. ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी - अध्यक्ष;
2. कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी - सदस्य;
3. सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी -सदस्य।

(13)

लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)
109. अपहोल्स्टर (अति कुशल ग्रेड-1)।	17* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, औद्योगिक।

(4)	(5)
वेतन मैट्रिक्स स्तर-5 (रू 29200-92300)।	अचयन पद।

(6)

18-27 वर्ष के बीच।

(केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)।

टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख या लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

(7)

किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य, किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से किसी ट्रेड में प्रमाणपत्र या समतुल्य डिप्लोमा।

(8)	(9)
लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

(10)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर अंतरण द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और इन सभी के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(11)
प्रोन्नति : अपहोल्स्टर (अति कुशल ग्रेड-II) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (रु 25500-81100) में श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो। टिप्पण:- जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। अंतरण : समरूप या समतुल्य या रक्षा सेवा की निम्नतर संरचनाओं में सिविल पद में उच्चतर ग्रेड पर कार्य करने वाला व्यक्ति। प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन अधिकारी :- (क) (i) जिन्होंने मूल कॉडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ हो; या (ii) जिन्होंने मूल कॉडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (रु 25500-81100) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् दी गई श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो; और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) की अधीन विहित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव हो। टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-	
1.	ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी - अध्यक्ष;
2.	कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी - सदस्य;
3.	सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी - सदस्य।

समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

- | | | |
|----|---|------------|
| 1. | ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी | - अध्यक्ष; |
| 2. | कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी | - सदस्य; |
| 3. | सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी | - सदस्य। |

(13)

लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)
110. अपहोल्स्टर (अति कुशल ग्रेड-II)।	17* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, औद्योगिक।

(4)	(5)	(6)
वेतन मैट्रिक्स स्तर-4 (रु 25500-81100)।	अचयन पद।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न और हो सकने पर अंतरण द्वारा

(11)

प्रोन्नति : अपहोल्स्टर (कुशल) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (रु 19900-63200) में नियमित श्रेणी में आठ वर्ष की सेवा की हो तथा ट्रेड टेस्ट पास किया हुआ हो।

अंतरण : समरूप या समतुल्य या रक्षा सेवा की निम्नतर संरचनाओं में सिविल पद में उच्चतर ग्रेड पर कार्य करने वाला व्यक्ति।

(12)

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

- | | | |
|----|---|------------|
| 1. | ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी | - अध्यक्ष; |
| 2. | कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी | - सदस्य; |
| 3. | सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी | - सदस्य। |

(13)

लागू नहीं होता।

(1)	(2)
111. अपहोल्स्टर (कुशल)	37* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

(3)	(4)	(5)	(6)
साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, औद्योगिक।	वेतन मैट्रिक्स स्तर-2 (रु 19900-63200)।	अचयन पद।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(10)
प्रन्नोति द्वारा जिसके न हो सकने पर अंतरण द्वारा।

(11)
प्रोन्नति : ट्रेड्समैन (अर्द्धकुशल) या ट्रेड्समैन मेट जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (रु 18000-56900) में श्रेणी में तीन वर्ष की अर्हक सेवा की हो तथा ट्रेड टेस्ट पास किया हुआ हो। टिप्पण:- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो अंतरण : समरूप या समतुल्य या रक्षा सेवा की निम्नतर संरचनाओं में सिविल पद में उच्चतर ग्रेड पर कार्य करने वाला व्यक्ति।

(12)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- - ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी - अध्यक्ष; - कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी - सदस्य; - सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी -सदस्य।

(13)
लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)
112. सैडलर (अति कुशल ग्रेड-1)।	11* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, औद्योगिक।

(4)	(5)
वेतन मैट्रिक्स स्तर-5 (रु 29200-92300)।	अचयन पद।

(6)
18-27 वर्ष के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख या लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

(7)
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य, किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से किसी ट्रेड में प्रमाणपत्र या समतुल्य डिप्लोमा।

(8)	(9)
लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

(10)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न और हो सकने पर अंतरण द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और इन सभी के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(11)
प्रोन्नति : सैडलर (अति कुशल ग्रेड-1।) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (रु 25500-81100) में श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो। टिप्पण:- जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। अंतरण : समरूप या समतुल्य या रक्षा सेवा की निम्नतर संरचनाओं में सिविल पद में उच्चतर ग्रेड पर कार्य करने वाला व्यक्ति। प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन अधिकारी :- (क) (i) जिन्होंने मूल कॉडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ हो; या (ii) जिन्होंने मूल कॉडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (रु 25500-81100) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् दी गई श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो; और

(ख) जिनके पास स्तंभ (7) की अधीन विहित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव हो।

टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

1. ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी - अध्यक्ष;
2. कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी - सदस्य;
3. सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी - सदस्य।

समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

1. ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी - अध्यक्ष;
2. कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी - सदस्य;
3. सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी - सदस्य।

(13)

लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)
113. सैडलर (अति कुशल ग्रेड-II)।	11* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, औद्योगिक।

(4)	(5)	(6)
वेतन मैट्रिक्स स्तर-4 (रू 25500-81100)।	अचयन पद।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न और हो सकने पर अंतरण द्वारा

(11)
प्रोन्नति : सैडलर (कुशल) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (रू 19900-63200) में नियमित श्रेणी में आठ वर्ष की सेवा की हो तथा ट्रेड टेस्ट पास किया हुआ हो।
अंतरण : समरूप या समतुल्य या रक्षा सेवा की निम्नतर संरचनाओं में सिविल पद में उच्चतर ग्रेड पर कार्य करने वाला व्यक्ति।

(12)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-
1. ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी - अध्यक्ष;
2. कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी - सदस्य;
3. सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी - सदस्य।

(13)
लागू नहीं होता।

(1)	(2)
114. सैडलर (कुशल)	24* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

(3)	(4)	(5)	(6)
साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, औद्योगिक।	वेतन मैट्रिक्स स्तर-2 (रू 19900-63200)।	अचयन पद।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(10)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर अंतरण द्वारा।

(11)
प्रोन्नति : ट्रेड्समैन (अर्द्धकुशल) या ट्रेड्समैन मेट जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (रू 18000-56900) में श्रेणी में तीन वर्ष की अर्हक सेवा की हो तथा ट्रेड टेस्ट पास किया हुआ हो।
टिप्पण:- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो
अंतरण : समरूप या समतुल्य या रक्षा सेवा की निम्नतर संरचनाओं में सिविल पद में उच्चतर ग्रेड पर कार्य करने वाला व्यक्ति।

(12)		
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-		
1.	ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी	- अध्यक्ष;
2.	कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी	- सदस्य;
3.	सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी	-सदस्य।

(13)
लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)
115. पेन्टर और सज्जक (अति कुशल ग्रेड-1)।	99* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसन्धिवीय, औद्योगिक।

(4)	(5)
वेतन मैट्रिक्स स्तर-5 (रू 29200-92300)।	अचयन पद।

(6)
18-27 वर्ष के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख या लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

(7)
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य, किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से किसी ट्रेड में प्रमाणपत्र या समतुल्य डिप्लोमा।

(8)	(9)
लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

(10)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर अंतरण द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और इन सभी के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(11)

प्रोन्नति : पेन्टर और सज्जक (अति कुशल ग्रेड-II) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (रु 25500-81100) में श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो।

टिप्पण:- जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

अंतरण : समरूप या समतुल्य या रक्षा सेवा की निम्नतर संरचनाओं में सिविल पद में उच्चतर ग्रेड पर कार्य करने वाला व्यक्ति।

प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन अधिकारी :-

- (क) (i) जिन्होंने मूल कॉडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ हो; या
- (ii) जिन्होंने मूल कॉडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (रु 25500-81100) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात दी गई श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो; और
- (ख) जिनके पास स्तंभ (7) की अधीन विहित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव हो।

टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

1. ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी - अध्यक्ष;
2. कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी - सदस्य;
3. सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी - सदस्य।

समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

1. ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी - अध्यक्ष;
2. कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी - सदस्य;
3. सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी - सदस्य।

(13)

लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)
116. पेन्टर और सज्जक (अति कुशल ग्रेड-II)।	99* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, औद्योगिक।

(4)	(5)	(6)
वेतन मैट्रिक्स स्तर-4 (रु 25500-81100)।	अचयन पद।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न और हो सकने पर अंतरण द्वारा

(11)
प्रोन्नति : पेन्टर और सज्जक (कुशल) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (रु 19900-63200) में नियमित श्रेणी में आठ वर्ष की सेवा की हो तथा ट्रेड टेस्ट पास किया हुआ हो। अंतरण : समरूप या समतुल्य या रक्षा सेवा की निम्नतर संरचनाओं में सिविल पद में उच्चतर ग्रेड पर कार्य करने वाला व्यक्ति।

(12)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- - ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी - अध्यक्ष; - कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी - सदस्य; - सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी - सदस्य।

(13)
लागू नहीं होता।

(1)	(2)
117. पेन्टर और सज्जक (कुशल)	218* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

(3)	(4)	(5)	(6)
साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, औद्योगिक।	वेतन मैट्रिक्स स्तर-2 (रु 19900-63200)।	अचयन पद।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(10)
प्रज्ञोति द्वारा जिसके न हो सकने पर अंतरण द्वारा।

(11)
प्रोन्नति : ट्रेड्समैन (अर्द्धकुशल) या ट्रेड्समैन मेट जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (रु 18000-56900 में श्रेणी में तीन वर्ष की अर्हक सेवा की हो तथा ट्रेड टेस्ट पास किया हुआ हो। टिप्पण:- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो अंतरण : समरूप या समतुल्य या रक्षा सेवा की निम्नतर संरचनाओं में सिविल पद में उच्चतर ग्रेड पर कार्य करने वाला व्यक्ति।

(12)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी - अध्यक्ष; 2. कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी - सदस्य; 3. सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी -सदस्य।

(13)
लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)
118. मुद्रक (प्रिंटर) (अति कुशल ग्रेड-1)।	05* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, औद्योगिक।

(4)	(5)
वेतन मैट्रिक्स स्तर-5 (रु 29200-92300)।	अचयन पद।

(6)
18-27 वर्ष के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख या लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

(7)
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य, किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से किसी ट्रेड में प्रमाणपत्र या समतुल्य डिप्लोमा।

(8)	(9)
लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

(10)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न और हो सकने पर अंतरण द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और इन सभी के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(11)
प्रोन्नति : मुद्रक (प्रिंटर) (अति कुशल ग्रेड-II) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (रु 25500-81100) में श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो। टिप्पण:- जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। अंतरण : समरूप या समतुल्य या रक्षा सेवा की निम्नतर संरचनाओं में सिविल पद में उच्चतर ग्रेड पर कार्य करने वाला व्यक्ति। प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन अधिकारी :- (क) (i) जिन्होंने मूल कॉडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ हो; या (ii) जिन्होंने मूल कॉडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (रु 25500-81100) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात दी गई श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो; और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) की अधीन विहित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव हो। टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी - अध्यक्ष;

2.	कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी	- सदस्य;
3.	सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी	- सदस्य।
समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-		
1.	ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी	- अध्यक्ष;
2.	कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी	- सदस्य;
3.	सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी	- सदस्य।

(13)
लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)
119. मुद्रक (प्रिंटर) (अति कुशल ग्रेड-II)।	05* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, औद्योगिक।

(4)	(5)
वेतन मैट्रिक्स स्तर-4 (रु 25500-81100)।	लागू नहीं होता।

(6)
18-27 वर्ष के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख या लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

(7)
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य, किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से किसी ट्रेड में प्रमाणपत्र या समतुल्य डिप्लोमा।

(8)	(9)
लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

(10)
अंतरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(11)
अंतरण : समरूप या समतुल्य या रक्षा सेवा की निम्नतर संरचनाओं में सिविल पद में उच्चतर ग्रेड पर कार्य करने वाला व्यक्ति।

(12)
समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-
1. ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी - अध्यक्ष;
2. कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी - सदस्य;
3. सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी - सदस्य।

(13)
लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)
120. मुद्रण मशीन प्रचालक (अति कुशल ग्रेड-1)।	01* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, औद्योगिक।

(4)	(5)
वेतन मैट्रिक्स स्तर-5 (रु 29200-92300)।	अचयन पद।

(6)
18-27 वर्ष के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख या लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

(7)
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य, किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से किसी ट्रेड में प्रमाणपत्र या समतुल्य डिप्लोमा।

(8)	(9)
लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

(10)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर अंतरण द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और इन सभी के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(11)
प्रोन्नति : मुद्रण मशीन प्रचालक (अति कुशल ग्रेड-II) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (रु 25500-81100) में श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो। टिप्पण:- जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। अंतरण : समरूप या समतुल्य या रक्षा सेवा की निम्नतर संरचनाओं में सिविल पद में उच्चतर ग्रेड पर कार्य करने वाला व्यक्ति। प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन अधिकारी :- (क) (i) जिन्होंने मूल कॉडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ हो; या (ii) जिन्होंने मूल कॉडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (रु 25500-81100) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात दी गई श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो; और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) की अधीन विहित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव हो। टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-	
1.	ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी - अध्यक्ष;
2.	कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी - सदस्य;
3.	सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी - सदस्य।

समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

- | | | |
|----|---|------------|
| 1. | ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी | - अध्यक्ष; |
| 2. | कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी | - सदस्य; |
| 3. | सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी | - सदस्य। |

(13)

लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)
121. मुद्रण मशीन प्रचालक (अति कुशल ग्रेड-II)।	01* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, औद्योगिक।

(4)	(5)	(6)
वेतन मैट्रिक्स स्तर-4 (रु 25500-81100)।	अचयन पद।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न और हो सकने पर अंतरण द्वारा

(11)

प्रोन्नति : मुद्रण मशीन प्रचालक (कुशल) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (रु 19900-63200) में नियमित श्रेणी में आठ वर्ष की सेवा की हो तथा ट्रेड टेस्ट पास किया हुआ हो।

अंतरण : समरूप या समतुल्य या रक्षा सेवा की निम्नतर संरचनाओं में सिविल पद में उच्चतर ग्रेड पर कार्य करने वाला व्यक्ति।

(12)

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

- | | | |
|----|---|------------|
| 1. | ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी | - अध्यक्ष; |
| 2. | कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी | - सदस्य; |
| 3. | सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी | - सदस्य। |

(13)

लागू नहीं होता।

(1)	(2)
122. मुद्रण मशीन प्रचालक (कुशल)	04* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

(3)	(4)	(5)	(6)
साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, औद्योगिक।	वेतन मैट्रिक्स स्तर-2 (रु 19900-63200)।	अचयन पद।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(10)
प्रन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर अंतरण द्वारा।

(11)
प्रोन्नति : ट्रेड्समैन (अर्द्धकुशल) या ट्रेड्समैन मेट जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (रु 18000-56900) में श्रेणी में तीन वर्ष की अर्हक सेवा की हो तथा ट्रेड टेस्ट पास किया हुआ हो। टिप्पण:- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो अंतरण : समरूप या समतुल्य या रक्षा सेवा की निम्नतर संरचनाओं में सिविल पद में उच्चतर ग्रेड पर कार्य करने वाला व्यक्ति।

(12)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-
1. ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी - अध्यक्ष; 2. कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी - सदस्य; 3. सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी -सदस्य।

(13)
लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)
123. वेब मरम्मत करने वाला (वेब रिपेयरर) (अति कुशल ग्रेड-I)।	06* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, औद्योगिक।

(4)	(5)
वेतन मैट्रिक्स स्तर-5 (रू 29200-92300)।	अचयन पदा।

(6)
18-27 वर्ष के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख या लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

(7)
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य, किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से किसी ट्रेड में प्रमाणपत्र या समतुल्य डिप्लोमा।

(8)	(9)
लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

(10)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर अंतरण द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और इन सभी के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(11)
प्रोन्नति : वेब मरम्मत करने वाला (वेब रिपेयरर) (अति कुशल ग्रेड-II) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (रू 25500-81100) में श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो। टिप्पण:- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

अंतरण : समरूप या समतुल्य या रक्षा सेवा की निम्नतर संरचनाओं में सिविल पद में उच्चतर ग्रेड पर कार्य करने वाला व्यक्ति।

प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन अधिकारी :-

- (क) (i) जिन्होंने मूल कॉडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ हो; या
- (ii) जिन्होंने मूल कॉडर या विभाग में वेतन मेट्रिक्स के स्तर-4 (रु 25500-81100) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात दी गई श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो; और
- (ख) जिनके पास स्तंभ (7) की अधीन विहित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव हो।

टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

1. ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी - अध्यक्ष;
2. कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी - सदस्य;
3. सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी - सदस्य।

समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

1. ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी - अध्यक्ष;
2. कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी - सदस्य;
3. सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी - सदस्य।

(13)

लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)
124. वेब मरम्मत करने वाला (वेब रिपेयरर) (अति कुशल ग्रेड-II)।	06* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, औद्योगिक।

(4)	(5)	(6)
वेतन मैट्रिक्स स्तर-4 (रू 25500-81100)।	अचयन पद।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न और हो सकने पर अंतरण द्वारा

(11)
प्रोन्नति : वेब मरम्मत करने वाला (वेब रिपेयरर) (कुशल) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (रू 19900-63200) में नियमित श्रेणी में आठ वर्ष की सेवा की हो तथा ट्रेड टेस्ट पास किया हुआ हो। अंतरण : समरूप या समतुल्य या रक्षा सेवा की निम्नतर संरचनाओं में सिविल पद में उच्चतर ग्रेड पर कार्य करने वाला व्यक्ति।

(12)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- - ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी - अध्यक्ष; - कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी - सदस्य; - सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी - सदस्य।

(13)
लागू नहीं होता।

(1)	(2)
125. वेब मरम्मत करने वाला (वेब रिपेयरर) (कुशल)	13* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

(3)	(4)	(5)	(6)
साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, औद्योगिक।	वेतन मैट्रिक्स स्तर-2 (रू 19900-63200)।	अचयन पद।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(10)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर अंतरण द्वारा।

(11)

प्रोन्नति : ट्रेड्समैन (अर्द्धकुशल) या ट्रेड्समैन मेट जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (रु 18000-56900) में श्रेणी में तीन वर्ष की अर्हक सेवा की हो तथा ट्रेड टेस्ट पास किया हुआ हो।

टिप्पण:- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो

अंतरण : समरूप या समतुल्य या रक्षा सेवा की निम्नतर संरचनाओं में सिविल पद में उच्चतर ग्रेड पर कार्य करने वाला व्यक्ति।

(12)

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

1. ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी - अध्यक्ष;
2. कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी - सदस्य;
3. सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी - सदस्य।

(13)

लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)
126. चमड़ा सीने वाला (लेदर स्टीचर) (अति कुशल ग्रेड-1)।	15* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, औद्योगिक।

(4)	(5)
वेतन मैट्रिक्स स्तर-5 (रु 29200-92300)।	अचयन पद।

(6)

18-27 वर्ष के बीच।

(केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)।

टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख या लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

(7)
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य, किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से किसी ट्रेड में प्रमाणपत्र या समतुल्य डिप्लोमा।

(8)	(9)
लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

(10)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न और हो सकने पर अंतरण द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और इन सभी के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(11)
प्रोन्नति : चमड़ा सीने वाला (लेदर स्टीचर) (अति कुशल ग्रेड-II) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (रु 25500-81100) में श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो। टिप्पण:- जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। अंतरण : समरूप या समतुल्य या रक्षा सेवा की निम्नतर संरचनाओं में सिविल पद में उच्चतर ग्रेड पर कार्य करने वाला व्यक्ति। प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन अधिकारी :- (क) (i) जिन्होंने मूल कॉडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ हो; या (ii) जिन्होंने मूल कॉडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (रु 25500-81100) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् दी गई श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो; और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) की अधीन विहित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव हो। टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-	
1.	ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी - अध्यक्ष;
2.	कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी - सदस्य;
3.	सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी - सदस्य।

समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

- | | | |
|----|---|------------|
| 1. | ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी | - अध्यक्ष; |
| 2. | कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी | - सदस्य; |
| 3. | सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी | - सदस्य। |

(13)

लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)
127. चमड़ा सीने वाला (लेदर स्टीचर) (अति कुशल ग्रेड-II)।	15* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, औद्योगिक।

(4)	(5)	(6)
वेतन मैट्रिक्स स्तर-4 (रु 25500-81100)।	अचयन पद।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न और हो सकने पर अंतरण द्वारा

(11)

प्रोन्नति : चमड़ा सीने वाला (लेदर स्टीचर) (कुशल) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (रु 19900-63200) में नियमित श्रेणी में आठ वर्ष की सेवा की हो तथा ट्रेड टेस्ट पास किया हुआ हो।

अंतरण : समरूप या समतुल्य या रक्षा सेवा की निम्नतर संरचनाओं में सिविल पद में उच्चतर ग्रेड पर कार्य करने वाला व्यक्ति।

(12)

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

- | | | |
|----|---|------------|
| 1. | ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी | - अध्यक्ष; |
| 2. | कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी | - सदस्य; |
| 3. | सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी | - सदस्य। |

(13)

लागू नहीं होता।

(1)	(2)
128. चमड़ा सीने वाला (लेदर स्टीचर) (कुशल)	32* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

(3)	(4)	(5)	(6)
साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, औद्योगिक।	वेतन मैट्रिक्स स्तर-2 (रु 19900-63200)।	अचयन पद।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(10)
प्रन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर अंतरण द्वारा।

(11)
प्रोन्नति : ट्रेड्समैन (अर्द्धकुशल) या ट्रेड्समैन मेट जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (रु 18000-56900) में श्रेणी में तीन वर्ष की अर्हक सेवा की हो तथा ट्रेड टेस्ट पास किया हुआ हो। टिप्पण:- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो अंतरण : समरूप या समतुल्य या रक्षा सेवा की निम्नतर संरचनाओं में सिविल पद में उच्चतर ग्रेड पर कार्य करने वाला व्यक्ति।

(12)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- - ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी - अध्यक्ष; - कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी - सदस्य; - सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी -सदस्य।

(13)
लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)
129. मोची (बूट मेकर) (अति कुशल ग्रेड-II)।	01* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, औद्योगिक।

(4)	(5)	(6)
वेतन मैट्रिक्स स्तर-4 (रु 25500-81100)।	अचयन पद।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न और हो सकने पर अंतरण द्वारा।

(11)
प्रोन्नति : मोची (बूट मेकर) (कुशल) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (रु 19900-63200) में नियमित श्रेणी में आठ वर्ष की सेवा की हो तथा ट्रेड टेस्ट पास किया हुआ हो। अंतरण : समरूप या समतुल्य या रक्षा सेवा की निम्नतर संरचनाओं में सिविल पद में उच्चतर ग्रेड पर कार्य करने वाला व्यक्ति।

(12)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी - अध्यक्ष; 2. कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी - सदस्य; 3. सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी - सदस्य।

(13)
लागू नहीं होता।

(1)	(2)
130. मोची (बूट मेकर) (कुशल)	01* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

(3)	(4)	(5)	(6)
साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, औद्योगिक।	वेतन मैट्रिक्स स्तर-2 (रु 19900-63200)।	अचयन पद।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(10)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर अंतरण द्वारा।

(11)

प्रोन्नति : ट्रेड्समैन (अर्द्धकुशल) या ट्रेड्समैन मेट जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (रु 18000-56900) में श्रेणी में तीन वर्ष की अर्हक सेवा की हो तथा ट्रेड टेस्ट पास किया हुआ हो।

टिप्पण:- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो

अंतरण : समरूप या समतुल्य या रक्षा सेवा की निम्नतर संरचनाओं में सिविल पद में उच्चतर ग्रेड पर कार्य करने वाला व्यक्ति।

(12)

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

1. ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी - अध्यक्ष;
2. कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी - सदस्य;
3. सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी -सदस्य।

(13)

लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)
131. पैकर (अति कुशल ग्रेड-1)।	162* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, औद्योगिक।

(4)	(5)
वेतन मैट्रिक्स स्तर-5 (रु 29200-92300)।	अचयन पद।

(6)

18-27 वर्ष के बीच।

(केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)।

टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख या लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

(7)
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य, किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से किसी ट्रेड में प्रमाणपत्र या समतुल्य डिप्लोमा।

(8)	(9)
लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

(10)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर अंतरण द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और इन सभी के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(11)
प्रोन्नति : पैकर (अति कुशल ग्रेड-II) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (रु 25500-81100) में श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो। टिप्पण:- जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। अंतरण : समरूप या समतुल्य या रक्षा सेवा की निम्नतर संरचनाओं में सिविल पद में उच्चतर ग्रेड पर कार्य करने वाला व्यक्ति। प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन अधिकारी :- (क) (i) जिन्होंने मूल कॉडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ हो; या (ii) जिन्होंने मूल कॉडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (रु 25500-81100) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् दी गई श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो; और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) की अधीन विहित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव हो। टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-
1. ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी
- अध्यक्ष;

2.	कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी	- सदस्य;
3.	सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी	- सदस्य।
समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-		
1.	ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी	- अध्यक्ष;
2.	कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी	- सदस्य;
3.	सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी	- सदस्य।

(13)
लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)
132. पैकर (अति कुशल ग्रेड-II)।	162* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, औद्योगिक।

(4)	(5)	(6)
वेतन मैट्रिक्स स्तर-4 (रु 25500-81100)।	अचयन पद।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न और हो सकने पर अंतरण द्वारा

(11)
प्रोन्नति : पैकर (कुशल) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (रु 19900-63200) में नियमित श्रेणी में आठ वर्ष की सेवा की हो तथा ट्रेड टेस्ट पास किया हुआ हो।
अंतरण : समरूप या समतुल्य या रक्षा सेवा की निम्नतर संरचनाओं में सिविल पद में उच्चतर ग्रेड पर कार्य करने वाला व्यक्ति।

(12)		
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-		
1.	ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी	- अध्यक्ष;
2.	कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी	- सदस्य;
3.	सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी	- सदस्य।

(13)
लागू नहीं होता।

(1)	(2)
133. पैकर (कुशल)	355* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

(3)	(4)	(5)	(6)
साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, औद्योगिक।	वेतन मैट्रिक्स स्तर-2 (रु 19900-63200)।	अचयन पद।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(10)
प्रशिक्षण द्वारा जिसके न हो सकने पर अंतरण द्वारा।

(11)
प्रोन्नति : ट्रेड्समैन (अर्द्धकुशल) या ट्रेड्समैन मेट जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (रु 18000-56900) में श्रेणी में तीन वर्ष की अर्हक सेवा की हो तथा ट्रेड टेस्ट पास किया हुआ हो। टिप्पण:- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो अंतरण : समरूप या समतुल्य या रक्षा सेवा की निम्नतर संरचनाओं में सिविल पद में उच्चतर ग्रेड पर कार्य करने वाला व्यक्ति।

(12)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-
- ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी - अध्यक्ष; - कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के अधिकारी - सदस्य; - सेना आर्डिनेंस कोर से भिन्न थल सेना या सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक का एक अधिकारी -सदस्य।

(13)
लागू नहीं होता।

[फा. सं. पी सी-ए/26576/आर आर/कुशल/ओएस-8सी(नीति)/

/र. (नियुक्ति)/2025]

एं .पी .हरिनारायणन, अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th December, 2025

S.R.O. 44.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Army Ordnance Corps (Group ‘C’ and Group ‘D’ Industrial) Recruitment Rules, 1980 and the Army Ordnance Corps Recruitment Rules, 1980, in so far as they relate to the posts of Instrument Mechanic (Electrical), Instrument Mechanic (Optical), Instrument Mechanic (Tele Type), Radio Mechanic & Cinema Mechanic, Telecommunication Mechanic, Telecommunication Mechanic (Line), Telecommunication Mechanic (Radio) (previously known as Wireless Test Mechanic), Vehicle Mechanic (AFV), Electrician (AFV), Instrument Mechanic, Turner, Pattern Maker, Wood Turner & Machinist, Fitter, Vehicle Mechanic, Fitter Sewing Machine, Fitter Bench, Machinist, Watch Maker, Welder Electric/Welder Acetylene, Armourer, Fitter Pistol / Rifle, Fitter Arms, Gun Fitters, Electrician, Electrician (MV), Vehicle Mechanic (MV), Typewriter Mechanic/Mechanic Typewriter and Duplicator, Signal Fitter, Fitter (MV), Black Smith, Boiler Attendant, Carpenters & Joiner, Compositor, Engine Driver, Moulder, Sawyer, Tin & Copper Smith, Book Binder, Crane Driver, Driver Mechanic, Saw Machine Operator, Upholsterer, Saddler, Painter & Decorator, Printer, Operator Printing Machine, Web Repairer, Leather Stitcher and Boot Maker except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment to the various posts of Tradesman (Highly Skilled) and Tradesman (Skilled) in the Army Ordnance Corps, namely:-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Army Ordnance Corps, Tradesman (Highly Skilled Grade-I), Tradesman (Highly Skilled Grade-II) and Tradesman (Skilled) Group ‘C’ posts, Industrial Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**— These rules shall apply to posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and level in the pay matrix.**— The number of posts, their classification, and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the aforesaid Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Initial Constitution .**— The incumbents of the posts of specified in column (1) of the said Schedule who were appointed on regular basis to the said posts before the date of commencements of these rules shall be deemed to have been appointed in accordance with provisions of these rules shall be deemed to have been appointed in accordance with provisions of these rules and their regular and continuous service in the said posts immediately before the commencement of these rules shall be taken into account for the purpose of seniority, promotion and other applicable service related benefits.

6. **Disqualification.**— No person,-

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

7. **Power to relax.**— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

8. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of posts.	
(1)	
1.	Instrument Mechanic (Electrical) (Highly Skilled Grade-I).
2.	Instrument Mechanic (Optical) (Highly Skilled Grade-I).
3.	Instrument Mechanic (Tele Type) (Highly Skilled Grade-I) .
4.	Radio Mechanic and Cinema Mechanic (Highly Skilled Grade-I).
5.	Telecommunication Mechanic (Highly Skilled Grade-I).
6.	Telecommunication Mechanic (Line) (Highly Skilled Grade-I).
7.	Telecommunication Mechanic (Radio) (Highly Skilled Grade-I).

Number of posts.	Classification.
(2)	(3)
20* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.

Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(4)	(5)
Level-5 (Rs. 29200-92300).	Non-selection post.

Age-limit for direct recruits.
(6)
Between 18 and 27 years (the upper age-limit is relaxable for departmental candidate upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).
Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangl Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh and Lakshadweep.

Educational and other qualifications required for direct recruits.
(7)
12th pass or equivalent from a recognised Board or University with a Certificate in the trade from recognised Industrial Training Institute or equivalent Diploma.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(8)	(9)
Not applicable.	Two years for direct recruits.

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(10)
By promotion failing which by transfer failing which by deputation and failing all by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grade from which promotion/deputation or absorption to be made.

(11)

Promotion : Instrument Mechanic (Electrical) (Highly Skilled Grade-II), Instrument Mechanic (Optical) (Highly Skilled Grade-II), Instrument Mechanic (Tele Type) (Highly Skilled Grade-II), Radio Mechanic and Cinema Mechanic (Highly Skilled Grade-II), Telecommunication Mechanic (Highly Skilled Grade-II), Telecommunication Mechanic (Line) (Highly Skilled Grade-II), Telecommunication Mechanic (Radio) (Highly Skilled Grade-II), in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) having five years regular service in the grade.

Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Transfer : Person working in similar or equivalent or higher grades in the civil post in lower formations of Defence Service.

Deputation : Officers under the Central Government or State Governments or Union territories , -

- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or
(ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) or equivalent in the parent Cadre or Department ; and
(b) possessing the educational qualification and experience prescribed under Column (7).

Note 1 : The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation or absorption. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2 : The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.

Note 3 : The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

(12)

Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-

- | | |
|--|-------------|
| 1. An officer of the rank of Brigadier | - Chairman; |
| 2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel | - Member; |
| 3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps | - Member. |

Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-

- | | |
|--|-------------|
| 1. An officer of the rank of Brigadier | - Chairman; |
| 2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel | - Member; |
| 3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps | - Member. |

Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.

(13)

Not applicable.

(1)	(2)
8. Instrument Mechanic (Electrical) (Highly Skilled Grade-II).	20* (2025) *Subject to variation dependent on workload.
9. Instrument Mechanic (Optical) (Highly Skilled Grade-II).	
10. Instrument Mechanic (Tele Type) (Highly Skilled Grade-II).	
11. Radio Mechanic & Cinema Mechanic (Highly Skilled Grade-II).	
12. Telecommunication Mechanic (Highly Skilled Grade-II).	
13. Telecommunication Mechanic (Line) (Highly Skilled Grade-II).	
14. Telecommunication Mechanic (Radio) (Highly Skilled Grade-II).	

(3)	(4)	(5)
General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.	Level-4 (Rs. 25500-81100).	Not applicable.

(6)
Between 18 and 27 years (the upper age-limit is relaxable for departmental candidate upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).
Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangl Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh and Lakshadweep.

(7)	(8)
12th pass or equivalent from a recognised Board or University with a Certificate in the trade from recognised Industrial Training Institute or equivalent Diploma.	Not applicable.

(9)	(10)
Two years for direct recruits.	By transfer failing which by direct recruitment.

(11)
Transfer : Person working in similar or equivalent or higher grades in the civil post in lower formation of Defence Service.

(12)	
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-	
1. An officer of the rank of Brigadier	- Chairman;
2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel	- Member;
3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps	- Member.

(13)
Not applicable.

(1)	(2)
15. Vehicle Mechanic (AFV) (Highly Skilled Grade-I).	60* (2025)*Subject to variation dependent on workload.

(3)	(4)	(5)
General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.	Level-5 (Rs. 29200-92300).	Non-selection post.

(6)
Between 18 and 27 years (the upper age-limit is relaxable for departmental candidate upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).
Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangl Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh and Lakshadweep.

(7)
12th pass or equivalent from a recognised Board or University with a Certificate in the trade from recognised Industrial Training Institute or equivalent Diploma.

(8)	(9)
Not applicable.	Two years for direct recruits.

(10)
By promotion failing which by transfer failing which by deputation and failing all by direct recruitment.

(11)
Promotion : Vehicle Mechanic (AFV) (Highly Skilled Grade-II) in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) having five years regular service in the grade. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Transfer : Person working in similar or equivalent or higher grades in the civil post in lower formations of Defence Service. Deputation : Officers under the Central Government or State Governments or Union territories , - (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) or equivalent in the parent Cadre or Department ; and (b) possessing the educational qualification and experience prescribed under Column (7). Note 1 : The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation or absorption. Similarly, the deputationists shall not be

eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2 : The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.

Note 3 : The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.

(12)	
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-	
1. An officer of the rank of Brigadier	- Chairman;
2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel	- Member;
3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps	- Member.
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-	
1. An officer of the rank of Brigadier	- Chairman;
2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel	- Member;
3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps	- Member.

Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.
(13)
Not applicable.

(1)	(2)	(3)
16. Vehicle Mechanic (AFV) (Highly Skilled Grade-II).	60* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.

(4)	(5)
Level-4 (Rs. 25500-81100).	Not applicable.

(6)
Between 18 and 27 years (the upper age-limit is relaxable for departmental candidate upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).
Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh and Lakshadweep.

(7)	(8)
12th pass or equivalent from a recognised Board or University with a Certificate in the trade from recognised Industrial Training Institute or equivalent Diploma.	Not applicable.

(9)	(10)
Two years for direct recruits.	By transfer failing which by direct recruitment.

(11)
Transfer : Person working in similar or equivalent or higher grades in the civil post in lower formation of Defence Service.

(12)	
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-	
1. An officer of the rank of Brigadier	- Chairman;
2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel	- Member;
3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps	- Member.

(13)
Not applicable.

(1)	(2)
17. Electrician (AFV) (Highly Skilled Grade-I).	11* (2025)*Subject to variation dependent on workload.

(3)	(4)	(5)
General Central Service, Group 'C', Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.	Non- Level-5 (Rs. 29200-92300).	Non-selection post.

(6)
Between 18 and 27 years (the upper age-limit is relaxable for departmental candidate upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).
Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangti Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh and Lakshadweep.

(7)	(8)
12th pass or equivalent from a recognised Board or University with a Certificate in the trade from recognised Industrial Training Institute or equivalent Diploma.	Not applicable.

(9)	(10)
Two years for direct recruits.	By promotion failing which by transfer failing which by deputation and failing all by direct recruitment.

(11)
Promotion : Instrument Mechanic (Electrical) (Highly Skilled Grade-II), Instrument Mechanic (Optical) (Highly Skilled Grade-II), Instrument Mechanic (Tele Type) (Highly Skilled Grade-II), Radio Mechanic and Cinema Mechanic (Highly Skilled Grade-II), Telecommunication Mechanic (Highly Skilled Grade-II), Telecommunication Mechanic (Line) (Highly Skilled Grade-II), Telecommunication Mechanic (Radio) (Highly Skilled Grade-II), in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) having five years regular service in the grade.
Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.
Transfer : Person working in similar or equivalent or higher grades in the civil post in lower formations of Defence Service.

Deputation : Officers under the Central Government or State Governments or Union territories , -

- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or
 (ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) or equivalent in the parent Cadre or Department ; and
 (b) possessing the educational qualification and experience prescribed under Column (7).

Note 1 : The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation or absorption. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2 : The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 3 : The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.

(12)

Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-

1. An officer of the rank of Brigadier - Chairman;
 2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel - Member;
 3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps - Member.

Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering promotion) consisting of :-

1. An officer of the rank of Brigadier - Chairman;
 2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel - Member;
 3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps - Member.

Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.

(13)

Not applicable.

(1)	(2)	(3)
18. Electrician (AFV) (Highly Skilled Grade-II).	11* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.

(3)	(4)	(5)
General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.	Level-4 (Rs. 25500-81100).	Not applicable.

(6)

Between 18 and 27 years (the upper age-limit is relaxable for departmental candidate upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).

Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh and Lakshadweep.

(7)	(8)
12th pass or equivalent from a recognised Board or University with a certificate in the trade from recognised Industrial Training Institute or equivalent diploma.	Not applicable.

(9)	(10)
Two years for direct recruits.	By transfer failing which by direct recruitment.

(11)
Transfer : Person working in similar or equivalent or higher grades in the civil post in lower formation of Defence Service.

(12)	
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-	
1. An officer of the rank of Brigadier	- Chairman;
2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel	- Member;
3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps	- Member.

(13)
Not applicable.

(1)	(2)
19. Instrument Mechanic (Highly Skilled Grade-I).	10* (2025)*Subject to variation dependent on workload.

(3)	(4)	(5)
General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.	Level-5 (Rs. 29200-92300).	Non-selection post.

(6)
Between 18 and 27 years (the upper age-limit is relaxable for departmental candidate upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).
Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh and Lakshadweep.

(7)	(8)
12th pass or equivalent from a recognised Board or University with a Certificate in the trade from recognised Industrial Training Institute or equivalent Diploma.	Not applicable.

(9)
Two years for direct recruits.

(10)
By promotion failing which by transfer failing which by deputation and failing all by direct recruitment.

(11)
Promotion : Instrument Mechanic (Highly Skilled Grade-II) in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) having five years regular service in the grade. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Transfer : Person working in similar or equivalent or higher grades in the civil post in lower formations of Defence Service. Deputation : Officers under the Central Government or State Governments or Union territories , - (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) or equivalent in the parent Cadre or Department ; and (b) possessing the educational qualification and experience prescribed under Column (7). Note 1 : The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation or absorption. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2 : The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. Note 3 : The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.

(12)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. An officer of the rank of Brigadier - Chairman; 2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel - Member; 3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps - Member. Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. An officer of the rank of Brigadier - Chairman; 2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel - Member; 3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps - Member.

Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.

(13)
Not applicable.

(1)	(2)	(3)
20. Instrument Mechanic (Highly Skilled Grade-II).	10* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.

(3)	(4)	(5)
General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.	Level-4 (Rs. 25500-81100).	Not applicable.

(6)
Between 18 and 27 years (the upper age-limit is relaxable for departmental candidate upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).
Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh and Lakshadweep.

(7)	(8)
12th pass or equivalent from a recognised Board or University with a certificate in the trade from recognised Industrial Training Institute or equivalent diploma.	Not applicable.

(9)	(10)
Two years for direct recruits.	By transfer failing which by direct recruitment.

(11)
Transfer : Person working in similar or equivalent or higher grades in the civil post in lower formation of Defence Service.

(12)	
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-	
1. An officer of the rank of Brigadier	- Chairman;
2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel	- Member;
3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps	- Member.

(13)
Not applicable.

(1)	(2)
21. Turner (Highly Skilled Grade-I).	04* (2025) *Subject to variation dependent on workload.

(3)	(4)	(5)
General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.	Level-5 (Rs. 29200-92300).	Non-selection post.

(6)
Between 18 and 27 years (the upper age-limit is relaxable for departmental candidate upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).
Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangri Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh and Lakshadweep.

(7)	(8)
12th pass or equivalent from a recognised Board or University with a Certificate in the trade from recognised Industrial Training Institute or equivalent Diploma.	Not applicable.

(9)
Two years for direct recruits.

(10)
By promotion failing which by transfer failing which by deputation and failing all by direct recruitment.

(11)
Promotion : Turner (Highly Skilled Grade-II) in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) having five years regular service in the grade.
Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.
Transfer : Person working in similar or equivalent or higher grades in the civil post in lower formations of Defence Service.
Deputation : Officers under the Central Government or State Governments or Union territories ,-
(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or
(ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) or equivalent in the parent Cadre or Department ; and
(b) possessing the educational qualification and experience prescribed under Column (7).
Note 1 : The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation or absorption. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.
Note 2 : The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.
Note 3 : The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.

(12)	
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-	
1. An officer of the rank of Brigadier	- Chairman;
2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel	- Member;

3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps	- Member.
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-	
1. An officer of the rank of Brigadier	- Chairman;
2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel	- Member;
3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps	- Member.

(13)
Not applicable.

(1)	(2)	(3)
22. Turner (Highly Skilled Grade-II).	04* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.

(4)	(5)	(6)	(7)
Level-4 (Rs. 25500-81100).	Non-selection post.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by transfer.

(11)
Promotion : Turner (Skilled) in level-2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200) having eight years regular service in the grade who have passed the trade test.
Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.
Transfer : Person working in similar or equivalent or higher grades in the civil post in lower formation of Defence Service.

(12)	
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-	
1. An officer of the rank of Brigadier	- Chairman;
2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel	- Member;
3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps	- Member.

(13)
Not applicable.

(1)	(2)	(3)
23. Turner (Skilled).	09* (2025) *subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.

(4)	(5)	(6)	(7)
Level-2 (Rs. 19900-63200).	Non-selection post.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by transfer.

(11)
Promotion : Tradesman (Semi Skilled) or Tradesman Mate in level-1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900) having three years of qualifying service in the grade who have passed the trade test. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors with similar qualifications subject to passing of requisite trade test would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Transfer : Persons working in similar or equivalent or higher grades in the civil post in lower formations of Defence Services.

(12)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. An officer of the rank of Brigadier - Chairman; 2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel - Member; 3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps - Member.

(13)
Not applicable.

(1)	(2)
24. Pattern Maker (Highly Skilled Grade-I).	01* (2025) *Subject to variation dependent on workload.

(3)	(4)	(5)
General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.	Level-5 (Rs. 29200-92300).	Non-selection post.

(6)
Between 18 and 27 years (the upper age-limit is relaxable for departmental candidate upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).
Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh and Lakshadweep.

(7)	(8)
12th pass or equivalent from a recognised Board or University with a Certificate in the trade from recognised Industrial Training Institute or equivalent Diploma.	Not applicable.

(9)
Two years for direct recruits.

(10)
By promotion failing which by transfer failing which by deputation and failing all by direct recruitment.

(11)
Promotion : Pattern Maker (Highly Skilled Grade-II) in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) having five years regular service in the grade.
Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.
Transfer : Person working in similar or equivalent or higher grades in the civil post in lower formations of Defence Service.
Deputation : Officers under the Central Government or State Governments or Union territories , -
(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or
(ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) or equivalent in the parent Cadre or Department ; and
(b) possessing the educational qualification and experience prescribed under Column (7).
Note 1 : The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation or absorption. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.
Note 2 : The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.
Note 3 : The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.

(12)	
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-	
1. An officer of the rank of Brigadier	- Chairman;
2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel	- Member;

3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps	- Member.
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-	
1. An officer of the rank of Brigadier	- Chairman;
2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel	- Member;
3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps	- Member.

(13)
Not applicable.

(1)	(2)	(3)
25. Pattern Maker (Highly Skilled Grade-II).	01* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.

(4)	(5)	(6)	(7)
Level-4 (Rs. 25500-81100).	Non-selection post.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by transfer.

(11)
Promotion : Pattern Maker (Skilled) in level-2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200) having eight years regular service in the grade and who have passed the trade test. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Transfer : Person working in similar or equivalent or higher grades in the civil post in lower formations of Defence Service.

(12)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. An officer of the rank of Brigadier - Chairman; 2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel - Member; 3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps - Member.

(13)
Not applicable.

(1)	(2)	(3)
26. Pattern Maker (Skilled).	02* (2025) *subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.

(4)	(5)	(6)	(7)
Level-2 (Rs. 19900-63200).	Non-selection post.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by transfer.

(11)
Promotion : Tradesman (Semi Skilled) or Tradesman Mate in level-1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900) having three years of qualifying service in the grade who have passed the trade test. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors with similar qualifications subject to passing of requisite trade test would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Transfer: Persons working in similar or equivalent or higher grades in the civil post in lower formations of Defence Services.

(12)	
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-	
1. An officer of the rank of Brigadier	- Chairman;
2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel	- Member;
3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps	- Member.

(13)
Not applicable.

(1)	(2)
27. Wood Turner and Machinist (Highly Skilled Grade-I).	03* (2025) *Subject to variation dependent on workload.

(3)	(4)	(5)
General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.	Level-5 (Rs. 29200-92300).	Non-selection post.

(6)
Between 18 and 27 years (the upper age-limit is relaxable for departmental candidate upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).
Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh and Lakshadweep.

(7)	(8)
12th pass or equivalent from a recognised Board or University with a Certificate in the trade from recognised Industrial Training Institute or equivalent Diploma.	Not applicable.

(9)
Two years for direct recruits.

(10)
By promotion failing which by transfer failing which by deputation and failing all by direct recruitment.

(11)
Promotion : Wood Turner and Machinist (Highly Skilled Grade-II) in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) having five years regular service in the grade.
Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.
Transfer : Person working in similar or equivalent or higher grades in the civil post in lower formations of Defence Service.
Deputation : Officers under the Central Government or State Governments or Union territories , -
(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or
(ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) or equivalent in the parent Cadre or Department ; and
(b) possessing the educational qualification and experience prescribed under Column (7).
Note 1 : The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation or absorption. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.
Note 2 : The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.
Note 3 : The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.

(12)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-
1. An officer of the rank of Brigadier
- Chairman;

2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel	- Member;
3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps	- Member.

Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-	
1. An officer of the rank of Brigadier	- Chairman;
2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel	- Member;
3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps	- Member.

Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.
(13)
Not applicable.

(1)	(2)
28. Wood Turner and Machinist (Highly Skilled Grade-II).	03* (2025) *Subject to variation dependent on workload.

(3)	(4)	(5)
General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.	Level-4 (Rs. 25500-81100).	Non-selection post.

(6)	(7)
Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by transfer.

(11)
Promotion : Wood Turner & Machinist (Skilled) in level-2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200) having eight years regular service in the grade and who have passed the trade test. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Transfer : Person working in similar equivalent or higher grades in the civil post in lower formations of Defence Service.

(12)	
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. An officer of the rank of Brigadier	- Chairman;

2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel	- Member;
3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps	- Member.

(13)
Not applicable.

(1)	(2)	(3)
29. Wood Turner and Machinist (Skilled).	06* (2025) *subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.

(4)	(5)	(6)	(7)
Level-2 (Rs. 19900-63200).	Non-selection post.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by transfer.

(11)
Promotion : Tradesman (Semi Skilled) or Tradesman Mate working in level-1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900) having three years of qualifying service in the grade who have passed the trade test.
Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors with similar qualifications subject to passing of requisite trade test would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.
Transfer : Persons working in similar or equivalent or higher grades in the civil post in lower formations of Defence Services.

(12)	
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-	
1. An officer of the rank of Brigadier	- Chairman;
2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel	- Member;
3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps	- Member.

(13)
Not applicable.

(1)	(2)
30. Fitter (Highly Skilled Grade-I).	50* (2025) *Subject to variation dependent on workload.

(3)	(4)	(5)
General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.	Level-5 (Rs. 29200-92300).	Non-selection post.

(6)
Between 18 and 27 years (the upper age-limit is relaxable for departmental candidate upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).
Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh and Lakshadweep.

(7)	(8)
12th pass or equivalent from a recognised Board or University with a Certificate in the trade from recognised Industrial Training Institute or equivalent Diploma.	Not applicable.

(9)
Two years for direct recruits.

(10)
By promotion failing which by transfer failing which by deputation and failing all by direct recruitment.

(11)
Promotion : Fitter (Highly Skilled Grade-II) in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) having five years regular service in the grade. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Transfer : Person working in similar or equivalent or higher grades in the civil post in lower formations of Defence Service. Deputation : Officers under the Central Government or State Governments or Union territories , - (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) or equivalent in the parent Cadre or Department ; and (b) possessing the educational qualification and experience prescribed under Column (7). Note 1 : The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation or absorption. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2 : The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. Note 3 : The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.

(12)	
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-	
1. An officer of the rank of Brigadier	- Chairman;
2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel	- Member;
3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps	- Member.

Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-	
1. An officer of the rank of Brigadier	- Chairman;
2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel	- Member;
3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps	- Member.

(13)	
Not applicable.	

(1)	(2)
31. Fitter (Highly Skilled Grade-II).	50* (2025)
	*Subject to variation dependent on workload.

(3)	
General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.	

(4)	(5)	(6)	(7)
Level-4 (Rs. 25500-81100).	Non-selection post.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by transfer.

(11)	
Promotion : Fitter (Skilled) in level-2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200) having eight years regular service in the grade and who have passed the trade test.	
Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	
Transfer : Person working in similar or equivalent or higher grades in the civil post in lower formations of Defence Service.	

(12)	
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-	
1. An officer of the rank of Brigadier	- Chairman;
2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel	- Member;
3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps	- Member.

(13)
Not applicable.

-

(1)	(2)	(3)
32. Fitter (Skilled).	111* (2025) *subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.

(4)	(5)	(6)	(7)
Level-2 (Rs. 19900-63200).	Non-selection post.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by transfer.

(11)
Promotion : Tradesman (Semi Skilled) or Tradesman Mate working in level-1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900) having three years of qualifying service in the grade who have passed the trade test.
Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors with similar qualifications subject to passing of requisite trade test would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.
Transfer : Persons working in similar or equivalent or higher grades in the civil post in lower formations of Defence Services.

(12)	
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-	
1. An officer of the rank of Brigadier	- Chairman;
2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel	- Member;
3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps	- Member.

(13)
Not applicable.

(1)	(2)
33. Vehicle Mechanic (Highly Skilled Grade-I).	82* (2025) *Subject to variation dependent on workload.

(3)	(4)	(5)
General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.	Level-5 (Rs. 29200-92300).	Non-selection post.

(6)
Between 18 and 27 years (the upper age-limit is relaxable for departmental candidate upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).
Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh and Lakshadweep.

(7)	(8)
12th pass or equivalent from a recognised Board or University with a Certificate in the trade from recognised Industrial Training Institute or equivalent Diploma.	Not applicable.

(9)
Two years for direct recruits.

(10)
By promotion failing which by transfer failing which by deputation and failing all by direct recruitment.

(11)
Promotion : Vehicle Mechanic (Highly Skilled Grade-II) in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) having five years regular service in the grade. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Transfer : Person working in similar or equivalent or higher grades in the civil post in lower formations of Defence Service. Deputation : Officers under the Central Government or State Governments or Union territories , - (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) or equivalent in the parent Cadre or Department ; and (b) possessing the educational qualification and experience prescribed under Column (7). Note 1 : The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation or absorption. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2 : The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.

Note 3 : The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.

(12)	
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-	
1. An officer of the rank of Brigadier	- Chairman;
2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel	- Member;
3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps	- Member.

Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-	
1. An officer of the rank of Brigadier	- Chairman;
2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel	- Member;
3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps	- Member.

(13)
Not applicable.

(1)	(2)	(3)
34. Vehicle Mechanic (Highly Skilled Grade-II).	82* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.

(4)	(5)	(6)	(7)
Level-4 (Rs. 25500-81100).	Non-selection post.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by transfer.

(11)
Promotion : Vehicle Mechanic (Skilled) in level-2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200) having eight years regular service in the grade and who have passed the trade test. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Transfer : Person working in similar or equivalent or higher grades in the civil post in lower formations of Defence Service.

(12)	
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-	
1. An officer of the rank of Brigadier	- Chairman;
2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel	- Member;
3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps	- Member.

(13)
Not applicable.

(1)	(2)	(3)
35. Vehicle Mechanic (Skilled).	181* (2025) *subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.

(4)	(5)	(6)	(7)
Level-2 (Rs. 19900-63200).	Non-selection post.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by transfer.

(11)
Promotion : Tradesman (Semi Skilled) or Tradesman Mate in level-1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900) having three years of qualifying service in the grade who have passed the trade test.
Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors with similar qualifications subject to passing of requisite trade test would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.
Transfer : Persons working in similar or equivalent or higher grades in the civil post in lower formations of Defence Services.

(12)	
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-	
1. An officer of the rank of Brigadier	- Chairman;
2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel	- Member;
3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps	- Member.

(13)
Not applicable.

(1)	(2)
36. Fitter Sewing Machine (Highly Skilled Grade-I).	02* (2025) *Subject to variation dependent on workload.

(3)	(4)	(5)
General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.	Level-5 (Rs. 29200-92300).	Non-selection post.

(6)
Between 18 and 27 years (the upper age-limit is relaxable for departmental candidate upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).
Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh and Lakshadweep.

(7)	(8)
12th pass or equivalent from a recognised Board or University with a Certificate in the trade from recognised Industrial Training Institute or equivalent Diploma.	Not applicable.

(9)
Two years for direct recruits.

(10)
By promotion failing which by transfer failing which by deputation and failing all by direct recruitment.

(11)
Promotion : Fitter Sewing Machine (Highly Skilled Grade-II) in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) having five years regular service in the grade. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Transfer : Person working in similar or equivalent or higher grades in the civil post in lower formations of Defence Service. Deputation : Officers under the Central Government or State Governments or Union territories , - (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) or equivalent in the parent Cadre or Department ; and (b) possessing the educational qualification and experience prescribed under Column (7). Note 1 : The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation or absorption. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2 : The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately

preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.

Note 3 : The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.

(12)	
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-	
1. An officer of the rank of Brigadier	- Chairman;
2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel	- Member;
3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps	- Member.

Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering removal of probation/confirmation) consisting of :-	
1. An officer of the rank of Brigadier	- Chairman;
2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel	- Member;
3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps	- Member.

(13)
Not applicable.

(1)	(2)	(3)
37. Fitter Sewing Machine (Highly Skilled Grade-II).	02* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.

(4)	(5)	(6)	(7)
Level-4 (Rs. 25500-81100).	Non-selection post.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by transfer.

(11)
Promotion : Fitter Sewing Machine (Skilled) in level-2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200) having eight years regular service in the grade and who have passed the trade test.
Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.
Transfer : Person working in similar or equivalent or higher grades in the civil post in lower formations of Defence Service.

(12)	
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-	
1. An officer of the rank of Brigadier	- Chairman;
2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel	- Member;
3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps	- Member.

(13)
Not applicable.

(1)	(2)	(3)
38. Fitter Sewing Machine (Skilled).	05* (2025)*subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.

(4)	(5)	(6)	(7)
Level-2 (Rs. 19900-63200).	Non-selection post.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by transfer.

(11)
Promotion : Tradesman (Semi Skilled) or Tradesman Mate in level-1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900) having three years of qualifying service in the grade who have passed the trade test.
Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors with similar qualifications subject to passing of requisite trade test would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.
Transfer : Persons working in similar or equivalent or higher grades in the civil post in lower formations of Defence Services.

(12)	
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-	
1. An officer of the rank of Brigadier	- Chairman;
2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel	- Member;
3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps	- Member.

(13)
Not applicable.

(1)	(2)
39. Fitter Bench (Highly Skilled Grade-I).	24* (2025) *Subject to variation dependent on workload.

(3)	(4)	(5)
General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.	Level-5 (Rs. 29200-92300).	Non-selection post.

(6)
Between 18 and 27 years (the upper age-limit is relaxable for departmental candidate upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).
Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh and Lakshadweep.

(7)	(8)
12th pass or equivalent from a recognised Board or University with a Certificate in the trade from recognised Industrial Training Institute or equivalent Diploma.	Not applicable.

(9)
Two years for direct recruits.

(10)
By promotion failing which by transfer failing which by deputation and failing all by direct recruitment.

(11)
Promotion : Fitter Bench (Highly Skilled Grade-II) in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) having five years regular service in the grade. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Transfer : Person working in similar or equivalent or higher grades in the civil post in lower formations of Defence Service. Deputation : Officers under the Central Government or State Governments or Union territories , - (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) or equivalent in the parent Cadre or Department ; and (b) possessing the educational qualification and experience prescribed under Column (7). Note 1 : The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation or absorption. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2 : The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.

Note 3 : The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.

(12)

Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-

- | | |
|--|-------------|
| 1. An officer of the rank of Brigadier | - Chairman; |
| 2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel | - Member; |
| 3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps | - Member. |

Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-

- | | |
|--|-------------|
| 1. An officer of the rank of Brigadier | - Chairman; |
| 2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel | - Member; |
| 3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps | - Member. |

(13)

Not applicable.

(1)	(2)	(3)
40. Fitter Bench (Highly Skilled Grade-II).	24* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.

(4)	(5)	(6)
Level-4 (Rs. 25500-81100).	Non-selection post.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by transfer.

(11)

Promotion : Fitter Bench (Skilled) in level-2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200) having eight years regular service in the grade and who have passed the trade test.

Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Transfer : Person working in similar or equivalent or higher grades in the civil post in lower formations of Defence Service.

(12)	
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-	
1. An officer of the rank of Brigadier	- Chairman;
2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel	- Member;
3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps	- Member.

(13)
Not applicable.

(1)	(2)	(3)
41. Fitter Bench (Skilled).	51* (2025) *subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.

(4)	(5)	(6)	(7)
Level-2 (Rs. 19900-63200).	Non-selection post.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by transfer.

(11)
Promotion : Tradesman (Semi Skilled) or Tradesman Mate in level-1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900) having three years of qualifying service in the grade who have passed the trade test.
Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors with similar qualifications subject to passing of requisite trade test would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.
Transfer : Persons working in similar or equivalent or higher grades in the civil post in lower formations of Defence Services.

(12)	
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-	
1. An officer of the rank of Brigadier	- Chairman;
2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel	- Member;
3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps	- Member.

(13)
Not applicable.

(1)	(2)
42. Machinist (Highly Skilled Grade-I).	04* (2025) *Subject to variation dependent on workload.

(3)	(4)	(5)
General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.	Level-5 (Rs. 29200-92300).	Non-selection post.

(6)
Between 18 and 27 years (the upper age-limit is relaxable for departmental candidate upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangti Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh and Lakshadweep.

(7)	(8)
12th pass or equivalent from a recognised Board or University with a Certificate in the trade from recognised Industrial Training Institute or equivalent Diploma.	Not applicable.

(9)
Two years for direct recruits.

(10)
By promotion failing which by transfer failing which by deputation and failing all by direct recruitment.

(11)
Promotion : Machinist (Highly Skilled Grade-II) in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) having five years regular service in the grade. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Transfer : Person working in similar or equivalent or higher grades in the civil post in lower formations of Defence Service. Deputation : Officers under the Central Government or State Governments or Union territories , - (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) or equivalent in the parent Cadre or Department ; and

(b) possessing the educational qualification and experience prescribed under Column (7).

Note 1 : The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation or absorption. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2 : The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.

Note 3 : The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.

(12)

Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-

- | | |
|--|-------------|
| 1. An officer of the rank of Brigadier | - Chairman; |
| 2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel | - Member; |
| 3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps | - Member. |

Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-

- | | |
|--|-------------|
| 1. An officer of the rank of Brigadier | - Chairman; |
| 2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel | - Member; |
| 3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps | - Member. |

(13)

Not applicable.

(1)	(2)
43. Machinist (Highly Skilled Grade-II).	04* (2025) *Subject to variation dependent on workload.

(3)	(4)	(5)
General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.	Level-4 (Rs. 25500-81100).	Not applicable.

(6)

Between 18 and 27 years (the upper age-limit is relaxable for departmental candidate upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).

Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh and Lakshadweep.

(7)	(8)
12th pass or equivalent from a recognised Board or University with a Certificate in the trade from recognised Industrial Training Institute or equivalent Diploma.	Not applicable.

(9)	(10)
Two years for direct recruits.	By transfer failing which by direct recruitment.

(11)
Transfer : Person working in similar or equivalent or higher grades in the civil post in lower formation of Defence Service.

(12)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. An officer of the rank of Brigadier - Chairman; 2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel - Member; 3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps - Member.

(13)
Not applicable.

(1)	(2)
44. Watch Maker (Highly Skilled Grade-I).	01* (2025) *Subject to variation dependent on workload.

(3)	(4)	(5)
General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.	Level-5 (Rs. 29200-92300).	Non-selection post.

(6)
Between 18 and 27 years (the upper age-limit is relaxable for departmental candidate upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh and Lakshadweep.

(7)	(8)
12th pass or equivalent from a recognised Board or University with a Certificate in the trade from recognised Industrial Training Institute or equivalent Diploma.	Not applicable.

(9)
Two years for direct recruits.

(10)
By promotion failing which by transfer failing which by deputation and failing all by direct recruitment.

(11)
Promotion : Watch Maker (Highly Skilled Grade-II) in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) having five years regular service in the grade. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Transfer : Person working in similar or equivalent or higher grades in the civil post in lower formations of Defence Service. Deputation : Officers under the Central Government or State Governments or Union territories , - (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) or equivalent in the parent Cadre or Department ; and (b) possessing the educational qualification and experience prescribed under Column (7). Note 1 : The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation or absorption. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2 : The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. Note 3 : The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.

(12)	
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-	
1. An officer of the rank of Brigadier	- Chairman;
2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel	- Member;
3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps	- Member.

Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-	
1. An officer of the rank of Brigadier	- Chairman;
2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel	- Member;
3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps	- Member.

(13)
Not applicable.

(1)	(2)	(3)
45. Watch Maker (Highly Skilled Grade-II).	01* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.

(4)	(5)	(6)	(7)
Level-4 (Rs. 25500-81100).	Non-selection post.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by transfer.

(11)
Promotion : Watch Maker (Skilled) in level-2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200) having eight years regular service in the grade and who have passed the trade test. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Transfer : Person working in similar or equivalent or higher grades in the civil post in lower formations of Defence Service.

(12)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. An officer of the rank of Brigadier - Chairman; 2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel - Member; 3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps - Member.

(13)
Not applicable.

(1)	(2)	(3)
46. Watch Maker (Skilled).	01* (2025) *subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.

(4)	(5)	(6)	(7)
Level-2 (Rs. 19900-63200).	Non-selection post.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by transfer.

(11)
Promotion : Tradesman (Semi Skilled) or Tradesman Mate working in level-1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900) having three years of qualifying service in the grade who have passed the trade test.
Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors with similar qualifications subject to passing of requisite trade test would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.
Transfer : Persons working in similar or equivalent or higher grades in the civil post in lower formations of Defence Services.

(12)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-
1. An officer of the rank of Brigadier - Chairman;
2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel - Member;
3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps - Member.

(13)
Not applicable.

(1)	(2)	(3)
47. Welder Electric/ Welder Acetylene (Highly Skilled Grade-I).	01* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.

(3)	(4)	(5)
General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.	Level-5 (Rs. 29200-92300).	Non-selection post.

(6)
Between 18 and 27 years (the upper age-limit is relaxable for departmental candidate upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).
Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh and Lakshadweep.

(7)	(8)
12th pass or equivalent from a recognised Board or University with a Certificate in the trade from recognised Industrial Training Institute or equivalent Diploma.	Not applicable.

(9)
Two years for direct recruits.

(10)
By promotion failing which by transfer failing which by deputation and failing all by direct recruitment.

(11)
Promotion : Welder Electric/ Welder Acetylene (Highly Skilled Grade-II) in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) having five years regular service in the grade. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Transfer : Person working in similar or equivalent or higher grades in the civil post in lower formations of Defence Service. Deputation : Officers under the Central Government or State Governments or Union territories , - (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) or equivalent in the parent Cadre or Department ; and (b) possessing the educational qualification and experience prescribed under Column (7). Note 1 : The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation or absorption. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2 : The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. Note 3 : The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.

(12)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. An officer of the rank of Brigadier - Chairman; 2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel - Member; 3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps - Member.

Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. An officer of the rank of Brigadier - Chairman; 2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel - Member; 3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps - Member.
--

(13)
Not applicable.

(1)	(2)	(3)
48. Welder Electric/ Welder Acetylene (Highly Skilled Grade-II).	01* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.

(4)	(5)	(6)
Level-4 (Rs. 25500-81100).	Non-selection post.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by transfer.

(11)
Promotion : Welder Electric/Welder Acetylene (Skilled) in level-2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200) having eight years regular service in the grade and who have passed the trade test. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Transfer : Person working in similar or equivalent or higher grades in the civil post in lower formations of Defence Service.

(12)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. An officer of the rank of Brigadier - Chairman; 2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel - Member; 3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps - Member.

(13)
Not applicable.

(1)	(2)	(3)
49. Welder Electric / Welder Acetylene (Skilled).	02* (2025) *subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.

(4)	(5)	(6)	(7)
Level-2 (Rs. 19900-63200).	Non-selection post.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by transfer.

(11)
Promotion : Tradesman (Semi Skilled) or Tradesman Mate working in level-1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900) having three years of qualifying service in the grade who have passed the trade test. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors with similar qualifications subject to passing of requisite trade test would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Transfer : Persons working in similar or equivalent or higher grades in the civil post in lower formations of Defence Services.

(12)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. An officer of the rank of Brigadier - Chairman; 2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel - Member; 3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps - Member.

(13)
Not applicable.

(1)	(2)
50. Armourer (Highly Skilled Grade-I).	07* (2025) *Subject to variation dependent on workload.

(3)	(4)	(5)
General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.	Level-5 (Rs. 29200-92300).	Non-selection post.

(6)
Between 18 and 27 years (the upper age-limit is relaxable for departmental candidate upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangri Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh and Lakshadweep.

(7)	(8)
12th pass or equivalent from a recognised Board or University with a Certificate in the trade from recognised Industrial Training Institute or equivalent Diploma.	Not applicable.

(9)
Two years for direct recruits.

(10)
By promotion failing which by transfer failing which by deputation and failing all by direct recruitment.

(11)
Promotion : Armourer (Highly Skilled Grade-II) in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) having five years regular service in the grade. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Transfer : Person working in similar or equivalent or higher grades in the civil post in lower formations of Defence Service. Deputation : Officers under the Central Government or State Governments or Union territories , - (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) or equivalent in the parent Cadre or Department ; and (b) possessing the educational qualification and experience prescribed under Column (7). Note 1 : The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation or absorption. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2 : The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. Note 3 : The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.

(12)	
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-	
1. An officer of the rank of Brigadier	- Chairman;
2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel	- Member;
3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps	- Member.

Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-	
1. An officer of the rank of Brigadier	- Chairman;
2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel	- Member;
3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps	- Member.

(13)
Not applicable.

(1)	(2)	(3)
51. Armourer (Highly Skilled Grade-II).	07* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.

(4)	(5)	(6)
Level-4 (Rs. 25500-81100).	Non-selection post.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by transfer.

(11)
Promotion : Armourer (Skilled) in level-2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200) having eight years regular service in the grade and who have passed the trade test. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Transfer : Person working in similar or equivalent or higher grades in the civil post in lower formations of Defence Service.

(12)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. An officer of the rank of Brigadier - Chairman; 2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel - Member; 3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps - Member.

(13)
Not applicable.

(1)	(2)	(3)
52. Armourer (Skilled).	14* (2025) *subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.

(4)	(5)	(6)	(7)
Level-2 (Rs. 19900-63200).	Non-selection post.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by transfer.

(11)
Promotion : Tradesman (Semi Skilled) or Tradesman Mate working in level-1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900) having three years of qualifying service in the grade who have passed the trade test. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors with similar qualifications subject to passing of requisite trade test would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Transfer : Persons working in similar or equivalent or higher grades in the civil post in lower formations of Defence Services.

(12)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. An officer of the rank of Brigadier - Chairman; 2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel - Member; 3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps - Member.

(13)
Not applicable.

(1)	(2)
53. Fitter Pistol/Rifle (Highly Skilled Grade-I).	01* (2025) *Subject to variation dependent on workload.

(3)	(4)	(5)
General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.	Level-5 (Rs. 29200-92300).	Non-selection post.

(6)
Between 18 and 27 years (the upper age-limit is relaxable for departmental candidate upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangti Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh and Lakshadweep.

(7)	(8)
12th pass or equivalent from a recognised Board or University with a Certificate in the trade from recognised Industrial Training Institute or equivalent Diploma.	Not applicable.

(9)
Two years for direct recruits.

(10)
By promotion failing which by transfer failing which by deputation and failing all by direct recruitment.

(11)
Promotion : Fitter Pistol/Rifle (Highly Skilled Grade-II) in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) having five years regular service in the grade. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Transfer : Person working in similar or equivalent or higher grades in the civil post in lower formations of Defence Service. Deputation : Officers under the Central Government or State Governments or Union territories; (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) or equivalent in the parent Cadre or Department ; and (b) possessing the educational qualification and experience prescribed under Column (7). Note 1 : The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation or absorption. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2 : The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. Note 3 : The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.

(12)	
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-	
1. An officer of the rank of Brigadier	- Chairman;
2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel	- Member;
3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps	- Member.

Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-	
1. An officer of the rank of Brigadier	- Chairman;
2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel	- Member;
3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps	- Member.

(13)
Not applicable.

(1)	(2)	(3)
54. Fitter Pistol/Rifle (Highly Skilled Grade-II).	01* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.

(4)	(5)	(6)
Level-4 (Rs. 25500-81100).	Non-selection post.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by transfer.

(11)
Promotion : Fitter Pistol/Rifle (Skilled) in level-2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200) having eight years regular service in the grade and who have passed the trade test. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Transfer : Person working in similar or equivalent or higher grades in the civil post in lower formations of Defence Service.

(12)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. An officer of the rank of Brigadier - Chairman; 2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel - Member; 3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps - Member.

(13)
Not applicable.

(1)	(2)	(3)
55. Fitter Pistol/Rifle (Skilled).	01* (2025) *subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.

(4)	(5)	(6)	(7)
Level-2 (Rs. 19900-63200).	Non-selection post.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by transfer.

(11)
Promotion : Tradesman (Semi Skilled) or Tradesman Mate working in level-1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900) having three years of qualifying service in the grade who have passed the trade test. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors with similar qualifications subject to passing of requisite trade test would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Transfer : Persons working in similar or equivalent or higher grades in the civil post in lower formations of Defence Services.

(12)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. An officer of the rank of Brigadier - Chairman; 2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel - Member; 3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps - Member.

(13)
Not applicable.

(1)	(2)	(3)
56. Fitter Arms (Skilled).	01* (2025) *subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.

(4)	(5)	(6)	(7)
Level-2 (Rs. 19900-63200).	Non-selection post.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by transfer.

(11)
Promotion : Tradesman (Semi Skilled) or Tradesman Mate working in level-1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900) having three years of qualifying service in the grade who have passed the trade test. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors with similar qualifications subject to passing of requisite trade test would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Transfer : Persons working in similar or equivalent or higher grades in the civil post in lower formations of Defence Services.

(12)	
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-	
1. An officer of the rank of Brigadier	- Chairman;
2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel	- Member;
3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps	- Member.

(13)
Not applicable.

(1)	(2)
57. Gun Fitters (Highly Skilled Grade-I).	10* (2025)*Subject to variation dependent on workload.

(3)	(4)	(5)
General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.	Level-5 (Rs. 29200-92300).	Non-selection post.

(6)
Between 18 and 27 years (the upper age-limit is relaxable for departmental candidate upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).
Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangri Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh and Lakshadweep.

(7)	(8)
12th pass or equivalent from a recognised Board or University with a Certificate in the trade from recognised Industrial Training Institute or equivalent Diploma.	Not applicable.

(9)
Two years for direct recruits.

(10)
By promotion failing which by transfer failing which by deputation and failing all by direct recruitment.

(11)
Promotion : Gun Fitter (Highly Skilled Grade-II) in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) having five years regular service in the grade.
Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully

completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Transfer : Person working in similar or equivalent or higher grades in the civil post in lower formations of Defence Service.

Deputation : Officers under the Central Government or State Governments or Union territories ;

- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or
(ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) or equivalent in the parent Cadre or Department ; and
(b) possessing the educational qualification and experience prescribed under Column (7).

Note 1 : The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation or absorption. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2 : The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.

Note 3 : The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.

(12)

Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-

1. An officer of the rank of Brigadier - Chairman;
2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel - Member;
3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps - Member.

Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-

1. An officer of the rank of Brigadier - Chairman;
2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel - Member;
3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps - Member.

(13)

Not applicable.

(1)	(2)	(3)
58. Gun Fitters (Highly Skilled Grade-II).	10* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.

(3)	(4)	(5)
General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.	Level-4 (Rs. 25500-81100).	Not applicable.

(6)
Between 18 and 27 years (the upper age-limit is relaxable for departmental candidate upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).
Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh and Lakshadweep.

(7)	(8)
12th pass or equivalent from a recognised Board or University with a certificate in the trade from recognised Industrial Training Institute or equivalent diploma.	Not applicable.

(9)	(10)
Two years for direct recruits.	By transfer failing which by direct recruitment.

(11)
Transfer : Person working in similar or equivalent or higher grades in the civil post in lower formations of Defence Service.

(12)	
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-	
1. An officer of the rank of Brigadier	- Chairman;
2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel	- Member;
3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps	- Member.

(13)
Not applicable.

(1)	(2)
59. Electrician (Highly Skilled Grade-I).	20* (2025) *Subject to variation dependent on workload.

(3)	(4)	(5)
General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.	Level-5 (Rs. 29200-92300).	Non-selection post.

(6)
Between 18 and 27 years (the upper age-limit is relaxable for departmental candidate upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).
Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh and Lakshadweep.

(7)	(8)
12th pass or equivalent from a recognised Board or University with a Certificate in the trade from recognised Industrial Training Institute or equivalent Diploma.	Not applicable.

(9)
Two years for direct recruits.

(10)
By promotion failing which by transfer failing which by deputation and failing all by direct recruitment.

(11)
Promotion : Electrician (Highly Skilled Grade-II) in Level-4 (Rs. 25500-81100) having five years regular service in the grade. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Transfer : Person working in similar or equivalent or higher grades in the civil post in lower formations of Defence Service. Deputation : Officers under the Central Government or State Governments or Union territories , - (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) or equivalent in the parent Cadre or Department ; and (b) possessing the educational qualification and experience prescribed under Column (7). Note 1 : The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation or absorption. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2 : The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. Note 3 : The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.

(12)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. An officer of the rank of Brigadier - Chairman; 2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel - Member; 3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps - Member.

Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. An officer of the rank of Brigadier - Chairman;
--

2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel	- Member;
3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps	- Member.

(13)
Not applicable.

(1)	(2)	(3)
60. Electrician (Highly Skilled Grade-II).	20* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.

(4)	(5)	(6)
Level-4 (Rs. 25500-81100).	Non-selection post.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by transfer.

(11)
Promotion : Electrician (Skilled) in level-2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200) having eight years regular service in the grade and who have passed the trade test. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Transfer : Person working in similar or equivalent or higher grades in the civil post in lower formations of Defence Service.

(12)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. An officer of the rank of Brigadier - Chairman; 2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel - Member; 3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps - Member.

(13)
Not applicable.

(1)	(2)	(3)
61. Electrician (Skilled).	43* (2025) *subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.

(4)	(5)	(6)	(7)
Level-2 (Rs. 19900-63200).	Non-selection post.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by transfer.

(11)
Promotion : Tradesman (Semi Skilled) or Tradesman Mate working in level-1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900) having three years of qualifying service in the grade who have passed the trade test. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors with similar qualifications subject to passing of requisite trade test would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Transfer : Persons working in similar or equivalent or higher grades in the civil post in lower formations of Defence Services.

(12)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. An officer of the rank of Brigadier - Chairman; 2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel - Member; 3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps - Member.

(13)
Not applicable.

(1)	(2)
62. Electrician (Motor Vehicle) (Highly Skilled Grade-I).	26* (2025) *Subject to variation dependent on workload.

(3)	(4)	(5)
General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.	Level-5 (Rs. 29200-92300).	Non-selection post.

(6)
Between 18 and 27 years (the upper age-limit is relaxable for departmental candidate upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh and Lakshadweep.

(7)	(8)
12th pass or equivalent from a recognised Board or University with a Certificate in the trade from recognised Industrial Training Institute or equivalent Diploma.	Not applicable.

(9)
Two years for direct recruits.

(10)
By promotion failing which by transfer failing which by deputation and failing all by direct recruitment.

(11)
Promotion : Electrician (Motor Vehicle) in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) having five years regular service in the grade. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Transfer : Person working in similar or equivalent or higher grades in the civil post in lower formations of Defence Service. Deputation : Officers under the Central Government or State Governments or Union territories , - (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) or equivalent in the parent Cadre or Department ; and (b) possessing the educational qualification and experience prescribed under Column (7). Note 1 : The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation or absorption. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2 : The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. Note 3 : The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.

(12)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. An officer of the rank of Brigadier - Chairman; 2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel - Member; 3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps - Member.

Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. An officer of the rank of Brigadier - Chairman; 2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel - Member;
--

3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major
of Arms or Services other than Army Ordnance Corps

- Member.

(13)

Not applicable.

(1)	(2)	(3)
63. Electrician (Motor Vehicle) (Highly Skilled Grade-II).	26* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.

(4)	(5)	(6)	(7)
Level-4 (Rs. 25500-81100).	Non-selection post.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by transfer.

(11)

Promotion : Electrician (Motor Vehicle) (Skilled) in level-2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200) having eight years regular service in the grade and who have passed the trade test.

Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Transfer : Person working in similar or equivalent or higher grades in the civil post in lower formations of Defence Service.

(12)

Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-

1. An officer of the rank of Brigadier - Chairman;
2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel - Member;
3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps - Member.

(13)

Not applicable.

(1)	(2)	(3)
64. Electrician (Motor Vehicle) (Skilled).	56* (2025) *subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.

(4)	(5)	(6)	(7)
Level-2 (Rs. 19900-63200).	Non-selection post.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by transfer

(11)
Promotion : Tradesman (Semi Skilled) or Tradesman Mate working in level-1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900) having three years of qualifying service in the grade who have passed the trade test. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors with similar qualifications subject to passing of requisite trade test would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Transfer : Persons working in similar or equivalent or higher grades in the civil post in lower formations of Defence Services.

(12)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. An officer of the rank of Brigadier - Chairman; 2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel - Member; 3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps - Member.

(13)
Not applicable.

(1)	(2)
65. Vehicle Mechanic (MV) (Highly Skilled Grade-I).	27* (2025) *Subject to variation dependent on workload.

(3)	(4)	(5)
General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.	Level-5 (Rs. 29200-92300).	Non-selection post.

(6)
Between 18 and 27 years (the upper age-limit is relaxable for departmental candidate upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh and Lakshadweep.

(7)	(8)
12th pass or equivalent from a recognised Board or University with a Certificate in the trade from recognised Industrial Training Institute or equivalent Diploma.	Not applicable.

(9)
Two years for direct recruits.

(10)
By promotion failing which by transfer failing which by deputation and failing all by direct recruitment.

(11)
Promotion : Vehicle Mechanic (MV) (Highly Skilled Grade-II) in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) having five years regular service in the grade. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Transfer : Person working in similar or equivalent or higher grades in the civil post in lower formations of Defence Service. Deputation : Officers under the Central Government or State Governments or Union territories , - (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) or equivalent in the parent Cadre or Department ; and (b) possessing the educational qualification and experience prescribed under Column (7). Note 1 : The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation or absorption. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2 : The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. Note 3 : The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.

Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-

- | | |
|--|-------------|
| 1. An officer of the rank of Brigadier | - Chairman; |
| 2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel | - Member; |
| 3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps | - Member. |

Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-

- | | |
|---|-------------|
| 1. An officer of the rank of Brigadier | - Chairman; |
| 2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel | - Member; |
| 3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major | |

of Arms or Services other than Army Ordnance Corps	- Member.
--	-----------

(13)

Not applicable.

(1)	(2)	(3)
66. Vehicle Mechanic (MV) (Highly Skilled Grade-II).	27* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.

(4)	(5)	(6)
Level-4 (Rs. 25500-81100).	Non-selection post.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by transfer.

(11)

Promotion : Vehicle Mechanic (MV) (Skilled) in level-2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200) having eight years regular service in the grade and who have passed the trade test.

Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Transfer : Person working in similar or equivalent or higher grades in the civil post in lower formations of Defence Service.

(12)

Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-

- | | |
|---|-------------|
| 1. An officer of the rank of Brigadier | - Chairman; |
| 2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel | - Member; |
| 3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major
of Arms or Services other than Army Ordnance Corps | - Member. |

(13)

Not applicable.

(1)	(2)	(3)
67. Vehicle Mechanic (MV) (Skilled).	60* (2025) *subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.

(4)	(5)	(6)	(7)
Level-2 (Rs. 19900-63200).	Non-selection post.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by transfer.

(11)
Promotion : Tradesman (Semi Skilled) or Tradesman Mate working in level-1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900) having three years of qualifying service in the grade who have passed the trade test. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors with similar qualifications subject to passing of requisite trade test would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Transfer : Persons working in similar or equivalent or higher grades in the civil post in lower formations of Defence Services.

(12)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. An officer of the rank of Brigadier - Chairman; 2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel - Member; 3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps - Member.

(13)
Not applicable.

(1)	(2)
68. Typewriter Mechanic / Mechanic Typewriter and Duplicator (Highly Skilled Grade-I).	03* (2025) *Subject to variation dependent on workload.

(3)	(4)	(5)
General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.	Level-5 (Rs. 29200-92300).	Non-selection post.

(6)
Between 18 and 27 years (the upper age-limit is relaxable for departmental candidate upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangti Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh and Lakshadweep.

(7)	(8)
12th pass or equivalent from a recognised Board or University with a Certificate in the trade from recognised Industrial Training Institute or equivalent Diploma.	Not applicable.

(9)
Two years for direct recruits.

(10)
By promotion failing which by transfer failing which by deputation and failing all by direct recruitment.

(11)
Promotion : Typewriter Mechanic or Mechanic Typewriter and Duplicator (Highly Skilled Grade-II) in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) having five years regular service in the grade. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Transfer : Person working in similar or equivalent or higher grades in the civil post in lower formations of Defence Service. Deputation : Officers under the Central Government or State Governments or Union territories , - (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) or equivalent in the parent Cadre or Department ; and (b) possessing the educational qualification and experience prescribed under Column (7). Note 1 : The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation or absorption. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2 : The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. Note 3 : The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.

(12)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. An officer of the rank of Brigadier - Chairman; 2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel - Member; 3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps - Member.

Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. An officer of the rank of Brigadier - Chairman; 2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel - Member; 3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps - Member.
--

(13)
Not applicable.

(1)	(2)	(3)
69. Typewriter Mechanic / Mechanic Typewriter and Duplicator (Highly Skilled Grade-II).	03* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.

(4)	(5)	(6)
Level-4 (Rs. 25500-81100).	Non-selection post.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by transfer.

(11)
Promotion : Typewriter Mechanic or Mechanic Typewriter and Duplicator (Skilled) in level-2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200) having eight years regular service in the grade and who have passed the trade test. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Transfer : Person working in similar or equivalent or higher grades in the civil post in lower formations of Defence Service.

(12)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. An officer of the rank of Brigadier - Chairman; 2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel - Member; 3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps - Member.

(13)
Not applicable.

(1)	(2)	(3)
70. Typewriter Mechanic / Mechanic Typewriter and Duplicator (Skilled).	08* (2025) *subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.

(4)	(5)	(6)	(7)
Level-2 (Rs. 19900-63200).	Non-selection post.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by transfer.

(11)
Promotion : Tradesman (Semi Skilled) or Tradesman Mate working in level-1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900) having three years of qualifying service in the grade who have passed the trade test. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors with similar qualifications subject to passing of requisite trade test would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Transfer : Persons working in similar or equivalent or higher grades in the civil post in lower formations of Defence Services.

(12)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. An officer of the rank of Brigadier - Chairman; 2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel - Member; 3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps - Member.

(13)
Not applicable.

(1)	(2)	(3)
71. Signal Fitter (Skilled).	01* (2025) *subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.

(4)	(5)	(6)	(7)
Level-2 (Rs. 19900-63200).	Non-selection post.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by transfer.

(11)
Promotion : Tradesman (Semi Skilled) or Tradesman Mate working in level-1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900) having three years of qualifying service in the grade who have passed the trade test. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors with similar qualifications subject to passing of requisite trade test would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Transfer : Persons working in similar or equivalent or higher grades in the civil post in lower formations of Defence Services.

(12)	
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-	
1. An officer of the rank of Brigadier	- Chairman;
2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel	- Member;
3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps	- Member.

(13)
Not applicable.

(1)	(2)
72. Fitter (Motor Vehicle) (Highly Skilled Grade-I).	05* (2025) *Subject to variation dependent on workload.

(3)	(4)	(5)
General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.	Level-5 (Rs. 29200-92300).	Non-selection post.

(6)
Between 18 and 27 years (the upper age-limit is relaxable for departmental candidate upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).
Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh and Lakshadweep.

(7)	(8)
12th pass or equivalent from a recognised Board or University with a Certificate in the trade from recognised Industrial Training Institute or equivalent Diploma.	Not applicable.

(9)
Two years for direct recruits.

(10)
By promotion failing which by transfer failing which by deputation and failing all by direct recruitment.

(11)
Promotion : Fitter (Motor Vehicle) (Highly Skilled Grade-II) in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) having five years regular service in the grade.
Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Transfer : Person working in similar or equivalent or higher grades in the civil post in lower formations of Defence Service.

Deputation : Officers under the Central Government or State Governments or Union territories , -

- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or
 (ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) or equivalent in the parent Cadre or Department ; and
 (b) possessing the educational qualification and experience prescribed under Column (7).

Note 1 : The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation or absorption. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2 : The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.

Note 3 : The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.

(12)

Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-

1. An officer of the rank of Brigadier - Chairman;
2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel - Member;
3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps - Member.

Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-

1. An officer of the rank of Brigadier - Chairman;
2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel - Member;
3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps - Member.

(13)

Not applicable.

(1)	(2)	(3)
73. Fitter (MV) (Highly Skilled Grade-II).	05* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.

(4)	(5)	(6)
Level-4 (Rs. 25500-81100).	Non-selection post.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by transfer.

(11)
Promotion : Fitter (MV) (Skilled) in level-2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200) having eight years regular service in the grade and who have passed the trade test. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Transfer : Person working in similar or equivalent or higher grades in the civil post in lower formations of Defence Service.

(12)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. An officer of the rank of Brigadier - Chairman; 2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel - Member; 3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps - Member.

(13)
Not applicable.

(1)	(2)	(3)
74. Fitter (MV) (Skilled).	11* (2025) *subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.

(4)	(5)	(6)	(7)
Level-2 (Rs. 19900-63200).	Non-selection post.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by transfer.

(11)
Promotion : Tradesman (Semi Skilled) or Tradesman Mate working in level-1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900) having three years of qualifying service in the grade who have passed the trade test. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors with similar qualifications subject to passing of requisite trade test would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Transfer : Persons working in similar or equivalent or higher grades in the civil post in lower formations of Defence Services.

(12)

Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-

- | | |
|--|-------------|
| 1. An officer of the rank of Brigadier | - Chairman; |
| 2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel | - Member; |
| 3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps | - Member. |

(13)

Not applicable.

(1)	(2)
75. Black Smith (Highly Skilled Grade-I).	36* (2025) *Subject to variation dependent on workload.

(3)	(4)	(5)
General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.	Level-5 (Rs. 29200-92300).	Non-selection post.

(6)

Between 18 and 27 years (the upper age-limit is relaxable for departmental candidate upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).

Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh and Lakshadweep.

(7)	(8)
12th pass or equivalent from a recognised Board or University with a Certificate in the trade from recognised Industrial Training Institute or equivalent Diploma.	Not applicable.

(9)

Two years for direct recruits.

(10)

By promotion failing which by transfer failing which by deputation and failing all by direct recruitment.

(11)

Promotion : Black Smith (Highly Skilled Grade-II) in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) having five years regular service in the grade.

Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Transfer : Person working in similar or equivalent or higher grades in the civil post in lower formations of Defence Service.

Deputation : Officers under the Central Government or State Governments or Union territories , -

- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or
(ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) or equivalent in the parent Cadre or Department ; and
(b) possessing the educational qualification and experience prescribed under Column (7).

Note 1 : The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation or absorption. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2 : The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.

Note 3 : The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications..

(12)	
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-	
1. An officer of the rank of Brigadier	- Chairman;
2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel	- Member;
3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps	- Member.

Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-	
1. An officer of the rank of Brigadier	- Chairman;
2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel	- Member;
3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps	- Member.

(13)
Not applicable.

(1)	(2)	(3)
76. Black Smith (Highly Skilled Grade-II).	36* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.

(4)	(5)	(6)
Level-4 (Rs. 25500-81100).	Non-selection post.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by transfer.

(11)
Promotion : Black Smith (Skilled) in level-2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200) having eight years regular service in the grade and who have passed the trade test. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Transfer : Person working in similar or equivalent or higher grades in the civil post in lower formations of Defence Service.

(12)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. An officer of the rank of Brigadier - Chairman; 2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel - Member; 3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps - Member.

(13)
Not applicable.

(1)	(2)	(3)
77. Black Smith (Skilled).	79* (2025) *subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.

(4)	(5)	(6)	(7)
Level-2 (Rs. 19900-63200).	Non-selection post.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by transfer.

(11)
Promotion : Tradesman (Semi Skilled) or Tradesman Mate working in level-1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900) having three years of qualifying service in the grade who have passed the trade test. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors with similar qualifications subject to passing of requisite trade test would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Transfer : Persons working in similar or equivalent or higher grades in the civil post in lower formations of Defence Services.

(12)	
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-	
1. An officer of the rank of Brigadier	- Chairman;
2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel	- Member;
3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps	- Member.

(13)
Not applicable.

(1)	(2)
78. Boiler Attendant (Highly Skilled Grade-I).	01* (2025) *Subject to variation dependent on workload.

(3)	(4)	(5)
General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.	Level-5 (Rs. 29200-92300).	Non-selection post.

(6)
Between 18 and 27 years (the upper age-limit is relaxable for departmental candidate upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).
Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh and Lakshadweep.

(7)	(8)
12th pass or equivalent from a recognised Board or University with a Certificate in the trade from recognised Industrial Training Institute or equivalent Diploma.	Not applicable.

(9)
Two years for direct recruits.

(10)
By promotion failing which by transfer failing which by deputation and failing all by direct recruitment.

(11)
Promotion : Boiler Attendant (Highly Skilled Grade-II) in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) having five years regular service in the grade.
Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.
Transfer : Person working in similar or equivalent or higher grades in the civil post in lower formations of Defence Service.

Deputation : Officers under the Central Government or State Governments or Union territories , -

- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or
 (ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) or equivalent in the parent Cadre or Department ; and
 (b) possessing the educational qualification and experience prescribed under Column (7).

Note 1 : The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation or absorption. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2 : The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.

Note 3 : The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.

(12)

Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-

1. An officer of the rank of Brigadier - Chairman;
 2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel - Member;
 3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps - Member.

Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-

1. An officer of the rank of Brigadier - Chairman;
 2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel - Member;
 3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps - Member.

Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.

(13)

Not applicable.

(1)	(2)	(3)
79. Boiler Attendant (Highly Skilled Grade-II).	01* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.

(4)	(5)	(6)	(7)
Level-4 (Rs. 25500-81100).	Non-selection post.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by transfer.

(11)
Promotion : Boiler Attendant (Skilled) in level-2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200) having eight years regular service in the grade and who have passed the trade test. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Transfer : Person working in similar or equivalent or higher grades in the civil post in lower formations of Defence Service.

(12)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. An officer of the rank of Brigadier - Chairman; 2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel - Member; 3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps - Member.

(13)
Not applicable.

(1)	(2)	(3)
80. Boiler Attendant (Skilled).	02* (2025) *subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.

(4)	(5)	(6)	(7)
Level-2 (Rs. 19900-63200).	Non-selection post.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by transfer.

(11)
Promotion : Tradesman (Semi Skilled) or Tradesman Mate working in level-1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900) having three years of qualifying service in the grade who have passed the trade test. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors with similar qualifications subject to passing of requisite trade test would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Transfer : Persons working in similar or equivalent or higher grades in the civil post in lower formations of Defence Services.

(12)	
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-	
1. An officer of the rank of Brigadier	- Chairman;
2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel	- Member;
3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps	- Member.

(13)
Not applicable.

(1)	(2)
81. Carpenters and Joiner (Highly Skilled Grade-I).	210* (2025) *Subject to variation dependent on workload.

(3)	(4)	(5)
General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.	Level-5 (Rs. 29200-92300).	Non-selection post.

(6)
Between 18 and 27 years (the upper age-limit is relaxable for departmental candidate upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).
Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangti Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh and Lakshadweep.

(7)	(8)
12th pass or equivalent from a recognised Board or University with a Certificate in the trade from recognised Industrial Training Institute or equivalent Diploma.	Not applicable.

(9)
Two years for direct recruits.

(10)
By promotion failing which by transfer failing which by deputation and failing all by direct recruitment.

(11)
Promotion : Carpenters and Joiner (Highly Skilled Grade-II) in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) having five years regular service in the grade.
Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or

eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Transfer : Person working in similar or equivalent or higher grades in the civil post in lower formations of Defence Service.

Deputation : Officers under the Central Government or State Governments or Union territories , -

- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or
(ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) or equivalent in the parent Cadre or Department ; and
(b) possessing the educational qualification and experience prescribed under Column (7).

Note 1 : The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation or absorption. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2 : The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.

Note 3 : The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.

(12)

Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-

- | | |
|--|-------------|
| 1. An officer of the rank of Brigadier | - Chairman; |
| 2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel | - Member; |
| 3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps | - Member. |

Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-

- | | |
|--|-------------|
| 1. An officer of the rank of Brigadier | - Chairman; |
| 2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel | - Member; |
| 3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps | - Member. |

(13)

Not applicable.

(1)	(2)	(3)
82. Carpenters and Joiner (Highly Skilled Grade-II).	210* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.

(4)	(5)	(6)
Level-4 (Rs. 25500-81100).	Non-selection post.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by transfer.

(11)
Promotion : Carpenters and Joiner (Skilled) in level-2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200) having eight years regular service in the grade and who have passed the trade test. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Transfer : Person working in similar or equivalent or higher grades in the civil post in lower formations of Defence Service.

(12)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. An officer of the rank of Brigadier - Chairman; 2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel - Member; 3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps - Member.

(13)
Not applicable.

(1)	(2)
83. Carpenters and Joiner (Skilled).	460* (2025) *subject to variation dependent on workload.

(3)
General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.

(4)	(5)	(6)	(7)
Level-2 (Rs. 19900-63200).	Non-selection post.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by transfer.

(11)
Promotion : Tradesman (Semi Skilled) or Tradesman Mate working in level-1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900) having three years of qualifying service in the grade who have passed the trade test. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors with similar qualifications subject to passing of requisite trade test would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation

period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Transfer : Persons working in similar or equivalent or higher grades in the civil post in lower formations of Defence Services.

(12)

Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-

- | | |
|--|-------------|
| 1. An officer of the rank of Brigadier | - Chairman; |
| 2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel | - Member; |
| 3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps | - Member. |

(13)

Not applicable.

(1)

84. Compositor (Highly Skilled Grade-I).

(2)

10* (2025)*Subject to variation dependent on workload.

(3)

General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.

(4)

Level-5
(Rs. 29200-92300).

(5)

Non-selection post.

(6)

Between 18 and 27 years (the upper age-limit is relaxable for departmental candidate upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).

Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh and Lakshadweep.

(7)

12th pass or equivalent from a recognised Board or University with a Certificate in the trade from recognised Industrial Training Institute or equivalent Diploma.

(8)

Not applicable.

(9)

Two years for direct recruits.

(10)

By promotion failing which by transfer failing which by deputation and failing all by direct recruitment.

(11)

Promotion : Compositor (Highly Skilled Grade-II) in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) having five years regular service in the grade.

Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Transfer : Person working in similar or equivalent or higher grades in the civil post in lower formations of Defence Service.

Deputation : Officers under the Central Government or State Governments or Union territories , -

- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or
 (ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) or equivalent in the parent Cadre or Department ; and
 (b) possessing the educational qualification and experience prescribed under Column (7).

Note 1 : The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation or absorption. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2 : The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 3 : The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.'

(12)

Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-

- | | |
|--|-------------|
| 1. An officer of the rank of Brigadier | - Chairman; |
| 2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel | - Member; |
| 3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps | - Member. |

Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-

- | | |
|--|-------------|
| 1. An officer of the rank of Brigadier | - Chairman; |
| 2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel | - Member; |
| 3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps | - Member. |

(13)

Not applicable.

(1)	(2)	(3)
85. Compositor (Highly Skilled Grade-II).	10* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.

(3)	(4)	(5)
General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.	Level-4 (Rs. 25500-81100).	Not applicable.

(6)

Between 18 and 27 years (the upper age-limit is relaxable for departmental candidate upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).

Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram,

Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangri Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh and Lakshadweep.

(7)	(8)
12th pass or equivalent from a recognised Board or University with a certificate in the trade from recognised Industrial Training Institute or equivalent diploma.	Not applicable.

(9)	(10)
Two years for direct recruits.	By transfer failing which by direct recruitment.

(11)
Transfer : Person working in similar or equivalent or higher grades in the civil post in lower formations of Defence Service.

(12)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. An officer of the rank of Brigadier - Chairman; 2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel - Member; 3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps - Member.

(13)
Not applicable.

(1)	(2)	(3)
86. Engine Driver (Highly Skilled Grade-II).	01* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.

(4)	(5)	(6)	(7)
Level-4 (Rs. 25500-81100).	Non-selection post.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by transfer.

(11)
Promotion : Engine Driver (Skilled) in level-2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200) having eight years regular service in the grade and who have passed the trade test. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Transfer : Person working in similar or equivalent or higher grades in the civil post in lower formations of Defence Service.

(12)

Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-

- | | |
|--|-------------|
| 1. An officer of the rank of Brigadier | - Chairman; |
| 2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel | - Member; |
| 3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps | - Member. |

(13)

Not applicable.

(1)	(2)	(3)
87. Engine Driver (Skilled).	01* (2025) *subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.

(4)	(5)	(6)	(7)
Level-2 (Rs. 19900-63200).	Non-selection post.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by transfer.

(11)

Promotion : Tradesman (Semi Skilled) or Tradesman Mate working in level-1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900) having three years of qualifying service in the grade who have passed the trade test.

Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors with similar qualifications subject to passing of requisite trade test would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Transfer : Persons working in similar or equivalent or higher grades in the civil post in lower formations of Defence Services.

(12)

Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-

- | | |
|--|-------------|
| 1. An officer of the rank of Brigadier | - Chairman; |
| 2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel | - Member; |
| 3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps | - Member. |

(13)
Not applicable.

(1)	(2)
88. Moulder (Highly Skilled Grade-I).	04* (2025) *Subject to variation dependent on workload.

(3)	(4)	(5)
General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.	Level-5 (Rs. 29200-92300).	Non-selection post.

(6)
Between 18 and 27 years (the upper age-limit is relaxable for departmental candidate upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh and Lakshadweep.

(7)	(8)
12th pass or equivalent from a recognised Board or University with a Certificate in the trade from recognised Industrial Training Institute or equivalent Diploma.	Not applicable.

(9)
Two years for direct recruits.

(10)
By promotion failing which by transfer failing which by deputation and failing all by direct recruitment.

(11)
Promotion : Moulder (Highly Skilled Grade-II) in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) having five years regular service in the grade. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Transfer : Person working in similar or equivalent or higher grades in the civil post in lower formations of Defence Service. Deputation : Officers under the Central Government or State Governments or Union territories , - (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) or equivalent in the parent Cadre or Department ; and (b) possessing the educational qualification and experience prescribed under Column (7).

Note 1 : The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation or absorption. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2 : The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.

Note 3 : The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.

(12)	
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-	
1. An officer of the rank of Brigadier	- Chairman;
2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel	- Member;
3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps	- Member.

Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-	
1. An officer of the rank of Brigadier	- Chairman;
2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel	- Member;
3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps	- Member.

(13)	
Not applicable.	

(1)	(2)	(3)
89. Moulder (Highly Skilled Grade-II).	04* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.

(4)	(5)	(6)
Level-4 (Rs. 25500-81100).	Non-selection post.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by transfer.

(11)	
Promotion : Moulder (Skilled) in level-2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200) having eight years regular service in the grade and who have passed the trade test.	
Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	
Transfer : Person working in similar or equivalent or higher grades in the civil post in lower formations of Defence Service.	

(12)	
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-	
1. An officer of the rank of Brigadier	- Chairman;
2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel	- Member;
3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps	- Member.

(13)
Not applicable.

(1)	(2)	(3)
90. Moulder (Skilled).	09* (2025) *subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.

(4)	(5)	(6)	(7)
Level-2 (Rs. 19900-63200).	Non-selection post.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by transfer.

(11)
Promotion : Tradesman (Semi Skilled) or Tradesman Mate working in level-1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900) having three years of qualifying service in the grade who have passed the trade test.
Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors with similar qualifications subject to passing of requisite trade test would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.
Transfer : Persons working in similar or equivalent or higher grades in the civil post in lower formations of Defence Services.

(12)	
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-	
1. An officer of the rank of Brigadier	- Chairman;
2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel	- Member;
3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps	- Member.

(13)
Not applicable.

(1)	(2)
91. Sawyer (Highly Skilled Grade-I).	34* (2025) *Subject to variation dependent on workload.

(3)	(4)	(5)
General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.	Level-5 (Rs. 29200-92300).	Non-selection post.

(6)
Between 18 and 27 years (the upper age-limit is relaxable for departmental candidate upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh and Lakshadweep.

(7)	(8)
12th pass or equivalent from a recognised Board or University with a Certificate in the trade from recognised Industrial Training Institute or equivalent Diploma.	Not applicable.

(9)
Two years for direct recruits.

(10)
By promotion failing which by transfer failing which by deputation and failing all by direct recruitment.

(11)
Promotion : Sawyer (Highly Skilled Grade-II) in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) having five years regular service in the grade. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Transfer : Person working in similar or equivalent or higher grades in the civil post in lower formations of Defence Service. Deputation : Officers under the Central Government or State Governments or Union territories , - (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) or equivalent in the parent Cadre or Department ; and (b) possessing the educational qualification and experience prescribed under Column (7). Note 1 : The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation or absorption. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2 : The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.

Note 3 : The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.

(12)

Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-

- | | |
|--|-------------|
| 1. An officer of the rank of Brigadier | - Chairman; |
| 2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel | - Member; |
| 3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps | - Member. |

Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-

- | | |
|--|-------------|
| 1. An officer of the rank of Brigadier | - Chairman; |
| 2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel | - Member; |
| 3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps | - Member. |

(13)

Not applicable.

(1)	(2)	(3)
92. Sawyer (Highly Skilled Grade-II).	34* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.

(4)	(5)	(6)
Level-4 (Rs. 25500-81100).	Non-selection post.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by transfer.

(11)

Promotion : Sawyer (Skilled) in level-2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200) having eight years regular service in the grade and who have passed the trade test.

Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Transfer : Person working in similar or equivalent or higher grades in the civil post in lower formations of Defence Service.

(12)	
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-	
1. An officer of the rank of Brigadier	- Chairman;
2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel	- Member;
3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps	- Member.

(13)
Not applicable.

(1)	(2)	(3)
93. Sawyer (Skilled).	75* (2025) *subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.

(4)	(5)	(6)	(7)
Level-2 (Rs. 19900-63200).	Non-selection post.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by transfer.

(11)
Promotion : Tradesman (Semi Skilled) or Tradesman Mate working in level-1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900) having three years of qualifying service in the grade who have passed the trade test.
Note : Were juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors with similar qualifications subject to passing of requisite trade test would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.
Transfer : Persons working in similar or equivalent or higher grades in the civil post in lower formations of Defence Services.

(12)	
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-	
1. An officer of the rank of Brigadier	- Chairman;
2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel	- Member;
3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps	- Member.

(13)
Not applicable.

(1)	(2)
94. Tin and Cooper Smith (Highly Skilled Grade-I).	24* (2025) *Subject to variation dependent on workload.

(3)	(4)	(5)
General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.	Level-5 (Rs. 29200-92300).	Non-selection post.

(6)
Between 18 and 27 years (the upper age-limit is relaxable for departmental candidate upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh and Lakshadweep.

(7)	(8)
12th pass or equivalent from a recognised Board or University with a Certificate in the trade from recognised Industrial Training Institute or equivalent Diploma.	Not applicable.

(9)
Two years for direct recruits.

(10)
By promotion failing which by transfer failing which by deputation and failing all by direct recruitment.

(11)
Promotion : Tin and Copper Smith (Highly Skilled Grade-II) in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) having five years regular service in the grade. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Transfer : Person working in similar or equivalent or higher grades in the civil post in lower formations of Defence Service. Deputation : Officers under the Central Government or State Governments or Union territories ,- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) or equivalent in the parent Cadre or Department ; and (b) possessing the educational qualification and experience prescribed under Column (7). Note 1 : The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation or absorption. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2 : The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall

ordinarily not to exceed three years.

Note 3 : The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.

(12)

Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-

- | | |
|--|-------------|
| 1. An officer of the rank of Brigadier | - Chairman; |
| 2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel | - Member; |
| 3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps | - Member. |

Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-

- | | |
|--|-------------|
| 1. An officer of the rank of Brigadier | - Chairman; |
| 2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel | - Member; |
| 3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps | - Member. |

(13)

Not applicable.

(1)	(2)	(3)
95. Tin and Copper Smith (Highly Skilled Grade-II).	24* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.

(4)	(5)	(6)
Level-4 (Rs. 25500-81100).	Non-selection post.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by transfer.

(11)

Promotion : Tin and Cooper Smith (Skilled) in level-2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200) having eight years regular service in the grade and who have passed the trade test.

Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Transfer : Person working in similar or equivalent or higher grades in the civil post in lower formations of Defence Service.

(12)	
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-	
1. An officer of the rank of Brigadier	- Chairman;
2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel	- Member;
3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps	- Member.

(13)
Not applicable.

(1)	(2)	(3)
96. Tin and Copper Smith (Skilled).	52* (2025) *subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.

(4)	(5)	(6)	(7)
Level-2 (Rs. 19900-63200).	Non-selection post.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by transfer.

(11)
Promotion : Tradesman (Semi Skilled) or Tradesman Mate working in level-1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900) having three years of qualifying service in the grade who have passed the trade test.
Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors with similar qualifications subject to passing of requisite trade test would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.
Transfer : Persons working in similar or equivalent or higher grades in the civil post in lower formations of Defence Services.

(12)	
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-	
1. An officer of the rank of Brigadier	- Chairman;
2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel	- Member;
3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps	- Member.

(13)
Not applicable.

(1)	(2)
97. Book Binder (Highly Skilled Grade-I).	03* (2025) *Subject to variation dependent on workload.

(3)	(4)	(5)
General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.	Level-5 (Rs. 29200-92300).	Non-selection post.

(6)
Between 18 and 27 years (the upper age-limit is relaxable for departmental candidate upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).
Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh and Lakshadweep.

(7)	(8)
12th pass or equivalent from a recognised Board or University with a Certificate in the trade from recognised Industrial Training Institute or equivalent Diploma.	Not applicable.

(9)
Two years for direct recruits.

(10)
By promotion failing which by transfer failing which by deputation and failing all by direct recruitment.

(11)
Promotion : Book Binder (Highly Skilled Grade-II) in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) having five years regular service in the grade.
Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.
Transfer : Person working in similar or equivalent or higher grades in the civil post in lower formations of Defence Service.
Deputation : Officers under the Central Government or State Governments or Union territories , -
(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or
(ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) or equivalent in the parent Cadre or Department ; and
(b) possessing the educational qualification and experience prescribed under Column (7).
Note 1 : The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation or absorption. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2 : The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.

Note 3 : The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.

(12)

Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-

- | | |
|--|-------------|
| 1. An officer of the rank of Brigadier | - Chairman; |
| 2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel | - Member; |
| 3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps | - Member. |

Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-

- | | |
|--|-------------|
| 1. An officer of the rank of Brigadier | - Chairman; |
| 2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel | - Member; |
| 3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps | - Member. |

(13)

Not applicable.

(1)	(2)	(3)
98. Book Binder (Highly Skilled Grade-II).	03* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.

(4)	(5)	(6)
Level-4 (Rs. 25500-81100).	Non-selection post.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by transfer.

(11)

Promotion : Book Binder (Skilled) in level-2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200) having eight years regular service in the grade and who have passed the trade test.

Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Transfer : Person working in similar or equivalent or higher grades in the civil post in lower formations of Defence Service.

(12)	
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-	
1. An officer of the rank of Brigadier	- Chairman;
2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel	- Member;
3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps	- Member.

(13)
Not applicable.

(1)	(2)	(3)
99. Book Binder (Skilled).	06* (2025) *subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.

(4)	(5)	(6)	(7)
Level-2 (Rs. 19900-63200).	Non-selection post.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by transfer.

(11)
Promotion : Tradesman (Semi Skilled) or Tradesman Mate working in level-1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900) having three years of qualifying service in the grade who have passed the trade test.
Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors with similar qualifications subject to passing of requisite trade test would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.
Transfer : Persons working in similar or equivalent or higher grades in the civil post in lower formations of Defence Services.

(12)	
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-	
1. An officer of the rank of Brigadier	- Chairman;
2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel	- Member;
3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps	- Member.

(13)
Not applicable.

(1)	(2)
100. Crane Driver (Highly Skilled Grade-I).	03* (2025) *Subject to variation dependent on workload.

(3)	(4)	(5)
General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.	Level-5 (Rs. 29200-92300).	Non-selection post.

(6)
Between 18 and 27 years (the upper age-limit is relaxable for departmental candidate upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).
Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh and Lakshadweep.

(7)	(8)
12th pass or equivalent from a recognised Board or University with a Certificate in the trade from recognised Industrial Training Institute or equivalent Diploma.	Not applicable.

(9)
Two years for direct recruits.

(10)
By promotion failing which by transfer failing which by deputation and failing all by direct recruitment.

(11)
Promotion : Crane Driver (Highly Skilled Grade-II) in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) having five years regular service in the grade.
Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.
Transfer : Person working in similar or equivalent or higher grades in the civil post in lower formations of Defence Service.
Deputation : Officers under the Central Government or State Governments or Union territories , -
(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or
(ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) or equivalent in the parent Cadre or Department ; and

(b) possessing the educational qualification and experience prescribed under Column (7).

Note 1 : The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation or absorption. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2 : The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.

Note 3 : The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.

(12)	
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-	
1. An officer of the rank of Brigadier	- Chairman;
2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel	- Member;
3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps	- Member.

Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-	
1. An officer of the rank of Brigadier	- Chairman;
2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel	- Member;
3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps	- Member.

(13)
Not applicable.

(1)	(2)	(3)
101. Crane Driver (Highly Skilled Grade-II).	03* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.

(4)	(5)	(6)
Level-4 (Rs. 25500-81100).	Non-selection post.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by transfer.

(11)
Promotion : Crane Driver (Skilled) in level-2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200) having eight years regular service in the grade and who have passed the trade test.
Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and

have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Transfer : Person working in similar or equivalent or higher grades in the civil post in lower formations of Defence Service.

(12)

Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-

- | | |
|--|-------------|
| 1. An officer of the rank of Brigadier | - Chairman; |
| 2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel | - Member; |
| 3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps | - Member. |

(13)

Not applicable.

(1)	(2)	(3)
102. Crane Driver (Skilled).	07* (2025) *subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.

(4)	(5)	(6)	(7)
Level-2 (Rs. 19900-63200).	Non-selection post.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by transfer.

(11)

Promotion : Tradesman (Semi Skilled) or Tradesman Mate working in level-1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900) having three years of qualifying service in the grade who have passed the trade test.

Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors with similar qualifications subject to passing of requisite trade test would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Transfer : Persons working in similar or equivalent or higher grades in the civil post in lower formations of Defence Services.

(12)

Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-

- | | |
|--|-------------|
| 1. An officer of the rank of Brigadier | - Chairman; |
| 2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colon | - Member; |
| 3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps | - Member. |

(13)
Not applicable.

(1)	(2)
103. Driver Mechanic (Highly Skilled Grade-I).	01* (2025) *Subject to variation dependent on workload.

(3)	(4)	(5)
General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.	Level-5 (Rs. 29200-92300).	Non-selection post.

(6)
Between 18 and 27 years (the upper age-limit is relaxable for departmental candidate upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh and Lakshadweep.

(7)	(8)
12th pass or equivalent from a recognised Board or University with a Certificate in the trade from recognised Industrial Training Institute or equivalent Diploma.	Not applicable.

(9)
Two years for direct recruits.

(10)
By promotion, failing which transfer failing which by direct recruitment and failing all which by deputation.

(11)
Promotion : Driver Mechanic (Highly Skilled Grade-II) in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) having five years regular service in the grade. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Transfer : Person working in similar or equivalent or higher grades in the civil post in lower formations of Defence Service. Deputation : Officers under the Central Government or State Governments or Union territories , - (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) or equivalent in the parent Cadre or Department ; and (b) possessing the educational qualification and experience prescribed under Column (7).

Note 1 : The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation or absorption. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2 : The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 3 : The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.

(12)	
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-	
1. An officer of the rank of Brigadier	- Chairman;
2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel	- Member;
3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps	- Member.

Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-	
1. An officer of the rank of Brigadier	- Chairman;
2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel	- Member;
3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps	- Member.

(13)
Not applicable.

(1)	(2)	(3)
104. Driver Mechanic (Highly Skilled Grade-II).	01* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.

(4)	(5)	(6)	(7)
Level-4 (Rs. 25500-81100).	Non-selection post.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by transfer.

(11)
Promotion : Driver Mechanic (Skilled) in level-2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200) having eight years regular service in the grade and who have passed the trade test.
Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.
Transfer : Person working in similar or equivalent or higher grades in the civil post in lower formations of Defence Service.

(12)	
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-	
1. An officer of the rank of Brigadier	- Chairman;
2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel	- Member;
3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps	- Member.

(13)
Not applicable.

(1)	(2)	(3)
105. Driver Mechanic (Skilled).	01* (2025) *subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.

(4)	(5)	(6)	(7)
Level-2 (Rs. 19900-63200).	Non-selection post.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by transfer.

(11)
Promotion : Tradesman (Semi Skilled) or Tradesman Mate working level-1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900) having three years of qualifying service in the grade who have passed the trade test. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors with similar qualifications subject to passing of requisite trade test would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Transfer : Persons working in similar or equivalent or higher grades in the civil post in lower formations of Defence Services.

(12)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. An officer of the rank of Brigadier - Chairman; 2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel - Member; 3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps - Member.

(13)
Not applicable.

(1)	(2)
106. Saw Machine Operator (Highly Skilled Grade-I).	02* (2025) *Subject to variation dependent on workload.

(3)	(4)	(5)
General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.	Level-5 (Rs. 29200-92300).	Non-selection post.

(6)
Between 18 and 27 years (the upper age-limit is relaxable for departmental candidate upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).
Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangl Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh and Lakshadweep.

(7)	(8)
12th pass or equivalent from a recognised Board or University with a Certificate in the trade from recognised Industrial Training Institute or equivalent Diploma.	Not applicable.

(9)
Two years for direct recruits.

(10)
By promotion failing which by transfer failing which by deputation and failing all by direct recruitment.

(11)
Promotion : Saw Machine Operator, in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) having five years regular service in the grade. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Transfer : Person working in similar or equivalent or higher grades in the civil post in lower formations of Defence Service. Deputation : Officers under the Central Government or State Governments or Union territories , - (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) or equivalent in the parent Cadre or Department ; and (b) possessing the educational qualification and experience prescribed under Column (7). Note 1 : The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation or absorption. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2 : The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.

Note 3 : The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.

(12)	
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-	
1. An officer of the rank of Brigadier	- Chairman;
2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel	- Member;
3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps	- Member.

Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-	
1. An officer of the rank of Brigadier	- Chairman;
2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel	- Member;
3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps	- Member.

(13)
Not applicable.

(1)	(2)
107. Saw Machine Operator (Highly Skilled Grade-II).	02* (2025) *Subject to variation dependent on workload.

(3)	(4)	(5)
General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.	Level-4 (Rs. 25500-81100).	Non-selection post.

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by transfer.

(11)
Promotion : Saw Machine Operator (Skilled) in level-2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200) having eight years regular service in the grade and who have passed the trade test.
Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.
Transfer : Person working in similar or equivalent or higher grades in the civil post in lower formations of Defence Service.

(12)	
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-	
1. An officer of the rank of Brigadier	- Chairman;
2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel	- Member;
3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps	- Member.

(13)
Not applicable.

(1)	(2)	(3)
108. Saw Machine Operator (Skilled).	03* (2025) *subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.

(4)	(5)	(6)	(7)
Level-2 (Rs. 19900-63200).	Non-selection post.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by transfer.

(11)
Promotion : Tradesman (Semi Skilled) or Tradesman Mate working in level-1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900) having three years of qualifying service in the grade who have passed the trade test.
Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors with similar qualifications subject to passing of requisite trade test would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.
Transfer : Persons working in similar or equivalent or higher grades in the civil post in lower formations of Defence Services.

(12)	
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-	
1. An officer of the rank of Brigadier	- Chairman;
2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel	- Member;
3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps	- Member.

(13)
Not applicable.

(1)	(2)
109. Upholsterer (Highly Skilled Grade-I).	17* (2025) *Subject to variation dependent on workload.

(3)	(4)	(5)
General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.	Level-5 (Rs. 29200-92300).	Non-selection post.

(6)
Between 18 and 27 years (the upper age-limit is relaxable for departmental candidate upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).
Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh and Lakshadweep.

(7)	(8)
12th pass or equivalent from a recognised Board or University with a Certificate in the trade from recognised Industrial Training Institute or equivalent Diploma.	Not applicable.

(9)
Two years for direct recruits.

(10)
By promotion failing which by transfer failing which by deputation and failing all by direct recruitment.

(11)
Promotion : Upholsterer (Highly Skilled Grade-II) in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) having five years regular service in the grade. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Transfer : Person working in similar or equivalent or higher grades in the civil post in lower formations of Defence Service. Deputation : Officers under the Central Government or State Governments or Union territories ,- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) or equivalent in the parent Cadre or Department ; and (b) possessing the educational qualification and experience prescribed under Column (7). Note 1 : The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation or absorption. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2 : The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.

Note 3 : The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.

(12)	
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-	
1. An officer of the rank of Brigadier	- Chairman;
2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel	- Member;
3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps	- Member.

Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-	
1. An officer of the rank of Brigadier	- Chairman;
2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel	- Member;
3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps	- Member.

(13)
Not applicable.

(1)	(2)	(3)
110. Upholsterer (Highly Skilled Grade-II).	17* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.

(4)	(5)	(6)
Level-4 (Rs. 25500-81100).	Non-selection post.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by transfer.

(11)
Promotion : Upholsterer (Skilled) in level-2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200) having eight years regular service in the grade and who have passed the trade test.
Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.
Transfer :
Person working in similar or equivalent or higher grades in the civil post in lower formations of Defence Service.

(12)	
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-	
1. An officer of the rank of Brigadier	- Chairman;
2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel	- Member;
3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps	- Member.

(13)
Not applicable.

(1)	(2)	(3)
111. Upholsterer (Skilled).	37* (2025) *subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.

(4)	(5)	(6)	(7)
Level-2 (Rs. 19900-63200).	Non-selection post.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by transfer.

(11)
Promotion : Tradesman (Semi Skilled) or Tradesman Mate working in level-1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900) having three years of qualifying service in the grade who have passed the trade test.
Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors with similar qualifications subject to passing of requisite trade test would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.
Transfer : Persons working in similar or equivalent or higher grades in the civil post in lower formations of Defence Services.

(12)	
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-	
1. An officer of the rank of Brigadier	- Chairman;
2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel	- Member;
3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps	- Member.

(13)
Not applicable.

(1)	(2)
112. Saddler (Highly Skilled Grade-I).	11* (2025) *Subject to variation dependent on workload.

(3)	(4)	(5)
General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.	Level-5 (Rs. 29200-92300).	Non-selection post.

(6)
Between 18 and 27 years (the upper age-limit is relaxable for departmental candidate upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).
Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangl Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh and Lakshadweep.

(7)	(8)
12th pass or equivalent from a recognised Board or University with a Certificate in the trade from recognised Industrial Training Institute or equivalent Diploma.	Not applicable.

(9)
Two years for direct recruits.

(10)
By promotion failing which by transfer failing which by deputation and failing all by direct recruitment.

(11)
Promotion : Saddler (Highly Skilled Grade-II) in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) having five years regular service in the grade. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Transfer : Person working in similar or equivalent or higher grades in the civil post in lower formations of Defence Service. Deputation : Officers under the Central Government or State Governments or Union territories ,- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) or equivalent in the parent Cadre or Department ; and (b) possessing the educational qualification and experience prescribed under Column (7). Note 1 : The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation or absorption. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2 : The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall

ordinarily not to exceed three years.

Note 3 : The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.

(12)

Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-

- | | |
|--|-------------|
| 1. An officer of the rank of Brigadier | - Chairman; |
| 2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel | - Member; |
| 3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps | - Member. |

Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-

- | | |
|--|-------------|
| 1. An officer of the rank of Brigadier | - Chairman; |
| 2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel | - Member; |
| 3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps | - Member. |

(13)

Not applicable.

(1)	(2)	(3)
113. Saddler (Highly Skilled Grade-II).	11* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.

(4)	(5)	(6)
Level-4 (Rs. 25500-81100).	Non-selection post.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by transfer.

(11)

Promotion : Saddler (Skilled) in level-2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200) having eight years regular service in the grade and who have passed the trade test.

Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Transfer : Person working in similar or equivalent or higher grades in the civil post in lower formations of Defence Service.

(12)	
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-	
1. An officer of the rank of Brigadier	- Chairman;
2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel	- Member;
3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps	- Member.

(13)
Not applicable.

(1)	(2)	(3)
114. Saddler (Skilled).	24* (2025) *subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.

(4)	(5)	(6)	(7)
Level-2 (Rs. 19900-63200).	Non-selection post.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by transfer.

(11)
Promotion : Tradesman (Semi Skilled) or Tradesman Mate working in level-1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900) having three years of qualifying service in the grade who have passed the trade test. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors with similar qualifications subject to passing of requisite trade test would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Transfer : Persons working in similar or equivalent or higher grades in the civil post in lower formations of Defence Services.

(12)	
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-	
1. An officer of the rank of Brigadier	- Chairman;
2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel	- Member;
3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps	- Member.

(13)
Not applicable.

(1)	(2)
115. Painter and Decorator (Highly Skilled Grade-I).	99* (2025) *Subject to variation dependent on workload.

(3)	(4)	(5)
General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.	Level-5 (Rs. 29200-92300).	Non-selection post.

(6)
Between 18 and 27 years (the upper age-limit is relaxable for departmental candidate upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangl Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh and Lakshadweep.

(7)	(8)
12th pass or equivalent from a recognised Board or University with a Certificate in the trade from recognised Industrial Training Institute or equivalent Diploma.	Not applicable.

(9)
Two years for direct recruits.

(10)
By promotion failing which by transfer failing which by deputation and failing all by direct recruitment.

(11)
Promotion : Painter and & Decorator (Highly Skilled Grade-II) in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) having five years regular service in the grade. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Transfer : Person working in similar or equivalent or higher grades in the civil post in lower formations of Defence Service. Deputation : Officers under the Central Government or State Governments or Union territories , - (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) or equivalent in the parent Cadre or Department ; and (b) possessing the educational qualification and experience prescribed under Column (7).

Note 1 : The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation or absorption. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2 : The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.

Note 3 : The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.

(12)

Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-

- | | |
|--|-------------|
| 1. An officer of the rank of Brigadier | - Chairman; |
| 2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel | - Member; |
| 3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps | - Member. |

Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-

- | | |
|--|-------------|
| 1. An officer of the rank of Brigadier | - Chairman; |
| 2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel | - Member; |
| 3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps | - Member. |

(13)

Not applicable.

(1)	(2)	(3)
116. Painter and Decorator (Highly Skilled Grade-II).	99* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.

(4)	(5)	(6)
Level-4 (Rs. 25500-81100).	Non-selection post.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by transfer.

(11)

Promotion : Painter and Decorator (Skilled) in level-2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200) having eight years regular service in the grade and who have passed the trade test.

Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Transfer : Person working in similar or equivalent or higher grades in the civil post in lower formations of Defence Service.

(12)	
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-	
1. An officer of the rank of Brigadier	- Chairman;
2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel	- Member;
3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps	- Member.

(13)
Not applicable.

(1)	(2)	(3)
117. Painter and Decorator (Skilled).	218* (2025) *subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.

(4)	(5)	(6)	(7)
Level-2 (Rs. 19900-63200).	Non-selection post.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by transfer

(11)
Promotion : Tradesman (Semi Skilled) or Tradesman Mate working in level-1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900) having three years of qualifying service in the grade who have passed the trade test. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors with similar qualifications subject to passing of requisite trade test would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Transfer : Persons working in similar or equivalent or higher grades in the civil post in lower formations of Defence Services.

(12)	
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-	
1. An officer of the rank of Brigadier	- Chairman;
2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel	- Member;
3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps	- Member.

(13)
Not applicable.

(1)	(2)
118. Printer (Highly Skilled Grade-I).	05* (2025)*Subject to variation dependent on workload.

(3)	(4)	(5)
General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.	Level-5 (Rs. 29200-92300).	Non-selection post.

(6)
Between 18 and 27 years (the upper age-limit is relaxable for departmental candidate upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).
Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangl Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh and Lakshadweep.

(7)	(8)
12th pass or equivalent from a recognised Board or University with a Certificate in the trade from recognised Industrial Training Institute or equivalent Diploma.	Not applicable.

(9)
Two years for direct recruits.

(10)
By promotion failing which by transfer failing which by deputation and failing all by direct recruitment.

(11)
Promotion : Printer (Highly Skilled Grade-II) in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) having five years regular service in the grade. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Transfer : Person working in similar or equivalent or higher grades in the civil post in lower formations of Defence Service. Deputation : Officers under the Central Government or State Governments or Union territories , - (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) or equivalent in the parent Cadre or Department ; and (b) possessing the educational qualification and experience prescribed under Column (7). Note 1 : The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation or absorption. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2 : The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.

Note 3 : The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.

(12)	
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-	
1. An officer of the rank of Brigadier	- Chairman;
2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel	- Member;
3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps	- Member.

Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-	
1. An officer of the rank of Brigadier	- Chairman;
2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel	- Member;
3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps	- Member.

(13)	
Not applicable.	

(1)	(2)	(3)
119. Printer (Highly Skilled Grade-II).	05* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.

(4)	(5)
Level-4 (Rs. 25500-81100).	Not applicable.

(6)	
Between 18 and 27 years (the upper age-limit is relaxable for departmental candidate upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).	
Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh and Lakshadweep.	

(7)	(8)
12th pass or equivalent from a recognised Board or University with a certificate in the trade from recognised Industrial Training Institute or equivalent diploma.	Not applicable.

(9)	(10)
Two years for direct recruits.	By transfer failing which by direct recruitment.

(11)
Transfer : Person working in similar or equivalent or higher grades in the civil post in lower formations of Defence Service.

(12)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-
1. An officer of the rank of Brigadier - Chairman;
2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel - Member;
3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps - Member.

(13)
Not applicable.

(1)	(2)
120. Operator Printing Machine (Highly Skilled Grade-I).	01* (2025) *Subject to variation dependent on workload.

(3)	(4)	(5)
General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.	Level-5 (Rs. 29200-92300).	Non-selection post.

(6)
Between 18 and 27 years (the upper age-limit is relaxable for departmental candidate upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).
Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangti Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh and Lakshadweep.

(7)	(8)
12th pass or equivalent from a recognised Board or University with a Certificate in the trade from recognised Industrial Training Institute or equivalent Diploma.	Not applicable.

(9)
Two years for direct recruits.

(10)
By promotion failing which by transfer failing which by deputation and failing all by direct recruitment.

(11)
Promotion : Operator Printing Machine (Highly Skilled Grade-II) in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) having five years regular service in the grade. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Transfer : Person working in similar or equivalent or higher grades in the civil post in lower formations of Defence Service. Deputation : Officers under the Central Government or State Governments or Union territories , - (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) or equivalent in the parent Cadre or Department ; and (b) possessing the educational qualification and experience prescribed under Column (7). Note 1 : The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation or absorption. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2 : The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. Note 3 : The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.

(12)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. An officer of the rank of Brigadier - Chairman; 2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel - Member; 3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps - Member.

Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. An officer of the rank of Brigadier - Chairman; 2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel - Member; 3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps - Member.
--

(13)
Not applicable.

(1)	(2)	(3)
121. Operator Printing Machine (Highly Skilled Grade-II).	01* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.

(4)	(5)	(6)
Level-4 (Rs. 25500-81100).	Non-selection post.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by transfer.

(11)
Promotion : Operator Printing Machine (Skilled) in level-2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200) having eight years regular service in the grade and who have passed the trade test. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Transfer : Person working in similar or equivalent or higher grades in the civil post in lower formations of Defence Service.

(12)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. An officer of the rank of Brigadier - Chairman; 2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel - Member; 3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps - Member.

(13)
Not applicable.

(1)	(2)	(3)
122. Operator Printing Machine (Skilled).	04* (2025) *subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.

(4)	(5)	(6)	(7)
Level-2 (Rs. 19900-63200).	Non-selection post.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by transfer.

(11)
Promotion : Tradesman (Semi Skilled) or Tradesman Mate working in level-1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900) having three years of qualifying service in the grade who have passed the trade test. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors with similar qualifications subject to passing of requisite trade test would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such

qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Transfer : Persons working in similar or equivalent or higher grades in the civil post in lower formations of Defence Services.

(12)

Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-

- | | |
|--|-------------|
| 1. An officer of the rank of Brigadier | - Chairman; |
| 2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel | - Member; |
| 3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps | - Member. |

(13)

Not applicable.

(1)

123. Web Repairer (Highly Skilled Grade-I).

(2)

06* (2025)

*Subject to variation dependent on workload.

(3)

General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.

(4)

Level-5
(Rs. 29200-92300).

(5)

Non-selection post.

(6)

Between 18 and 27 years (the upper age-limit is relaxable for departmental candidate upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).

Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangti Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh and Lakshadweep.

(7)

12th pass or equivalent from a recognised Board or University with a Certificate in the trade from recognised Industrial Training Institute or equivalent Diploma.

(8)

Not applicable.

(9)

Two years for direct recruits.

(10)

By promotion failing which by transfer failing which by deputation and failing all by direct recruitment.

(11)
Promotion: Web Repairer (Highly Skilled Grade-II) in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) having five years regular service in the grade. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Transfer : Person working in similar or equivalent or higher grades in the civil post in lower formations of Defence Service. Deputation : Officers under the Central Government or State Governments or Union territories , - (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) or equivalent in the parent Cadre or Department ; and (b) possessing the educational qualification and experience prescribed under Column (7). Note 1 : The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation or absorption. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2 : The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. Note 3 : The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.

(12)	
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-	
1. An officer of the rank of Brigadier	- Chairman;
2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel	- Member;
3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps	- Member.

Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-	
1. An officer of the rank of Brigadier	- Chairman;
2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel	- Member;
3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps	- Member.

(13)
Not applicable.

(1)	(2)	(3)
124. Web Repairer (Highly Skilled Grade-II).	06* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.

(4)	(5)	(6)
Level-4 (Rs. 25500-81100).	Non-selection post.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by transfer.

(11)
Promotion : Web Repairer (Skilled) in level-2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200) having eight years regular service in the grade and who have passed the trade test. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Transfer : Person working in similar or equivalent or higher grades in the civil post in lower formations of Defence Service.

(12)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. An officer of the rank of Brigadier - Chairman; 2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel - Member; 3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps - Member.

(13)
Not applicable.

(1)	(2)	(3)
125. Web Repairer (Skilled).	13* (2025) *subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.

(4)	(5)	(6)	(7)
Level-2 (Rs. 19900-63200).	Non-selection post.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by transfer.

(11)
Promotion : Tradesman (Semi Skilled) or Tradesman Mate working in level-1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900) having three years of qualifying service in the grade who have passed the trade test. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors with similar qualifications subject to passing of requisite trade test would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility

service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Transfer : Persons working in similar or equivalent or higher grades in the civil post in lower formations of Defence Services.

(12)	
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-	
1. An officer of the rank of Brigadier	- Chairman;
2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel	- Member;
3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps	- Member.

(13)
Not applicable.

(1)	(2)
126. Leather Stitcher (Highly Skilled Grade-I).	15* (2025) *Subject to variation dependent on workload.

(3)	(4)	(5)
General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.	Level-5 (Rs. 29200-92300).	Non-selection post.

(6)
Between 18 and 27 years (the upper age-limit is relaxable for departmental candidate upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).
Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh and Lakshadweep.

(7)	(8)
12th pass or equivalent from a recognised Board or University with a Certificate in the trade from recognised Industrial Training Institute or equivalent Diploma.	Not applicable.

(9)
Two years for direct recruits.

(10)
By promotion failing which by transfer failing which by deputation and failing all by direct recruitment.

(11)	
Promotion : Leather Stitcher (Highly Skilled Grade-II) in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) having five years regular service in the grade.	
Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	
Transfer : Person working in similar or equivalent or higher grades in the civil post in lower formations of Defence Service.	
Deputation : Officers under the Central Government or State Governments or Union territories , -	
(a)	(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or
	(ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) or equivalent in the parent Cadre or Department ; and
(b)	possessing the educational qualification and experience prescribed under Column (7).
Note 1 : The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation or absorption. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.	
Note 2 : The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.	
Note 3 : The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.	

(12)	
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-	
1. An officer of the rank of Brigadier	- Chairman;
2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel	- Member;
3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps	- Member.

Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-	
1. An officer of the rank of Brigadier	- Chairman;
2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel	- Member;
3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps	- Member.

(13)	
Not applicable.	

(1)	(2)	(3)
127. Leather Stitcher (Highly Skilled Grade-II).	15* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.

(4)	(5)	(6)	(7)
Level-4 (Rs. 25500-81100).	Non-selection post.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by transfer.

(11)
Promotion : Leather Stitcher (Skilled) in level-2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200) having eight years regular service in the grade and who have passed the trade test. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Transfer : Person working in similar or equivalent or higher grades in the civil post in lower formations of Defence Service.

(12)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. An officer of the rank of Brigadier - Chairman; 2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel - Member; 3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps - Member.

(13)
Not applicable.

(1)	(2)	(3)
128. Leather Stitcher (Skilled).	32* (2025) *subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.

(4)	(5)	(6)	(7)
Level-2 (Rs.19900-63200).	Non-selection post.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by transfer.

(11)
Promotion : Tradesman (Semi Skilled) or Tradesman Mate working in level-1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900) having three years of qualifying service in the grade who have passed the trade test. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors with similar qualifications subject to passing of requisite trade test would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility

service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Transfer : Persons working in similar or equivalent or higher grades in the civil post in lower formations of Defence Services.

(12)	
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-	
1. An officer of the rank of Brigadier	- Chairman;
2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel	- Member;
3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps	- Member.

(13)
Not applicable.

(1)	(2)	(3)
129. Boot Maker (Highly Skilled Grade-II).	01* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.

(4)	(5)
Level-4 (Rs. 25500-81100).	Non-selection post.

(6)	(7)
Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	No applicable.	By promotion failing which by transfer.

(11)
Promotion : Boot Maker (Skilled) in level-2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200) having eight years regular service in the grade and who have passed the trade test.
Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.
Transfer : Person working in similar or equivalent or higher grades in the civil post in lower formations of Defence Service.

(12)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-
1. An officer of the rank of Brigadier
- Chairman;

2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel	- Member;
3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps	- Member.

(13)
Not applicable.

(1)	(2)	(3)
130. Boot Maker (Skilled).	01* (2025) *subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.

(4)	(5)	(6)	(7)
Level-2 (Rs. 19900-63200).	Non-selection post.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by transfer.

(11)
Promotion : Tradesman (Semi Skilled) or Tradesman Mate working in level-1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900) having three years of qualifying service in the grade who have passed the trade test. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors with similar qualifications subject to passing of requisite trade test would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Transfer : Persons working in similar or equivalent or higher grades in the civil post in lower formations of Defence Services.

(12)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. An officer of the rank of Brigadier - Chairman; 2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel - Member; 3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps - Member.

(13)
Not applicable.

(1)	(2)
131. Packer (Highly Skilled Grade-I).	162* (2025) *Subject to variation dependent on workload.

(3)	(4)	(5)
General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.	Level-5 (Rs. 29200-92300).	Non-selection post.

(6)
Between 18 and 27 years (the upper age-limit is relaxable for departmental candidate upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).
Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangl Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh and Lakshadweep.

(7)	(8)
12th pass or equivalent from a recognised Board or University with a Certificate in the trade from recognised Industrial Training Institute or equivalent Diploma.	Not applicable.

(9)
Two years for direct recruits.

(10)
By promotion failing which by transfer failing which by deputation and failing all by direct recruitment.

(11)
Promotion : Packer (Highly Skilled Grade-II) in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) having five years regular service in the grade. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Transfer : Person working in similar or equivalent or higher grades in the civil post in lower formations of Defence Service. Deputation : Officers under the Central Government or State Governments or Union territories , - (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) or equivalent in the parent Cadre or Department ; and (b) possessing the educational qualification and experience prescribed under Column (7). Note 1 : The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation or absorption. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2 : The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. Note 3 : The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.

(12)	
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-	
1. An officer of the rank of Brigadier	- Chairman;
2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel	- Member;
3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps	- Member.

Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-	
1. An officer of the rank of Brigadier	- Chairman;
2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel	- Member;
3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps	- Member.

(13)
Not applicable.

(1)	(2)	(3)
132. Packer (Highly Skilled Grade-II).	162* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.

(4)	(5)	(6)	(7)
Level-4 (Rs. 25500-81100).	Non-selection post.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by transfer.

(11)
Promotion : Packer (Skilled) in level-2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200) having eight years regular service in the grade and who have passed the trade test.
Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.
Transfer : Person working in similar or equivalent or higher grades in the civil post in lower formations of Defence Service.

(12)	
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-	
1. An officer of the rank of Brigadier	- Chairman;
2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel	- Member;
3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps	- Member.

(13)
Not applicable.

(1)	(2)	(3)
133. Packer (Skilled).	355* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial.

(4)	(5)	(6)	(7)
Level-2 (Rs. 19900-63200).	Non-selection post.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by transfer.

(11)
Promotion : Tradesman (Semi Skilled) or Tradesman Mate working in level-1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900) having three years of qualifying service in the grade who have passed the trade test. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors with similar qualifications subject to passing of requisite trade test would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Transfer : Persons working in similar or equivalent or higher grades in the civil post in lower formations of Defence Services.

(12)	
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-	
1. An officer of the rank of Brigadier	- Chairman;
2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel	- Member;
3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Arms or Services other than Army Ordnance Corps	- Member.

(13)
Not applicable.

[PC-A/26576/RR/Skilled/OS-8C(Policy)/

/D(Apptts)/2025]

M. P. HARINARAYANAN, Under Secy.